Je foHkkx]

Je vk;qDr laxBu

mÙkjk[k.M

Je foHkkx esa ykxw 'kklukns'kksa dk ladyu

'kklukn'kk dk iFke ldyu

प्रथम संकलन में उन शासनादेशों को संकलित किया गया है जो पूर्वीवर्ती उत्तर प्रदेश से ही लागू हैं तथा जिन्हें उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त इस राज्य में अंगीकृत कर लिया गया है।

प्रथम संकलन

विभाग में लागू शासनादेश जो पूववर्ती उतर प्रदेश राज्य के समय से ही लागू तथा जिन्हें उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त इस राज्य में अंगीकृत कर लिया गया है।

शासनादेशों की उनके जारी होने की तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में सूची

विभाग का नाम – श्रम विभाग श्रम आयुक्त संगठन उत्तराखण्ड, श्रम भवन नैनीताल रोड, हल्द्वानी

क्रम सं.	सेवा नियमावली का नाम	लागू नियमावली	प्रख्यापन तिथि	पेज सं0
1	2	3	4	5
1	समूह 'घ' प्राविधिक कर्मचारी नियमावली 1980	उत्तर प्रदेश श्रम विभाग समूह 'घ' प्राविधिक कर्मचारी नियमावली 1980	22 दिसम्बर, 1990	4
2	श्रम विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1981	उत्तर प्रदश श्रम विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1981	28 नवम्बर, 1981	16
3	श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली 1982	उत्तर प्रदेश श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली 1982	28 मई,, 1982	40
4	उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियमावली 1991	उत्तर प्रदेश श्रम नियमावली जिसमें समूह क एवं ख के पद समाविष्ट हैं	27 नवम्बर, 1991	52
5	अधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली 1992	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ, श्रम नियमावली, 1992	06 जून, 1992	62
6	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली 1996	उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियमावली, 1996	15 अप्रैल, 1996	79

उत्तर प्रदेश सरकार

श्रम विभाग

अनुभाग–4

प्रकीर्ण

22 दिसम्बर, 1980 ई0

सं. 4032/36–चार–451–77–संविधान के अनुच्छेद 109 के परन्तु के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्रम विभाग समूह 'घ' प्राविधिक कर्मचारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करके के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :

उत्तर प्रदेश, श्रम विभाग समूह 'घ' प्राविधिक कर्मचारी सेवा नियमावली, 1980।

भाग एक–सामान्य

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ' (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश, श्रम विभाग समूह 'घ' प्राविधिक कर्मचारी सेवा नियमावली, 1980 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–सेवा की प्रास्थिति–उत्तर प्रदेश, श्रम विभाग समूह 'घ' प्राविधिक कर्मचारी सेवा में समूह 'घ' के पद सम्मिलित है।

3–परिभाषायें–जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में –

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य प्रधान कार्यालय के पदों के सम्बन्ध में अतिरिक्त संयुक्त श्रम आयुक्त (सामान्य) से और क्षेत्रीय कार्यालयों के पदों के सम्बन्ध में क्षेत्र वे प्रभारी अतिरिक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त से है

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(घ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के सरकार से है;

(ड.) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से;

(च) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्ववृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(छ) ''सेवा'' का तात्पर्य श्रम विभाग समूह ''घ'' प्राविधिक कर्मचारी से है; और

(ज) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है

भाग दो–संवर्ग

4–सेवा का संवर्ग– (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट–एक में दी गयी है;

परन्तु –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद की बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, या

(दो) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग तीन–भर्ती

5–भर्ती का स्रोत–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

6–आरक्षण–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हताएं

7–राष्ट्रिकता–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और केनिया, उगन्डा और यूनाइटेडा रिपब्लिक आफ तेजनियार्तागनि पूर्व (तर्वीका और जंजीवार) के किसी पूर्व अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पत्र में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह जो अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8–शैक्षिक अर्हताएं –सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी परिशिष्ट–बी में प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित अर्हताएं रखता हो।

9–अधिमानी अर्हताएं–ऐसे अभ्यर्थी को जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

10–आयु– सेवा में भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पहली जनवरी से 30 जून को अवधि में विज्ञापित किये जाय और पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि मे विज्ञापित किये जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और सिलाई अनुदेशिका, ड्राइवर, महिला पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक एवं फिटर के पदों की दशा में 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और सेवा में किसी अन्य पद की दशा में 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित हो जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11–चरित्र– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके नियुक्ति

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिये पात्र नहीं होगे। नैतिक अघमता के किसी अपराध के लिये दोष–सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12–वैयक्तिक प्रास्थिति– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियों जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगे जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नि जीवित होः

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

13–शारीरिक स्वस्थता–किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्ट से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय 3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

भाग पांच–सीधी भर्ती की प्रक्रिया

14–रिक्तियों का अवधारण–नियुक्ति प्राधिकारी सत्समय वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उन्हें सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा।

15–सीधी भर्ती की प्रक्रिया–(1) अभ्यर्थियों की भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अन्य राजपत्रित अधिकारी

(2) चयन समिति आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधि अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक होगी किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

भाग छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और श्रेष्ठताः

16–नियुक्ति–(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नामों नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूची में हो, नियुक्तियां करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इस सूची का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से ऐसवी रिक्तियों में नियुक्त कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां छः मास से अनाधिक अवधि के लिये या अगले चयन तक, इनमें जो भी पहले हो, की जायेगी।

17–परिवीक्षा–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बड़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु आपवदिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक और नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर पारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगठना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

18–स्थायीकरण–किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा। यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजन बताया गया हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गई हो।

19—ज्येष्ठता—सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्त के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगीः

परन्तु—

सेवा में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन के समय अवधारित की जाय।

टिप्पणी—सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर व विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे, कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग सात—वेतन इत्यादि

20—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे, मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट ''ए'' में दिये गये हैं।

21—परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन बृद्धि सभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर की हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेव में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

22—दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड—किसी व्यक्ति को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसे निर्दिष्ट मामलों का तुरन्त अनुपालन न किया हो, उसका कार्य और आचरण अन्यथा संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

23—पक्षसमर्थन—इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थी के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

24—अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध मे जो विर्किष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों सेवा में नियुक्त व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और देशों द्वारा नियंत्रित होगें।

25—सेवा शर्तो में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में शर्तो की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रर्वतन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां यह उस मामले में नियमों में किसी बात के हाते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षा की उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें यह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।

26—आवृत्ति—इस नियमावली में किसी बात में का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किें गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियो के व्यक्तियों के लिये उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट—एक

पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	भर्ती का स्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
	स्थायी	अस्थायी	योग			
1	2—क	2—ख	2—ग	3	4	5
1—प्लम्बर	13		13	170—2—184—द0रो0—3—205—द0रो0 —4—225	सीधी भर्ती	अतिरिक्त / संयुक्त / उप श्रम आयुक्त (सामान्य)
2—राज—मिस्त्री		24	24	170—2—184—द0रो0—3—205—द0रो0 —4—225	सीधी भर्ती	अतिरिक्त / संयुक्त / उप श्रम आयुक्त (सामान्य)
3—बढ़ई		22	22	170—2—184—द0रो0—3—205—द0रो0 —4—225	सीधी भर्ती	अतिरिक्त / संयुक्त / उप श्रम आयुक्त (सामान्य)
4—विद्युतकार	14		14	170—2—184—द0रो0—3—205—द0रो0 —4—225	सीधी भर्ती	अतिरिक्त / संयुक्त / उप श्रम आयुक्त (सामान्य)
5—वर्कमिस्त्री		4	4	170—2—184—द0रो0—3—205—द0रो0 —4—225	सीधी भर्ती	अतिरिक्त / संयुक्त / उप श्रम आयुक्त (सामान्य)
6—पाइप लाइन मिस्त्री	1		1	175—3—205—द0रो0—4—225—द0रो0 —5—250	सीधी भर्ती	अतिरिक्त / संयुक्त / उप श्रम आयुक्त (सामान्य)
7—कार्य पर्यवेक्षक	12		12	175—3—205—द0रो0—4—225—द0रो0 —5—250	सीधी भर्ती	अतिरिक्त / संयुक्त / उप श्रम आयुक्त (सामान्य)
8—नलकूप परिचालक	6		6	175—3—205—द0रो0—4—225—द0रो0 —5—250	सीधी भर्ती	अतिरिक्त / संयुक्त / उप श्रम आयुक्त (सामान्य)
9—ड्राइवर (हल्की गाड़ी)	2		2	175—3—205—द0रो0—4—225—द0रो0 —5—250	सीधी भर्ती	अतिरिक्त / संयुक्त / उप श्रम आयुक्त (सामान्य)
10—पैकर एवं बढ़ई	1		1	175—3—205—द0रो0—4—225—द0रो0 —5—250	सीधी भर्ती	अतिरिक्त / संयुक्त / उप श्रम आयुक्त (सामान्य)

11–ट्रेसर	1		1	185–3–215–द0रो0–4–235–द0रो0 –6–265	सीधी भर्ती	अतिरिक्त/संयुक्त/उप श्रम आयुक्त (सामान्य)
12–ड्राइवर (भारी गाड़ी)	2		2	185–3–215–द0रो0–4–235–द0रो0 –6–265	सीधी भर्ती	अतिरिक्त/संयुक्त/उप श्रम आयुक्त (सामान्य)
13–सिनेमा परिचालक	1		1	185–3–215–द0रो0–4–235–द0रो0 –6–265	सीधी भर्ती	अतिरिक्त/संयुक्त/उप श्रम आयुक्त (सामान्य)
14–साइक्लोस्टाइलकर्ता एवं मैकेनिक	2		2	185–3–215–द0रो0–4–235–द0रो0 –6–265	सीधी भर्ती	अतिरिक्त/संयुक्त/उप श्रम आयुक्त (सामान्य)
क्षेत्रीय कार्यालयों में 69 पद रू0						
15–सहायक संघटनकर्ता	11		11	170–2–184–द0रो0–3–205–द0रो0 –4–225	सीधी भर्ती	क्षेत्र के प्रभारी अतिरिक्त/उप/सहायक श्रमायुक्त
16–महिला पर्यवेक्षक	2		2	170–2–184–द0रो0–3–205–द0रो0 –4–225	सीधी भर्ती	क्षेत्र के प्रभारी अतिरिक्त/उप/सहायक श्रमायुक्त
17–सिलाई प्रशिक्षिका	50		50	175–3–205–द0रो0–4–225–द0रो0 –5–250	सीधी भर्ती	क्षेत्र के प्रभारी अतिरिक्त/उप/सहायक श्रमायुक्त
18–ड्राइवर (हल्की गाड़ी)	3		3	175–3–205–द0रो0–4–225–द0रो0 –5–250	सीधी भर्ती	क्षेत्र के प्रभारी अतिरिक्त/उप/सहायक श्रमायुक्त
19–ड्राइवर (भारी गाड़ी)	1		1	185–3–215–द0रो0–4–235–द0रो0 –6–265	सीधी भर्ती	क्षेत्र के प्रभारी अतिरिक्त/उप/सहायक श्रमायुक्त
20–फिटर एवं पर्यवेक्षक	2		2	185–3–215–द0रो0–4–235–द0रो0 –6–265	सीधी भर्ती	क्षेत्र के प्रभारी अतिरिक्त/उप/सहायक श्रमायुक्त

पद का नाम	विहित अर्हता
1	2
1–प्लम्बर	प्लम्बर का लाइसेन्स
2–राज मिस्त्री	इस क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुश्राव।
3–बढ़ई	बढ़ईगिरी का ज्ञान
4–विद्युतकार	विद्युतकार का लाइसेन्स
5–वर्क मिस्त्री	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 उत्तीर्ण और इस क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।
6–पाइप लाइन मिस्त्री	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 उत्तीर्ण और इस क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।
7–कार्य पर्यवेक्षक	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 उत्तीर्ण और इस क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

8—नलकूप परिचालक	नलकूप परिचालक का व्यावहारिक ज्ञान।
9—ड्राइवर (हल्की गाड़ी)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 उत्तीर्ण और विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेन्स।
10—पैकर एवं बढ़ाई	पैकिंग और बढ़ाईगिरी का लाभ।
11—ट्रेसर	कला/चित्रांकन के साथ हाईस्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
12—ड्राइवर (भारी गाड़ी)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 उत्तीर्ण और भारी गाड़ी के लिए विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेन्स।
13—सिनेमा परिचालक	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 उत्तीर्ण और सिनेमा मशीन के परिचालन के व्यावहारिक ज्ञान के साथ इस कार्य का एक वर्ष का अनुभव।
14—साइक्लोस्टाइलकर्ता एवं मैकेनिक	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 उत्तीर्ण और इस क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव
15—सहायक पर्यवेक्षक	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 उत्तीर्ण।
17—सिलाई प्रशिक्षिका	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कटाई, सिलाई, बुनाई और चिकन का प्रमाण—पत्र।
18—ड्राइवर (हल्की गाड़ी)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 उत्तीर्ण और विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेन्स हो।
19—ड्राइवर (भारी गाड़ी)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 उत्तीर्ण और भारी गाड़ी के लिए विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेन्स हो।
20—फिटर एवं पर्यवेक्षक	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 उत्तीर्ण और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कोई प्रमाण—पत्र

आज्ञा से,

कर्नेल सिंह,

सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4032/XXXVI-4-451-77, dated December 23, 1980:

No. 4032/XXXVI-4-451-77

December 22, 1980

In exercise of the powers conferred by the Provise to Article 309 of the Constitution and

In superession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of parsons appointed to the Uttar Pardesh Labour Department, Group 'D' Technical Employees Service:

The Uttar Pardesh Labour Department, Group 'D' Technical Employees Service Rules, 1980.

PART. I-General

1- Short title and commencement. –(1) These rules may be called the Uttar Pardesh Labour Department, Group 'D' Technical Employes Service Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the service.-The Uttar Pardesh Labour Department Group. 'D' Technical Emloyees Service comprises Group 'D' posts.

3. Definitions.-In these rules, unless there is Anything repugnant in the subject or contaxt-

(a) "Appointing Authority" in respect of the posts in the head Office means the (Additional/Joint Labour commissioner General) and, in respect of the posts in The Regional Office means the Additional Deputy/Assistant Labour Commissioner, Incharge of the region:

(b) "citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c) "Constituion" means the Constition of India;

(d) "Government" means the State Government of Uttar Pardesh;

(e) "Governor" means the Governor of Uttar Pardesh;

(f) “member of the Service” means a person appointment in a substantive capacity under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a posts in the cadre of the service;

(g) “Service” means the Labour Department Group ‘D’ Technical Employees Service, and

(h) “Year of recruitment” means the period of twelve months commencing form first day of a calendar year.

PART II- Cader

4. **Cadre of Service.-(1)** The strength of the Service And of each category of posts there in shall be such as may Be determined by the Governor from time to time.

(2) The strength of the Service and of each category of posts there in shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in Appendix ‘1’:

Provided that-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts from time to time as he may consider proper.

PART III-Recruitment

5. **Source of recruitment**.-Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made by direct recruitment.

6. **Reservation.-** Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the Time of the recruitment.

PART IV-Qualification

7. Nationality.- A candidate for direct recruitment to a post In the service must be-

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before 1, January 1962 with the intention of permanently settling in India; or (c) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently Settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must Be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by The State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pardesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a perios of more than one year and the retention of such candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

प्रथम संकलन

विभाग में लागू शासनादेश जो पूर्ववर्ती उतर प्रदेश राज्य के समय से ही लागू तथा जिन्हें उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त इस राज्य में अंगीकृत कर लिया गया है।

शासनादेशों की उनके जारी होने की तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में सूची

विभाग का नाम – श्रम विभाग श्रम आयुक्त संगठन उत्तराखण्ड, श्रम भवन नैनीताल रोड, हल्द्वानी

क्रम सं.	सेवा नियमावली का नाम	लागू नियमावली	प्रख्यापन तिथि
1	2	3	4
1	समूह घ प्राविधिक कर्मचारी नियमावली 1980	उत्तर प्रदेश श्रम विभाग समूह घ प्राविधिक कर्मचारी नियमावली 1980	22 दिसम्बर, 1990
2	श्रम विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1981	उत्तर प्रदेश श्रम विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1981	28 नवम्बर, 1981
3	श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली 1982	उत्तर प्रदेश श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली 1982	28 मई,, 1982
4	उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियमावली 1991	उत्तर प्रदेश श्रम नियमावली जिसमें समूह क एवं ख के पद समाविष्ट हैं	27 नवम्बर, 1991
5	अधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली 1992	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ, श्रम नियमावली, 1992	06 जून, 1992
6	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली 1996	उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियमावली, 1996	15 अप्रैल, 1996

रजिस्टर (नं. ए.डी——1
लाइसेन्स सं. डब्ल्यू. पी.–4
लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

lj dkjh x t V] mÙkj in'k
mRrj in'k ljdkj }kjk idkf'kr

इलाहाबाद, शनिवार, 24 अप्रैल, 1982 ई. (वैशाख 4, 1904 शक संवत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनकी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद ने जारी किया।

श्रम विभाग

28 नवम्बर, 1981 ई0

सं. 4692/36–चार–460–73–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्रम विभाग, लिपिक वर्ग में सेवा में पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करके के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :

उत्तर प्रदेश, श्रम विभाग समूह 'घ' प्राविधिक कर्मचारी सेवा नियमावली, 1981।

भाग एक–सामान्य

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ' (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश श्रम विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1981 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–सेवा की प्रास्थिति–उत्तर प्रदेश, श्रम विभाग लिपिक वर्ग सेवा एक लिपिक वर्ग सेवा है जिसमें समूह ''ग'' के पद सम्मिलित हैं।

3–परिभाषायें–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(क) सेवा में किसी भी श्रेणी के पदों के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य परिशिष्ट–एक में प्रत्येक श्रेणी के पद के सामने उल्लिखित प्राविकारी से होगा,

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(घ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ड.) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के सरकार से है;

(च) ''कार्यालयाध्यक्ष'' का तात्पर्य किसी लिपिक प्रभारी उच्चतम राजपत्रित अधिकारी से है;

(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) ''सेवा'' का तात्पर्य श्रम विभाग लिपिक वर्ग है,

(झ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है

भाग दो—संवर्ग

4—सेवा का संवर्ग— (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट—एक में विनिर्दिष्ट की गयी है;

परन्तु —

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, और

(ख) राज्यपाल समय—समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो आवश्कय समझे जायं।

भाग तीन—भर्ती

5—भर्ती का स्रोत—श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती परिशिष्ट—एक में प्रत्येक श्रेणी के सामने अंकित स्रोत या स्रोतों से की जायेगी।

6—आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार—अर्हताएं

7—राष्ट्रिकता—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और केनिया, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजनिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्व अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8–शैक्षिक अर्हताएं –सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित अर्हताएं रखता हो :–

पद	अर्हतायें
1–लिपिक टंकक	जैसा कि अधीनस्थ कार्यालय वर्ग (सीधी भर्ती) नियम 1975 में उपबन्ध किया है।
2–आशुलेखक	आवष्यक :
	(एक) माध्यम शिक्षा उत्तप प्रदेश की इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष मान्यता कोई परीक्षा उतीर्ण होना आवष्यक है।
	(दो) हिन्दी आशुलिपि और टंकण में कम से कम क्रमांक शब्द प्रति मिनट और प्रति मिनट की गति होनी आवष्यक है।
	अधिमानी :
	अन्य बातों के समान होने पर व्यक्ति को अधिमान दिया जिसकी अंग्रेजी आशुलिपि टंकण में क्रमशः 100 शब्द 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो।

9–अधिमानी अर्हताएं–ऐसे अभ्यर्थी को जिसने –

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

10–(1) लिपिक टंकक के पद पर सीधी भर्ती यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी अधीनस्थ कार्यालय (सीधी भर्ती) नियमावली 1975 में यथा उपबंधित न्यूनतम अधिकतम आयु का हो।

(2) आशुलेखक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पहली जनवरी से 30 जून को अवधि में विज्ञापित किये जाय और पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि मे विज्ञापित किये जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और सिलाई अनुदेशिका, ड्राइवर, महिला पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक एवं फिटर के पदों की दशा में 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और सेवा में किसी अन्य पद की दशा में 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित हो जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11–चरित्र– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी नियम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिये पात्र नहीं होगे। नैतिक अघमता के किसी अपराध के लिये दोष–सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12–वैवाहिक प्रास्थिति– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियों जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगे जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नि जीवित हो:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

13–शारीरिक स्वस्थता–किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्ट से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और यह किसी ऐसे शारीरिक छोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि यह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थियों से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच–सीधी भर्ती की प्रक्रिया

14–रिक्तियों का अवधारण–नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी लिपिक/टंकक के पद की रिक्तियां अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के उपमन्यों के अनुसार जिला चयन समिति की ओर आशुलेखक के पद की रिक्तियां, तत्समय प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को सूचित करेगा और सेवायोजन कार्यालय से उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जा सकते हैं।

15–लिपिक/टंकक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया– लिपिक/टंकक के पदों पर भर्ती अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी:

परन्तु लिपिक/टंकक की 10 प्रतिशत रिक्तियों में भर्ती तत्समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार समूह ''घ'' के कर्मचारियों में से की जायेगी।

16–आशुलेखक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) आशुलेखक के पद पर सीधी भर्ती करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति गठित की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो समूह ''ख'' से निम्न कोटि का न हो।

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो समूह ''ख'' से निम्न कोटि का न हो।

टिप्पणी–किसी अधिकारी को नाम निर्दिष्ट करने में नियुक्ति प्राधिकारी शासनादेश संख्या 15 25–75 एस0ई0के0, दिनांक 10 मई, 1976 में दिये गये सरकार के आदेशों को या ऐसे समय आदेशों को, जो भर्ती के समय प्रवृत्त हों, ध्यान में रखेगा।

(2) चयन समिति आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से किसी परीक्षा और साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों से सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात, नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के लिये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगी जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके हों। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में दियेगये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त प्राप्त किये गये अंकों में जोड़े जायेंगे।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के नाम उच्चतर स्थान पर रखे जायेंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। यह सची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

17–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर को जायगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठताक्रता में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्यअभिलेख के साथ जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

टिप्पणी–जहां किसी पद पर पदोन्नति भिन्न–भिन्न संवर्गो या कार्यालयों के व्यक्तियों में से की जानी हो, वहां एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी, जिसमें व्यक्तियों के नाम उनकी मौलिक नियुथ्कत के आदेश के दिनांक से यथा अवधारित ज्येष्ठता क्रम में रखे जायेंगे।

(3) चयन समिति, उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेख के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचारकरेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता–क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

18–संयुक्त चयन सूची–यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम अनुकल्पतः नियम 16 और 17 के अधीन

तैयार की गयी सूचियों से लिये जायेंगे, पहला नाम नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची से लिया जायेगा।

भाग छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता–

19–नियुक्ति–(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नामयथा स्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गई सूची में हो, नियुक्तियां करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इस सूची का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से ऐसवी रिक्तियों में नियुक्त कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये या अगले चयन तक, इनमें जो भी पहले हो, की जायेगी।

20–परिवीक्षा–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बड़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु आपवदिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक और नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर पारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगठना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

21–स्थायीकरण–किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा। यदि–(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजन पाय जाय

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान होगा कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

22–ज्येष्ठता–सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्त के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगीः

परन्तु–

(1) सेवा में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन के समय अवधारित की जाय।

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा घृत मौलिक पद पर रही।

टिप्पणी—(एक) सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर व विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे, कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(दो) जहां नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय, जब से व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो, उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश को समझा जायेगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश किये जाने के दिनांक से होगा।

भाग सात—वेतन इत्यादि

23—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे, मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट—ए में दिये गये हैं।

24—परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन बृद्धि सभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर की हो। विभागीय परीक्षा उत्तीण कर ली हो प्रशिक्षण, जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी उसने परिवीक्षा अवधि पूरा कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे?

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में सुसंगत फन्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25—दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड—(1) कार्यालय अधीक्षक, अपर कार्यालय अधीक्षक या सहायक कार्यालय अधीक्ष को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परता

और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) ऐसे व्यक्ति को जो उप नियम (1) के अन्तर्गत न आता हो–(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसे निर्दिष्ट मामलों का तुरन्त अनुपालन न किया हो, उसका कार्य और आचरण अन्यथा संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

26–पक्ष समर्थन–किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न अन्य सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

27–अन्य विषयों का विनियमन–ऐसे विषयों के सम्बन्ध मे जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें।

28–सेवा शर्तो में शिथिलता–जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में शर्तो की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रर्वतन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां यह उस मामले में नियमों में किसी बात के हाते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षा की उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें यह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।

29–व्यावृत्ति–इस नियमावली में किसी बात में का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किें गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियो के व्यक्तियों के लिये उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

हर गोविन्द डबराल,
संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट – एक

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या स्थायी	अस्थायी	योग	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	भर्ती का स्रोत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	टंकक/लिपिक	113		113	200–5–250–द0रो0–6–280–द0रो0–8–320 रू0	अतिरिक्त श्रम आयुक्त, (सामान्य)	अधीनस्थ कायालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा	–
2	सहायक	84		84	230–6–290–द0रो0–9–335–द0रो0–10–385 रू0	अतिरिक्त श्रम आयुक्त, (सामान्य)	श्रम आयुक्त कार्यालय के स्थायी लिपिकों/टंककों में से पदोन्नति द्वारा	
3	उपलेखक–पालेखक	76		76	280–8–296–9–350–द0रो0–10–400–द0रो0–12–460 रू0	अतिरिक्त श्रम आयुक्त, (सामान्य)	श्रम आयुक्त कार्यालय के स्थायी सहायकों में से पदोन्नति द्वारा	
4	प्रधान लिपिक	16		16	300–8–324–9–360–द0रो0–10–440–द0रो0–12–500 रू0	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	श्रम आयुक्त कार्यालय के स्थायी उप–लेखक–प्रालेखकों और क्षेत्रीय कार्यालय के स्थायी प्रधान लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा	
5	सहायक कार्यालय अधीक्षक	5		5	400–15–475–द0रो0–15–550 रू0	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	श्रम आयुक्त कार्यालय तथा कारखाना प्रभाग के स्थायी प्रधान लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा	
6	अतिरिक्त कार्यालय अधीक्षक	1		1	450–25–575–द0रो0–25–700 रू0	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	श्रम आयुक्त कार्यालय तथा कारखाना प्रभाग के स्थायी सहायक कार्यालय अधीक्षक में से पदोन्नति द्वारा	
7	कार्यालय अधीक्षक	1		1	450–25–575–द0रो0–25–700 रू0	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	श्रम आयुक्त कार्यालय तथा कारखाना प्रभाग के स्थायी अतिरिक्त कार्यालय अधीक्षक में से पदोन्नति द्वारा	
8	आशुलेखक	1		1	250–7–285–द0रो0–9–375–द0रो0–10– 425रू0	अतिरिक्त श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सीधी भर्ती द्वारा	
9	आशुलेखक	23	2	25	300–8–324–9–360–द0रो0–440–द0रो0–12–500 रू0	अतिरिक्त श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों में 250–425 रू0 के वेतनमान में स्थायी आशुलेखकों में से यदि उपलब्ध	

1	लिपिक / टंकक	37		37	200–5–250–द0रो0–6–280–द0रो0–8–320 रू0	मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तर प्रदेश	अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा	
2	सहायक	18		18	230–6–290–द0रो0–9–335–द0रो0–10–385 रू0	मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तर प्रदेश	स्थायी लिपिक / टंककों में से पदोन्नति द्वारा	
3	उपलेखक–प्रालेखक	34		34	280–8–296–9–350–द0रो0–10–400–द0रो0–12–460 रू0	मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तर प्रदेश	स्थायी सहायकों में से पदोन्नति द्वारा	
4	प्रधान लिपिक	12	3	15	300–8–324–9–360–द0रो0–10–440–द0रो0–12–500 रू0	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	स्थायी उपलेखक–प्रालेखकों में से पदोन्नति द्वारा	
5	सहायक निरीक्षक		6	6	300–8–324–9–360–द0रो0–10–440–द0रो0–12–500 रू0	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	श्रमायुक्त कार्यालय तथा कारखाना प्रभाग के स्थायी उपलेखक–प्रालेखकों में से पदोन्नति द्वारा	
6	अतिरिक्त कार्यालय अधीक्षक	1		1	450–25–575–द0रो0–25–700 रू0	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	स्थायी सहायक कार्यालय अधीक्षक में से पदोन्नति द्वारा	
7	आशुलेखक	11	3	14	300–8–324–9–360–द0रो0–440–द0रो0–12–500 रू0	मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय कार्योलयों और मुख्या में 250–420 रू. के वेतनमान में स्थायी आशुलेखकों में से, यदि उपलब्ध हों, पदोन्नति द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	
8	आशुलेखक	4		4	250–7–285–द0रो0–9–375–द0रो0–10– 425रू0	मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तर प्रदेश	सीधी भर्ती द्वारा	
1	लिपिक / टकक	233	90	323	200–5–250–द0रो0–6–280–द0रो0–8–320 रू0	श्रेत्रीय अतिरिक्त / उप / सहायक श्रमायुक्त	अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा	
2	स्टोरकीपर	5	2	7	200–5–250–द0रो0–6–280–द0रो0–8–320 रू0	श्रेत्रीय अतिरिक्त / उप / सहायक श्रमायुक्त	सीधी भर्ती द्वारा एक ही क्षेत्र के स्थायी लिपिक टंकक और	
3	लेखा लिपिक	14		14	230–6–290–द0रो0–9–335–द0रो0–10–385 रू0	श्रेत्रीय अतिरिक्त / उप / सहायक श्रमायुक्त	स्टोरकीपर में से पदोन्नति द्वारा एक ही क्षेत्र के स्थायी लिपिक टंकक और	
4	ज्येष्ठ लिपिक	30	5	35	230–6–290–द0रो0–9–335–द0रो0–10–385 रू0	श्रेत्रीय अतिरिक्त / उप / सहायक श्रमायुक्त	स्टोरकीपर में से पदोन्नति द्वारा एक ही क्षेत्र के स्थायी लिपिक टंकक और	
5	स्टाफ सत्यापक	7	1	8	230–6–290–द0रो0–9–335–	श्रेत्रीय अतिरिक्त / उप /	स्टोरकीपर में से पदोन्नति द्वारा	

6	प्रधान लिपिक	14	5	19	द0रो0—10—385 रू0 280—8—296—9—350—द0रो0—10—400— द0रो0—12—460 रू0	सहायक श्रमायुक्त श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	सभी क्षेत्रों में नियोजित स्थायी ज्येष्ठ में से पदोन्नति द्वारा	
7	आशुलेखक मुख्यालय, कानपुर और क्षेत्रीय कार्यालय (काखाना प्रभाग कार्यालय)	31	8	39	250—7—285—द0रो0—9—375—द0रो0— 10— 425रू0	श्रेत्रीय अतिरिक्त/उप/ सहायक श्रमायुक्त	सीधी भर्ती द्वारा	

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4692/36/Char- 460-73 dated November 28, 1981:

In exercise of the powers conferred by The proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulations of service of persons appointed to the Uttar Pardesh Labour Department Ministerial Service:-

THE UTTAR PARDESH LABOUR DEPARTMENT MINISTERIAL SERVICE RULES, 1981

PART I-GENERAL

1. **Short title and commencement.- (1)** These rules, may be called the Uttar Pardesh Labour Department Ministerial Service Rules, 1981.

(2) They shall come into folrce at once.

2. Status of service.-The Uttar Pardesh Labour Department Ministerial Service is ministerial service comprising group 'C' Posts.

3. Definition.- In these rules unless the Context otherwise requires-

(a) "appointing authority" in relation to any category of posts in the service shall mean the authority mentioned as such against each category of post in Appendix I.

(b) "citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c)"Constitution" means the Constition of India;

(d) "Governor" means the Governor of Uttar Pardesh;

(e) "Government" means the Government of Uttar Pardesh;

(f) "Head of Office" means the highest gazetted officer incharge of an office;

(g) "member of the service means a person appointed in a substantive capacity under the provision of these rules or of rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(h) "Service" means the Uttar Pardesh Labour Department Ministerial service;

(i) "Year of recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II- CADRE

4. Cadre of service-(1) The strength the service and of each category of therein shall be such as may be det by the Governor from time to time;

(2) The strength of service and category of post therein shall until varying the same have been passed sub-rule (1), be as specified in A: I:

Provided that-

(a) the appointing authority leave unfilled or the Governor hold in abeyance any vaca without thereby entitling any to compansation and

(b) the Governor may create additional permanent or ter posts from time to time as may b necessary.

PART III-RECRUITMENT

5. Source of recruitment-Recruitment the various categories of the posts in service under the administrative con the Labour Commissioner, U.P. sh made from the source or sources mer against each category in Appendix-I.

6. Reservation.- Reservation for dates belonging to Scheduled Castes, duled Tribes and other categories sha in accordance with the orders of the Government in force at the time or recruitment

PART IV-QUALIFICTIONS

7. Nationality-A candidate for dire recruitment to a post in the service be:

(a) a citizen of India, or

(b) a Tibetan refugee who came to India before January 1, 1962, the intention of (permanently down in India, or

(c)a person on India origin who migrated form Pakistan, Burma, or any of the East African country Kenya, Uganda, and the United Lie of Tanzania (formerly Tanganyika Zanzibar) with the intention of p nently settling down in India;

Provided that a candidate belo to category (b) or (c) above sha a person in whose favour a certificate elegibility has been issued by the Government:

Provided further that a candidate Belonging to category (b) will also Required to obtain a certificate of Bility granted by the Deputy insp General of Police, Intelligence Bra Uttar Pardesh:

Provided also that if a candidate be-longs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year, and such a candidate may be retained in service after a period of one year only if he has acquired Indian Citizenship.

NOTE-A candidate in whose case a certificate of eligibility in necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or

interview and may, also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic qualifications-A candidate for direct recruitment to the various categories of posts in the service must possess the qualifications mentioned against each post:

Posts Qualifications

(1) Clerk/ Typist. As provided in the subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975.

(2) Stenographers.

Essential : (1) Must have passed the Intermediate examination of the U.P. Board of High School and Intermediate Education or an examination recognized as equivalent thereto.

(ii) Must possess a minimum speed of 80 words and 30 words per minute in Hindi shorthand and Hindi typewriting respectively.

Preferential:

Other things being equal preference shall be given to a person who knows English shorthand and typing with a minimum speed of 100 words and 30 words respectively per minute.

9. Preferential qualifications-A candidate who-

(i) has served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

ii) has obtained a “B” certificate of National Cadet Corps, shall other things being equal, be giver. Preference in the matter of direct recruitment.

10.Age.- (1) A candidate for direct recruitment to the post of clerk/Typist must have attained the minimum and maximum age as provided in the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975.

(2) A candidate for direct recruitment to the post of stenographer must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 28 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January 1 to June 30, and on July 1, if the Posts are advertised during the period July 1 To December 31:

Provided that the upper age-limit in the Case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by Government from. time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11. Character.- The character of candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service, The appointing authority shall satisfy itself on the point.

NOTE-Persons dismissed by the Union Government or by a state Government or by a Local Authority or by a corporation or Body owned or Controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital status.-A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Governor may, if satisfied That there exist specific grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical fitness.-No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 and contained in Chapter III of the Financial Hand book Vol., II Part III:

Provided that a medical certificate of fitness Shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. Determination of vacancies.-The appointing authority shall determine tle. number of vacancies which are required to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The appointing authority shall intimate the vacancies in the post of Clerk/Typist to the District Selection Committee in accoedance with the provisions of the Subordinate Offices Ministerial Service (Direct Recruitment) Rules, 1975 and in the post of Stenographer to the Employment Exchange in accoedence with the rules or the orders for the time being in force and in the event of suitable candidates being not available from the Employmnet Exchange applications may be invited through advertisement.

15. Procedure for direct recruitment to the posts of Clerks/Typists.-Recruitment to the posts of Clerks/Typists shall be made in accordance with the provisions of Subordinate Offices Ministerial Stall (Direct Recruitment) Rules, 1975:

Provided that recruitment to 10 per cent of the vacancies of Clerks/Typists shall be made from amongst the employees of Group ‘D’ in accordance with the orders of the Government for the time being inforce.

(i) 16. Procedure for direct recruitment to the post of.-(1) For the purpose of making recruitment to the post of Stenographer there shall be constituted a Selection Committee comprising Appointing Authority.

(ii) An officer not below the rank of Group ‘B’ to be nominated by the appointing authority.

(iii) An officer not below the rank of Group ‘B’, to be nominated by the appointing authority.

NOTE-In nominating the officer, the Appointing authority shall keep in view, the order of the Government contained in G.O. No. 15/25/75 S.E.K., dated May 10, 1970 or such other orders as may be inforce at the time of recruitment.

(2) The Selection Committee shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear in a competitive examination and in interview.

(3) After the marks obtained by the candidates in the written test have been tabulated, the Selection committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castyes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates as, on the result of the written examination have come upto the standard fixed by the committee in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written test.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order or merit, as disclosed by aggregate of marks obtained by them in the written test and interview as disclosed by the marks obtained in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the candidates obtaining higher marks in the written test shall be placed higher. The number of the name in the list shall be larger (but not

larger by more than 25 per cent) than the number of vacancies. The list shall be forwarded to the appointing authority.

17. Procedure for recruitment by promotion.-(1) Recruitment by promotion the be made on the basic of seniority subject the rejection of unfit through the selection Committee constituted under rule 16.

(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates, range in order of seniority, and place it before in Selection Committee alongwith their direct rolls and such other records, pertaining the as may be considered proper.

NOTE-Where promotion to any post is to be made from amongst persons in different cadres or offices a binned seniority list shall be prepared by arranging the names of persons in order of seniority or determined from the date of order of their substantive appointment.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in sub-rule (2), and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of Selected candidates arranged in order

of seniority and forward the same to the appointing authority.

18. Combined selection list.- If appointment has to be made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the name of candidates alternately from the list prepared under rules 16 and 17, the first name being from the list prepared under rule 17.

PART IV-APPOINTMENT, PROMOTION CONFIRMATION AND SENIORITY.

19. Appointment- (1) On the occurrence of substantive vacancies the appointing authority shall make appointment by taking candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 15, 16, 17, or 18 as the case may be.

(2) The appointing authority may make appointments in temporary and officiating vacancies also from the lists, referred to the sub0rule (1). If no candidate borne on these lists in available, he may make appointment in such vacancies from persons eligible for appointment under these rules. Such appointment shall last for a period not exceeding one year or the next selection under these rules, whichever be earlier.

20. Promotion.-(1) A person on appointment to a post in the service in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended for more than one year and, in no case beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end or the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3)

shall not entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

21. Confirmation.- A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-

(a) his work and conduct is found to be satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) The appointing authority is satisfied

That be is otherwise fit for confirmation.

22. Seniority.- Seniority in any category of post in the service shall be determined from the date of order of substantive appointment and if two or more persons are appointed together from the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that-

(1) The inter se seniority of persons directly appointed to the service shall be the same as determined at the time of selection.

(2) The inter se seniority or persons appointed to the service by promotion shall be the same as it was in the substantive posts held by them at the time of promotion.

NOTE-(i) candidate recruited directly my lose his seniority if he fails to join without valid reasons when a vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of the reasons will be final.

(ii) Where the order of appointment specifies a particular back date with effect from which a person is to be appointed substantively, that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment. In other cases, it will mean the date of the issue of the order.

PART VII-PAY ETC.

23. Scales of pay.-(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in Appendix I.

24. Pay during probation-(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules

to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government services, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service has passed department examination and undergone training, where prescribed and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall no count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government services shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

25. Criteria for crossing efficiency bar.-(1)

No office Superintendent, Additional office Superintendent or Assistant Office superintendent shall be allowed to cross the efficiency bar unless he has worked diligently and to the best of his ability, his work and conduct is found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

(2) A person, not covered by sub-rule (1) shall not be allowed to cross-

(i) the first efficiency bar unless his work and conduct is found to be satisfactory and unless his integrity is certified;

(ii) the second efficiency bar unless he has worked diligently and to the best of his ability, his work and conduct is found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

PART VIII-OTHER PROVISIONS

26. Canvassing.-No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify his for appointment.

27. Regulation of other matters.-In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulation and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

28. Relaxation from the conditions of service.-Where the State Government is satisfied

that the operation of any rule regulating the conditions of service of person appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, not with standing anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for lea line case in a just and equitable maner.

29. Saving.-Nothing in the ****

affect reservation and other once squired to be provided to candidates to the Scheduled Castes, Scheduled other special categories of persons in ance with the orders of the Government from time to time in this regard.

By order

HARGOVIND I

Additional

Appendix-I

Serial No.	Name of post	No. of posts Per-manent	Tem-porary	Total	Pay scale	Appointing Authority	Sources of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
				Office of the Labour Commissioner, U.P.			
1	Clerk/Typist (General).	113	..	113	Rs.220-5-250-E.B.-6-280-E.B.-8-320.	Additional Laobur Commiss-ioner	By direct Recruitment in secordance with the subordi-nates offices Ministerial staff (Direct Recruitment) Rules, 1975.
2	Assistant	84	..	84	Rs.230-6-290-E.B.-9-335-E.B.-10-385.	Ditto	By promotion from amongst per-manent Clerks/Typists in the Labour Commissioner's Office.
3	Noter and Drafter	76	..	76	Rs. 280-8--296-9--350-EB.-10-440-E.B.-12-460.	Ditto	By promotion from amongst per-nent Assistants, in the Labour Commissioner's Office.
4.	Head Clersk	16	..	16	Rs.300-8-324-9-360-E.B.-10-440-E.B.-12-500.	Labour Comissioner, U.P.	By promotion from amongst per-manent Noter and Drafters in the Laour Commissioners Office and permanent Head Clerks, in the Regional Offices.

5	Assistant Office Superintendent.	5	..	5	Rs.400-15-475- E.B. -15-550.	Ditto	By promotion from amongst permanent Head Clerk in the Labour Commissioner's Office (including Factory Section.)
6	Additional Office Superin dent	1	..	1	Rs.450-25-575-E.B –25-700.	Ditto	By promotion from amongst permanent Assistant Office superintendents in the Labour Commisioner's office.
7	Office Superindendent.	1	..	1	Ditto	Ditto	By promotion from amongst permanent additional Office, Superintendents in the Labour Commissioner's Office.
8	Stenographors	1	..	1	Rs.250-7-285 -E.B.-9-375 -E.B.-10-425.	Additional Labobur Commissioner U.P.	By direct recruitment.
9	Stonographers	23	..	2	Rs.300-8-324-9-360 E.B.-10-440-E.B. -12-500.	Ditto	By promotion from amongst permanent Stonographers in the scale of Rs.250-425 in the Regional offices and of the Head Quarter if available otherwise direct recruitment.

Note – 6 posts of Stenographers are in the selection Grade Rs. 400-20-500-E.B. 20-600

Office to the Chief Inspector of Factories at Headquarter, Kanpur and Regional Offices

	1	2	3	4	5	6	7 8 9
1	Clerk/Typist	37	-	37	Rs. 200-5-250-E.B.-6-280-E.B.--8-320	Chief	By direct recruitment in accordance with the subordinate Office, Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975.
2	Assistant	18	-	18	Rs. 230-6-200-E.B.-9-335-E.B.-10-335	Ditto	By promotion from amongst permanent Clerk/typist
3	Noter and Drafter	34	-	34	Rs. 280-8-200-9-350 -E.B.-10 -400-E.B.-12-460	Ditto	By promotion from amongst permanent Assistance.
4	Head Clerks	12	3	15	Rs. 300-8-324 -9-360-E.B.-10-440-E.B.-12-500.	Labour Com missioner, UP	By promotion from amongst permanent Noter and Drafters.
5	Assistant Ins. pectors	-	6	6	Ditto	Ditto	Ditto.
6	Additional Office Superin tendent	1	-	1	Rs.450-25-575-E.B.--25-700.	Ditto	By promotion from amongst permanent Assistance Office Superintendent.
7	Stenographers	11	3	14	Rs. 300-8-324-9-460 -E.B.-10-440-E.B.-12-500	Chief Ins pector of Fectories, U.P.	By promotion from amongst permanent Stenographers in the soale of Rs. 250-425 in the Regional Officer and at the Head Quarter if available otherwise direct recruitment.

8	Stenographers	4	-	4	Rs. 250-7-285-E.B.-9-375-E.B.-10-425.	Ditto	By direct recruitment.

Office of the Regional, Additional Deputy/Assistant Labour Commissioner, U.P.

	1	2	3	4	5	6	7 8 9
1	Clerk/Typiest	233	90	323	Rs.200-5-250-E.B.-6 280-E.B.-8 -320	Regional Addl.	Direct recruitment in accordance with the Subordinate office, Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules. 1975.
2	Store-keeper	5	2	7	Ditto	Ditto	Direct recruitment.
3	Accounts Clerk	14	-	14	Rs. 230-6-200-E.B.-9 335-E.B.-10-385	Ditto	By promotion from amongst permanent Clerk/typist and Store-Keepers, in the same region
4	Senior Clerks	30	5	35	Ditto	Ditto	Ditto.
5	Stock Verifier	7	1	8	Ditto	Ditto	Ditto.
6	Head Clerks	14	5	19	Rs. 280-8-296-9-350 -E.B.-10-400 -E.B.-12-460	Labour Comm missioner,	By promotion from amongst permanent Senior Clerks Employed in all the Regions.
7	Stenographer	31	8	39	Rs. 250-7-285 -E.B.-9-375 -E.B.-10-425	Regional Addi tional/Deputy Assistant Labour Comissioner	Direct recruitment.

उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव मुख्य सचिव की आज्ञायें

(शिक्षा विभाग)

28 नवम्बर, 1981 ई0

सं0 7519—क 15 (4)—81—8(45)—81—दिनांक 9 नवम्बर, 1981 से उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक श्री आनन्द प्रकाश उपाध्याय श्री सफदर अब्बास रिजवी के स्थान पर जो अनुसचिव के पद पर प्रोन्नत हुए, शिक्षा (12) अनुभाग में अस्थायी अनुीाग अधिकारी नियुक्त किये गये।

त्रिभुवन प्रसाद,

मुख्य सचिव।

(विधान सभा सचिवालय)

1 दिसम्बर, 1981 ई.

सं. 9170 वि—स—अधि (1—9)—139—80—विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश में अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान 500—25—700—द0रो0—40—900—द0रो0—50—1,500 रूपया में श्री जेन्द्र पाल सिंह, स्थापनन्

प्रवर वर्ग सहायक (प्रवरण श्रेणी) को दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 से एतदद्वारा स्थापनन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

November 27, 1981

No. 74.-Sri A.C. Shah, officiating Section Officer, High Court Allahabad is confirmed as Section Officer with effect from September 1, 1981, subject to the ultimate decision of the Writ Petition No. 6053 of 1981 (Harish Chandra Srivastava versus Hon’ble C.J. and others).

By order on Hon’ble the
Chief Justice,
B.P. SINGH,
Additional Registrar.

25 नवम्बर, 1981 ई0

सं0 सी–869–डी0 आर0 (एस0)–81–देड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 की अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 (2) के अन्तर्गत री गौड़ चन्द्र, मुंसिफ, इटावा को रिक्त न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटावा नियुक्त किया जाता है।

सं0सी–870 डी–आर–(एस0)–81–देड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 की अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 (2) के अन्तर्गत श्री बी0पी0 सुमन, मुंसिफ, अलीगढ़ को श्री राजेन्द्र चन्द्र के स्थान पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अलीगढ़ नियुक्त किया जाता है।

सं0 सी–871 डी0आर08एस0)–81–श्री राजेश चन्द्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अलीगढ़ को श्री वी0पी0 सुमनके स्थान पर मुंसिफ, अलीगढ़ नियुक्त किया जाता है।

सं0 सी–872डी0आर0 (एस0)–81–श्री आर0पी0 पांडे, मुंसिफ, अलीगढ़ को रिक्त न्यायालय में मुंसिफ, हाथरस नियुक्त किया जाता है।

30 नवम्बर 1981 ई0

स0 सी–873 डी0आर0 (एस)–81–री सुखवीर सिंह, मुंसिफ, हरदोई को मुंसिफ (निम्न फौजदारी न्यायालय), हरदोई के रूप में स्थानान्तरित किया जाता है।

सं0 सी–874 डी0आर0 (एस0)–81–श्री डी0के0 श्रीवास्तव, मुंसिफ, बस्ती का मुंसिफ, नौगढ़ (बस्ती) के रूपमें स्थानान्तरण सम्बन्धी न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या सी–868/डी0आर0 (एस)–81, दिनांक 17 नवम्बर, 1981 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

न्यायालय की आज्ञा से,

बी0पी0 सिंह,

अतिरिक्त निबन्धक।

November 25, 1981

No. C-869/RD(S)81.- Sri Gaur Chand, Munsif, Etawah is appointed under section 11(2) Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974, as Judicial Magistrate, Ist Class, Etawah in the vacant court.

No. C-870/DS(S)81.- Sri B.P. Suman, Munsif, Aligarh is appointed under section 11(2) Cr. P.C. Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974, as Judicial Magistrate, Ist Class, Aligarh, in vice Shri Rajesh Chandra.

No. C-871/DS(S)81.- Sri Rajesh Chandra, Judicial Magistrate, Ist Class, Aligarh to be Munisf, Aligarh, vice Sri B.P. Suman.

No. C-872/DS(S)81.- Sri R.P. Pandey, Munsif, Aligarh to be Munsif, Hathras in the vacant court.

November 30-1981

No. C-873/DS(S)81.- Sri Sukhvir Munsif, Hardoi to be Munsif, Hardoi (Lower Criminal Court).

No. C-874/DS(S)81.- The Court’s Notification no. C-868/DR(S),-dated November 17, 1981 regarding the transfer of Sri. D.K. Srivastava, Munsif, Basti as Munsif Naugarh (Basti) is hereby cancelled.

By order of the Court,

B.P. SINGH,

Additional Registrar.

रजिस्टर (नं. ए.डी—–4
लाइसेन्स सं. डब्ल्यू. पी.–4
लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 10 जुलाई, 1982 ई. (आषाढ़ 19, 1904 शक संवत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनकी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद ने जारी किया।

श्रम विभाग

28 मई, 1982 ई0

सं. 2059/36–चार–983–77–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्रम चिकित्सा सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करके के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :

उत्तर प्रदेश, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 1982।

भाग एक–सामान्य

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ' (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 1982 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–सेवा की प्रास्थिति–उत्तर प्रदेश श्रम चिकित्सा सेवा, जहां तक इसमें समूह 'क' और 'ख' के पद सम्मिलित है, एक राज्य सेवा है और समूह 'ग' और 'घ' के पदों के संबंध में यह एक अधीनस्थ सेवा है।

3–परिभाषायें–जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में –

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य परिशिष्ट–एक में इस रूप में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(ड़) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से;

(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के सरकार से है;

(छ) ''श्रम आयुक्त'' का तात्पर्य श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश से है;

(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(ञ) ''सचिव'' का तात्पर्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार श्रम विभाग से है;

(ट) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश श्रम चिकित्सा सेवा से है;

(ठ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो, और

(ड) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है

भाग दो–संवर्ग

4–सेवा की सदस्य संख्या (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट–एक में उल्लिखित है

परन्तु –

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद की बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, या

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग तीन–भर्ती

5–भर्ती का स्रोत–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती परिशिष्ट 'ए' में प्रत्येक के सामने उल्लिखित स्रोत से की जायेगी।

6–आरक्षण–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हताएं

7–राष्ट्रिकता–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और केनिया, उगन्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूवीवर्ती तांगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पत्र में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह जो अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8–शैक्षिक अर्हताएं का अनुभव–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास इस नियमावली के परिशिष्ट ''2'' में प्रत्येक पद के लिए विहित अर्हता होनी चाहिए।

9–अधिमानी अर्हताएं–अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो

10–आयु–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून को अवधि में विज्ञापित किये जाय और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि मे विज्ञापित किये जायें, इस नियमावली के परिशिष्ट 2 में विहित आयु सीमा के भीतर होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित हो जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11–चरित्र– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिये पात्र नहीं होगे। नैतिक अघमता के किसी अपराध के लिये दोष–सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12–वैवाहिक प्रास्थिति– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगे जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नि जीवित होः

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

13–शारीरिक स्वस्थता–किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्ट से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि–

(क) सेवा में राजपत्रित पद की स्थिति में, वह चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षा उत्तीर्ण करे और

(ख) सेवा में अन्य पदों की स्थिति में, वह फण्डामेन्टल रूल 10 और उसके अधीन बनाये गये उपनियमों के अनुसार जैसा फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिया गया है स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थ्ता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

14–रिक्तियों का अवधारण और आयोग और सेवायोजन कार्यालय की संसूचना–नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन–जातियों और अन्यश्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले अन्य पदों में रिक्तियों की सूचना सेवायोजन सेवायोजन कार्यालय को तत्समय प्रवृत्त नियमों व आदेश के अनुसार सूचित की जायेगी।

15–आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया–(1) चयन के लिए विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा, विहित प्रपत्र में जो आयोग के सचिव से उपलब्ध होगा। आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीर्णता क्रम में जैसा कि मौखिक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा में उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक होगी किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16–आयोग के कार्यक्षेत्र के बहार के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर के पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति का गठन निम्न लिखित प्रकार से किया जायेगा –

(अ) महिला स्वास्थ्य परिदर्शक/धात्री के पदो ंके लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी   अध्यक्ष

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट श्रम अधिकारी/सहायक

कल्याणकारी अधिकारी   सदस्य

(तीन) जिले की महिला चिकित्सा अधिकारी जिसे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा   सदस्य

(ब) संभाग में अन्य पदो ंके लिये –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी   अध्यक्ष

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट श्रम अधिकारी/सहायक

कल्याणकारी अधिकारी   सदस्य

(तीन) सम्बद्ध शाखा (एलोपैथिक/आयुर्वेदिक होम्योपैथिक) का चिकित्सा अधीक्षक   सदस्य

(2) चयन समिति आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अपेक्षित अर्हताऐं रखने वाले अभ्यर्थियों को बुलायेगी, जितने वह उचित समझे।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक, किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

17–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती निम्नलिखित प्रकार से गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी–

(अ) चिकित्सा अधीक्षक (राजपत्रित) के पद के लिये–

(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग

(दो) श्रम आयुक्त

(तीन) मुख्य सचिव द्वारा नाम–निर्दिष्ट सरकार के एक सचिव।

टिप्पणी–ज्येष्ठ सचिव समिति का अध्यक्ष होगा।

(एक) श्रम आयुक्त।   अध्यक्ष

(दो) अपर श्रम आयुक्त (अधिष्ठान) सदस्य

(तीन) एक अपर श्रम आयुक्त जो श्रम आयुक्त द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा   सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थ्यिों की ज्येष्ठताक्रता में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्यअभिलेख के साथ जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति, उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता–क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18–नियुक्ति–(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां इसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गई सूची में हो, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में से एकक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किया जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथास्थिति चयन में यथा अवधारित ज्येष्ठता क्रम में या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय,

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अधिक या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी और जहां पद आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हो, वहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5(क) के उपबन्ध लागू होंगे।

19–परिवीक्षा–(1) किसी पद पर या सेवा में किसी स्थायी रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा–अवधि को बड़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु आपवादिक कारणों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक और नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में यदि परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरस्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगठना करने के प्रयोजनार्थ के गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो यह संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो नियुक्ति प्राधिकारी विषय उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित कर सकता है और यदि उसका किसी मौलिक पद पर धरणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(5) उप नियम (4) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

20—विभागीय परीक्षा—परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये ऐसे व्यक्ति से जिसने अपने पूर्ववर्ती पद पर विहित स्तर पर विभागीय परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली हो, पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

21—स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा। यदि—

(क) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, या विहित प्रशिक्षण यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो।

(ख) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया जाय।

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान होगा कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

22—ज्येष्ठता—(1) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्त के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से, जिनमें उनके नाम नियुक्त के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगीः

परन्तु नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

परन्तु यह और कि यिद किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 के उपनियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हों।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की गई हो।

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की युक्तियुक्तता सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गई थी।

भाग सात—वेतन इत्यादि

23—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे, मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान इस नियमावली के परिशिष्ट ''एक'' में दिये गये हैं।

24—परिवीक्षा—अवधि में वेतन—(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन बृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर की हो। विभागीय परीक्षा उत्तीण कर ली हो प्रशिक्षण, जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी उसने परिवीक्षा अवधि पूरा कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फन्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25—दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड—किसी व्यक्ति को —

(क) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(ख) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसे निर्दिष्ट मामलों का तुरन्त अनुपालन न किया हो, उसका कार्य और आचरण अन्यथा संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

26—पक्ष समर्थन—किसी पद पर सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

27—ऐसे विषयों के सम्बन्ध मे जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें।

28—सेवा शर्तो में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में शर्तो की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रर्वतन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां यह उस मामले में नियमों में किसी बात के हाते हुए भी, आदेश द्वारा उस

नियम की अपेक्षा की उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें यह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम के अभिमुक्ति देने या उसको शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

29–व्यावृत्ति–इस नियमावली में किसी बात में का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियो के अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–एक

(नियम 5 और 23 देखिए)

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती का स्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
			एलोपैथिक (राजपत्रित)		
1	चिकित्सा अधीक्षक (राजपत्रित)	1	800–50–1050–द0रो0–50–1300–द0रो0–50–1450 रू0	ऐसे स्थायी एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों में से जिन्होंने एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी, के रूप में कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा जिसके अन्तर्गत अस्थायी और स्थानापत्र सेवा भी है, की हो, योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	राज्यपाल
2	चिकित्सा अधीक्षक एलोपैथिक(राजपत्रित)	30	550–30–700–द0रो0–40–900–द0रो0–50–1200 रू0	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	राज्यपाल
3	चिकित्सा अधीक्षक (एलोपैथिक) पी.एम.एस. (राजपत्रित)	5	तदैव	इन पदों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश से अधिकारियों का स्थानान्तरण करके भरा जायेगा।	तदैव
			होमियोपैथिक (राजपत्रित)		
1	चिकित्सा अधीक्षक (आयुर्वेदिक और यूनानी)	1	650–30–800–द0रो0–40–1000–द0रो0–50–1300 रू0	ऐसे स्थायी चिकित्सा अधिकारियों (आयुर्वेद और यूनानी) में से जिन्होंने चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद और यूनानी) के रूप में कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा जिसके अन्तर्गत अस्थायी और स्थानापन्न सेवा भी है, की हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	राज्यपाल
2	चिकित्सा अधीक्षक (आयुर्वेद)	25	550–30–700–द0रो0–40–900–द0रो0–50–1200 रू0	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	तदैव
3	चिकित्सा अधीक्षक (यूनानी)	1	तदैव	तदैव	तदैव
			आयुर्वेदिक और यूनानी (राजपत्रित)		
1	चिकित्सा अधीक्षक	1	450–25–575–द0रो0–25–	ऐसे स्थायी चिकित्सा अधिकारियों (होमियोपैथिक) में से	श्रम आयुक्त उत्तर

	(होम्यिोपैथिक)		700—द0रो0—30—850 रू0	जिन्होंने चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथिक) के रूप में कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा, जिसके अन्तर्गत अस्थायी और स्थानापन्न सेवा भी है, की हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	प्रदेश, कानपुर
2	चिकित्सा अधीक्षक (हाम्यिोपैथिक)	23	400—15—475—द0रो0—20—575—द0रो0—25—750 रू0	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	तदैव
			अन्य अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारी वर्ग		
1	सिस्टर	2	350—15—425—द0रो0—15—500 रू0	स्थायी नर्सो में से जिनके अन्तर्गत नर्स (शिशुकक्ष) नहीं है, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधर पर पदोन्नत द्वारा	श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश, कानपुर
2	नर्स	9	280—8—296—9—350—द0रो—10—400—द0रो0—12—450रू0	सीधी भर्ती द्वारा	सम्बद्ध सम्भाग का प्रभारी, अपर श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त／सहायक श्रम आयुक्त।
3	स्वास्थ्य परिदर्शक (पुरूष)	5	250—7—285—द0रो0—9—375 —द0रो0—10—425 रू0	तदैव	तदैव
4	स्वास्थ्य परिदर्शक (महिला)	2	तदेव	तदैव	तदैव
5	प्रयोगशाला सहायक (प्राविधिक)	2	230—6—290—द0रो0—9—335 —द0रो0— 10—385 रू0	तदैव	तदैव
6	बी0सी0सी0 (प्राविधिज्ञ)	2	230—6—290द0रो0—9—335—द0रो0—10—385 रू0	सीधी भर्ती द्वारा	सम्बद्ध सम्भाग का प्रभारी, अपर श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त／सहायक श्रम आयुक्त।
7	एयस0 रे0 (प्राविधिज्ञ)	2	तदेव	तदैव	तदैव
8	नर्स शिशुकक्ष	1	185—3—215—द0रो0—4—235 — द0रो0—6—265 रू0	तदैव	तदैव
9	कम्पाउन्डर (एलोपैथिक)	60	230—6—290—द0रो0—9—335 — द0रो0—10—385 रू0	तदैव	सम्भागीय कार्यालय का प्रधन
10	कैम्पाउन्डर (होम्योपैथिक)	46	175—3—205—द0रो0—4—225 — द0रो0—5—250 रू0	तदैव	तदैव
11	कम्पाउन्डर (आयुर्वेदिक)	48	200—5—250—द0रो0—6—280 — द0रो0—8—320 रू0	तदैव	तदैव

12	कम्पाउन्डर (यूनानी)	2	तदैव	तदैव	तदैव
13	धात्री	75	185—3—215—द0रो0—4—235 — द0रो0—6—265 रू0	तदैव	तदैव

परिशिष्ट दो

(नियम 5 देखिये)

क्रम सं0	पद का नाम	आयु सीमा	पद केलिए विहित अर्हतायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	समूह ''क'' एलोपैथिक (राजपत्रित)	23 से 35 वर्ष	1—भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की एम0बी0बी0एस0 की उपाधि और उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद द्वारा रजिस्ट्रीकृत 2—देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। समूह 'ख' आयुर्वेदिक यूनानी (राजपत्रित)	
	चिकित्सा अधीक्षक (एलोपैथिक)	23 से 40 वर्ष	1—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यथास्थिति, आयुर्वेदिक या यूनानी में उपाधि या आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्वति बोर्ड, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य बोर्ड का आयुर्वेदिक या यूनानी में पांच वर्षीय उपाधि या डिप्लोमा बोर्ड या गुरूकुल कांगड़ी, जिला सहारनपुर का आयुर्वेदालंकार डिप्लोमा अधिमानी : किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त चिकित्सा संगठन में तीन या चार वर्ष का अनुभव 2—देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान समूह 'ग' होम्योपैथिक (अराजपत्रित)	
	चिकित्सा अधीक्षक (आयुर्वेदिक और यूनानी)	23 से 35 वर्ष	आवश्यक 1—माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये, और	
	चिकित्सा अधीक्षक (होम्योपैथिक) चिकित्सा कर्मचारी वर्ग की अर्हतायें और आयु		उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड, लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से चार या पांच वर्षीय उपाधि या डिप्लोमा, और उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड, लखनऊ में रजिस्टर्ड होना चाहिये। देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। अधिमानी : किसी सरकारी या ख्याति प्राप्त चिकित्सा संस्था में 3 या 4 वर्ष का अनुभव। समूह 'घ' अन्य चिकित्सा कर्मचारी वर्ग	
	नर्स	18 से 35 वर्ष	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और सामान्य नर्सिग में तीन वर्ष का डिप्लोमा और धात्री कर्म में नौ मास का डिप्लोमा और उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिये।	
	स्वास्थ्य परिदर्शक (पुरूष)	22 से 35 वर्ष	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से दो वर्ष का स्वास्थ्य परिदर्शक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये।	

स्वास्थ्य परिदर्शक (महिला)	22 से 35 वर्ष	तदैव
प्रयोगशाला सहायक (प्राविधिक)	18 से 35 वर्ष	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला संस्था से एक वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिये।
बी0सी0जी0 (प्राविधिज्ञ)	18 से 35 वर्ष	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और टी0बी0 डेमो सेन्टर, आगरा से बी0सी0जी0 सेन्टर प्राविधिक प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र और बी0सी0जी0 अधिकारी, लखनऊ से प्रमाण–पत्र होना चाहिये।
एक्सरे (प्राविधिज्ञ)	18 से 35 वर्ष	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और एक्सरे प्राविधिज्ञ की मान्यता प्राप्त संस्था से एक्सरे प्राविधिज्ञ का प्रमाण–पत्र होना चाहिये।
नर्स (शिशुक्षु)	18 से 35 वर्ष	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और सामान्य नर्सिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा और धात्री कर्म में नौ मास का डिप्लोमा और उत्तर पदेश नर्स तथा धात्री परिषद लखनऊ से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिये।
कम्पाउन्डर (एलोपैथिक)	18 से 23 वर्ष	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एलोपैथिक फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिये। देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का भी कार्यकारी ज्ञान होना चाहिये।
कम्पाउन्डर (होम्योपैथिक)	18 से 28 वर्ष	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और रजिस्ट्रीकृत डाक्टरों के रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथिक औषधालय का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये। देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।
कम्पाउन्डर (आयुर्वेदिक)	18 से 28 वर्ष	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और किसी मान्यता प्राप्त संस्था का सहायक वैद्य का दो वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण–पत्र या आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्वति बोर्ड का डेढ़ वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण–पत्र. या ायुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्वति बोर्ड द्वारा संचालित गृह स्वास्थ्य विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण हो। देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का भी कार्यकारी ज्ञान होना चाहिये
कम्पाउन्डर (यूनानी)	18 से 28 वर्ष	तदैव
धात्री	18 से 35 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में सहायक नर्स और धात्री कर्म में दो वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिये।

आज्ञा से,

एस0के0 त्रिपाठी
सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

श्रम विभाग

अनुभाग–4

प्रकीर्ण

27 नवम्बर, 1991 ई.

सं. 4177/36–4–332–74–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्रम चिकित्सा सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करके के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :

उत्तर प्रदेश, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 1991।

भाग एक–सामान्य

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश, सेवा नियमावली, 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–सेवा की प्रास्थिति–उत्तर प्रदेश श्रम चिकित्सा सेवा, जहां तक इसमें समूह 'क' और 'ख' के पद सम्मिलित है, एक राज्य सेवा है और समूह 'ग' और 'घ' के पदों के संबंध में यह एक अधीनस्थ सेवा है।

3–परिभाषायें–जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में –

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य परिशिष्ट–एक में इस रूप में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(ड़) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से;

(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के सरकार से है;

(छ) ''श्रम आयुक्त'' का तात्पर्य श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश से है;

(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश श्रम सेवा से है;

(ञ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ड) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है

भाग दो–संवर्ग

4–सेवा का सवंर्ग (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट में दी गयी है;

परन्तु –

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद की बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, या

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग तीन–भर्ती

5–भर्ती का स्रोत–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी।

(1) अपर श्रमायुक्त – मौलिक रूप से नियुक्त उप श्रमायुक्तों में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(2) उप श्रम आयुक्त– मौलिक रूप से नियुक्त क्रम संख्या (4) पर उल्लिखित अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष्र की पहली जुलाई को अपने–अपने पदों पर उस रूप में कम से कम पांच वर्षकी निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) अधिशासी अभियन्ता– मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को उस रूप में कम से कम सात वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(4) (एक) ज्येष्ठ शोध अधिकारी

(दो) श्रमिक संघों के उपनिबंधक

(तीन) श्रमिक संघों के निरीक्षक

(चार) स्थायी आदेश अधिकारी (स्टन्डिंग कार्डर्स आफिसर)

(पांच) दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के उप–मुख्य निरीक्षक

(छः) श्रम अभिसूचना अधिकारी

(सात) सहायक श्रमायुक्त

(एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सहायक कल्याण अधिकारी, श्रमिक संघों के सहायक निबन्धक, शोध अधिकारी, ज्येष्ठ श्रम अधिकारी (नियोजन और सांख्यिकी) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को अपने–अपने पदों पर उस रूप में कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वाराः

(8) (एक) सहायक कल्याण अधिकारी

(दो) श्रमिक संघों के सहायक निबन्धक

(तीन) शोध अधिकारी

(चार) ज्येष्ठ श्रम अधिकारी (नियोजन और सांख्यिकी)

(1) मौलिक रूप से नियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी/श्रमिक संघ के सहायक निरीक्षक/महिला कल्याण निरीक्षक/ज्येष्ठ अन्वेषक/मुख्य सांख्यिकी सहायक/ज्येष्ठ शोध सहायक/ज्येष्ठ शोध सहायक (नियोजन) सांस्कृतिक अधिकारी/ज्येष्ठ अन्वेषक (महिला) सांख्यिक में से जिन्होंने भर्ती वर्ष की पहली जुलाई को अपने–अपने पदों पर उस रूप में कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये पर्याप्त संख्या में उपयुक्त पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी/श्रमिक संघों के सहायक निरीक्षक/कल्याण निरीक्षक/महिला कल्याण निरीक्षक/ज्येष्ठ अन्वेषक/मुख्य अन्वेषक/मुख्य सांख्यिकी सहायक/ज्येष्ठ शोध सहायक/ज्येष्ठ शोध सहायक (नियोजन) को जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को अपने–अपने पदों पर उस रूपमें कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करते हुए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं।

(5) सहायक अभियन्ता– मौलिक रूप से नियुक्त अपर अभियन्ताओं में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को उस रूप में कम से कम दस वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(6) श्रमायुक्त के वैयक्तिक सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त कार्यालय अधीक्षक/अपर कार्यालय अधीक्षक/सहायक कार्यालय अधीक्षक में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वाराः

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त पात्र व्यक्ति उपलब्ध न होंतो मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य लिपिकों को सम्मिलित करते हुए पात्रता के क्षेत्र में कर सकते हैं।

(7) प्रचार अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ पत्रकों औरसांस्कृतिक अधिकारीयों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(2) जहां किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति एक से अधिक पोषण संवर्गों से की जानी हो, वहां उनके अपने–अपने पदों पर उनकी मौलिक रूप से नियुक्ति के दिनांक द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में पात्रता के क्षेत्र में व्यक्तियों के नाम रखकर पात्रता सूची तैयार की जायेगी व्यक्ति नियुक्त किये गये थे वहां अधिक आयु वाले व्यक्ति का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। इस प्रकार नाम रखने पर समान पद धारण करने वाले व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता को अव्यवस्थित नहीं किया जायेगा।

परन्तु जहां पोषण संवर्ग में पर विभिन्न वेतनमानों में हों वहां उच्चतर वेतनमान वाले पद धारकों के नाम पात्रता सूची में पहले रखे जायेंगे और निम्न वेतनमान के पदधारकों के नाम उसके बाद रखे जायेंगे।

(3) यदि पात्रता के क्षेत्र में किसी कनिष्ठ व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने अपेक्षित अवधि की सेवा पूरी नहीं की है, सम्मिलित किया जायगा।

6–आरक्षण–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हताएं

7–राष्ट्रिकता–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और केनिया, उगन्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूवीवर्ती तांगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पत्र में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह जो अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8–शैक्षिक अर्हताएं–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता अवश्य होनी चाहिए।

9–अधिमानी अर्हताएं–ऐसे अभ्यर्थी को जिसने

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा।

10–आयु–सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को भर्ती के उस कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई को जब आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जायं, 21 वष की हो जानी चाहिए और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित हो जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11—चरित्र— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिये पात्र नहीं होगे। नैतिक अघमता के किसी अपराध के लिये दोष—सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12—वैवाहिक प्रास्थिति— सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगे जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नि जीवित होः

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

13—शारीरिक स्वस्थता—किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण—पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच—भर्ती की प्रक्रिया

14—रिक्तियों का अवधारण—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन—जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।

15—आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आवेदन—पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में दिये गये प्रारूप में होगा।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश का प्रमाण—पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले उतने अभ्यर्थियों को बुलायेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और नियुक्ति के लिए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितनी वह उचित समझे यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16–आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–नियम 5 की क्रम–संख्या (4), (5), (7) और (8) पर उल्लिखित पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर और श्रम अयुक्त के वैयक्तिक सहायक के पद पर श्रेष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

17–विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–(1) अपर श्रम आयुक्त के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर और उप श्रम आयुक्त और अधिशासी अभियन्ता के पदों पर चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :

(एक) सरकार के कार्मिक विभाग में सचिव या उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो।

(दो) सरकार के श्रम विभाग में सचिव।

(तीन) श्रम आयुक्त।

ज्येष्ठता सचिव समिति का अध्यक्ष होगा।

(2) नियम 5 के उपनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) पात्रता सूची नियमावली 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे समय अभिलेख के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निद्रिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची, भर्ती के समय प्रवृत सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी।

18–संयुक्त चयन सूची–यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18–नियुक्ति–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां इसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में से एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किया जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथास्थिति चयन में यथा अवधारित ज्येष्ठता क्रम में या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, ज्येष्ठता क्रम मकें किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में रखें जायेंगे।

20—परिवीक्षा—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बड़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु आपवदिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक और नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर पारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च्व पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगठना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

21—स्थायीकरण—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजन बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो तो, वहां उस नियमावली के नियम—5 के उपनियम 3) के अधीन यह घोषणा करने का आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का विदेश समझा जायगा।

22—ज्येष्ठता—किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से युक्त व्यक्तियों की समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात—वेतन इत्यादि

23—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान इस नियमावली के परिशिष्ट में दिये गये हैं।

24—परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन बृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर की हो। विभागीय परीक्षा उत्तीण कर ली हो प्रशिक्षण, जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी उसने परिवीक्षा अवधि पूरा कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फन्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25—दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड—किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परता और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

26—पक्ष समर्थन—सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

27—अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध मे जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य—कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें।

28—सेवा शर्तो में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में शर्तो की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रर्वतन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां यह उस मामले में नियमों में किसी बात के हाते हुए भी, आदेश द्वारा उस

नियम की अपेक्षा की उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें यह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम के अभिमुक्ति देने या उसको शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

29—व्यावृत्ति—इस नियमावली में किसी बात में का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियो के अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

(नियम 4 (2) और 23 (2) देखिये)

क्रम सं0	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	अपर श्रमायुक्त	3	3	6	3,700—125—4,700—150—5,000
2	उप श्रमायुक्त	18	4	22	3,000—100—3,500—125—4,500
3	अधिशासी अभियन्ता	1	—	1	3,000—100—3,500—125—4,500
4	(एक) ज्येष्ठ शोध अधिकारी	1	—	1	2,200—75—2,800—ई0वी0—100—4,000
	(दो) श्रमिक संघों के उप निबन्धक	1	—	1	2,200—75—2,800—ई0वी0—100—4,000
	(तीन) श्रमिक संघ निरीक्षक	2	—	2	2,200—75—2,800—ई0वी0—100—4,000
	(चार) स्थायी आदेश अधिकारी (स्टैगिं आर्डस आफिसर)	1	—	1	2,200—75—2,800—ई0वी0—100—4,000
	(पांच) दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के उप मुख्य निरीक्षक	1	—	1	2,200—75—2,800—ई0वी0—100—4,000
	(छः) श्रम सतर्कता अधिकारी	1	—	1	2,200—75—2,800—ई0वी0—100—4,000
	(सात) सहायक श्रमायुक्त	38	—	71	2,200—75—2,800—ई0वी0—100—4,000
5	सहायक अभियन्ता	2	33	2	2,200—75—2,800—ई0वी0—100—4,000
6	श्रमायुक्त के वैयक्तिक सहायक	1	—	1	1,640—60—2,600—ई0बी0—75—2,900
7	प्रचार अधिकारी (प्रकाशन)	1	—	1	2,000—60—2,300—ई0बी0—75—3,200
8	(एक) सहायक कल्याण अधिकारी	8	—	8	2,000—60—2,300—ई0बी0—75—3,200
	(दो) श्रमिक संघों के सहायक निबन्धक	2	—	2	2,000—60—2,300—ई0बी0—75—3,200
	(तीन) शोध अधिकारी	1	—	1	2,000—60—2,300—ई0बी0—75—3,200
	(चार) ज्येष्ठ श्रम अधिकारी (नियोजन और साख्यिकी)	2	—	2	2,000—60—2,300—ई0बी0—75—3,200

आज्ञा से,

मोहिन्दर सिंह

सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र दिनांक, 14–12–91 भाग 1–क में प्रकाशित।

(प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–)

पी0एस0यू0पी0–33सा0 (श्रम)–16–12–91–400 मोनी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

श्रम विभाग

अनुभाग–3

अधिसूचना

6 जून, 1992 ई.

सं. 378/36–4–332–62 (अवि0)–84–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्रम चिकित्सा सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करके के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :

उत्तर प्रदेश, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 1992।

भाग एक–सामान्य

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश, सेवा नियमावली, 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–सेवा की प्रास्थिति–उत्तर प्रदेश श्रम चिकित्सा सेवा, जहां तक इसमें समूह 'क' और 'ख' के पद सम्मिलित है, एक राज्य सेवा है और समूह 'ग' और 'घ' के पदों के संबंध में यह एक अधीनस्थ सेवा है।

3–परिभाषायें–जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में –

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य परिशिष्ट–एक में इस रूप में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(ड़) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के सरकार से है;

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश श्रम सेवा से है;

(झ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है

भाग दो—संवर्ग

4—सेवा का सवंर्ग (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट में दी गयी है;

परन्तु —

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद की बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, या

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग तीन—भर्ती

5—भर्ती का स्रोत—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी।

1)सांख्यिक— सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती सहायकों में से जिन्होंने वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(2) श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक ट्रेड यूनियन निरीक्षक और हितकारी निरीक्षक—(एक) 50 प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) (क) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे हितकारी अधीक्षक, गृह निरीक्षक, हिन्दी अनुपादक, अनुवाचक, प्रूफ शोधक में से जिन्होंने भर्ती के वष्र के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(ख) 7.5 प्रतिशत श्रम आयुक्त के कार्यालय और कारखाना निदेशालय के मौलिक रूपसे नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, क्रमशः 4:1 के अनुपात में, पदोन्नति द्वारा।

(ग) 7.5 प्रतिशत श्रम आयुक्त के कार्यालय और कारखाना निदेशालय के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, क्रमशः 3:1 के अनुपात में पदोन्नति द्वारा।

(घ) 10 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य लिपिकों और क्षेत्रीय ऊपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालयों के वरिष्ठ सहायकों, पूरी सेवा कर ली हो, द्वारा।

(3) महिला हितकारी निरीक्षिका— (एक) 50 प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसी महिला अभ्यर्थियों में से जो—हितकारी अधीक्षक, गृह निरीक्षक, हिन्दी अनुवादक, अनुवादक, पर शोध अधीक्षक अन्वेषक (महिला) के पदपर आर्यालयों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम वर्ष में कोई इस रूप में पांच वष की सेवा पूरी कर ली हो, द्वारा।

(4) सांस्कृतिक अधिकारी— मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पत्रकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(5) सांख्यिकी सहायक (महिला सांख्यिकी को समिमलित करते हुये) –एक 50 प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधीक्षक एवं संगणकों में से, जिन्होंने भर्ती के रूप में प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(6) हितकारी अधीक्षक, गृह निरीक्षक और अन्वेषक एवं संगणक– (एक) 50 प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक हितकारी अधीक्षकों, सहायक गृह निरीक्षकों, श्रम सहायकों श्रम अन्वेषकों ज्येष्ठ अन्वेषकों और श्रम अन्वेषकों (महिला) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस कोई इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(7) हिन्दी अनुवादक– प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(8) अनुवादक और प्रूफ शोधक– प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(9) श्रम सहायक, श्रम अन्वेषक और ज्येष्ठ अन्वेषक सहायक गृह निरीक्षक औरसहायक हितकारी अधीक्षक–(एक) 50 प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे हितकारी सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(10) श्रम अन्वेषक (महिला)– प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(11) ज्येष्ठ पत्रकार–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पत्रकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(12) पत्रकार– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ प्रचार सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(13) पुस्तकालय– मौलिक रूपसे नियुक्त ऐसे पुस्तकालय सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष में प्रथम पदोन्नति द्वारा।

(14) पुस्तकालय सहायक– साक्षात्कार के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(15) ज्येष्ठ प्रचार सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ प्रचार सहायक प्रूफ शोधक और फोटो प्रचार एवं क्षेत्र प्रचार सहायक में से जिनका भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूपमें तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो पदोन्नति द्वारा।

(16) हितकारी सहायक– (एक) 50 प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसी सहायक महिला हितकारी अधीक्षक, सिलाई शिक्षिका एवं गृह सहायिका और स्काउट संगठकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी करली हो, पदोन्नति द्वारा।

(17) सहायक महिला हितकारी अधीक्षक, स्काउट संगठक (अनुदेशक) सिलाई शिक्षिका एवं गृह सहायिका, फोटोग्राफर एवं क्षेत्र प्रचार सहायक, कनिष्ठ प्रचारसहायक और प्रूफ शोधक–विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(18) ज्येष्ठ परीक्षक– मौलिक रूपसे नियुक्त ऐसे लेखा परीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इन रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(19) लेखा परीक्षक– प्रतियोगिता परीक्षा और के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(20) अपर अभियन्ता– (सिविल) अपर अभियन्ता (विद्युत) के पर्यवेक्षक–प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(21) नक्शानवीस (ड्रापट्समैन) (सिविल)– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कन्ष्ठि नक्शानवीस (सिविल) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(22) नक्शानवीस (ड्रापट्मैन) (यांत्रिक) और कनिष्ठ नक्शानवीस (ड्रापट्मैन) (सिविल) साक्षात्कार के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(23) फिटर (कार्यकुशलता अनुभाग) विभागीय चयन सीधी भर्ती के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

6.आरक्षण– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार लिया जायेगा।

भाग चार–अर्हताएं

7–राष्ट्रिकता–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और केनिया, उगन्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूवीवर्ती तांगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पत्र में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह जो अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा

सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8.शैक्षिक अर्हता– सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है–

पद एवं अर्हता

(1) श्रम प्रवर्तन अधिकारी– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि।

(2) सहायक ट्रेड यूनियन निरीक्षक– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि।

(3) हितकारी निरीक्षक– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि।

(4) महिला हितकारी निरीक्षिका– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि।

अधिमानी अर्हताएं–

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में उपाधि।

(दो) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से श्रम प्रशिक्षण या समाज सेवा में उपाधि या डिप्लोमा।

(5) सांख्यिकी सहायक– (महिला सांख्यिकी सहायक सम्मिलित करते हुये)– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित (सांख्यिकी) या गणितीय सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके साथ मान्यताप्राप्त कोई उपाधि।

(6) हितक के अधीक्षक–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

अधिमानी अर्हता –

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी महिला संस्थान से समाज सेवा से उपाधि या डिप्लोमा।

(दो) श्रम कल्याण और सामाजिक क्रिया कलापों या व्यावहारिक अनुभव।

(तीन) लेखा–परीक्षा और लेखा कार्य का ज्ञान।

(7) गृह निरीक्षक–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(8) आय एवं संगणक – भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के गणित या सांख्यिकी, के राज्य सरकार की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता की कोई उपाधि।

अधिमानी अर्हता –

किसी सरकारी कार्यालय में या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में किसी निगम या विक्रय में आंकड़े की करने का दो वर्ष का अनुीाव।

(9) हिन्दी अनुवादक–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

अधिमानी अर्हता –

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर उपाधि।

(दो) किसी सरकारी कार्यालय में या सरकार के स्वामित्व करण या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय में किसी सुविख्यात प्रकाशन इकाई या विज्ञापन में अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद करने का अनुभव।

(10) वादक और प्रूफ शोधक–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि।

(दो) किसी सरकारी कार्यालय में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन निगम या निकाय में, या किसी सुविख्यात प्रकाशन इकाई या विज्ञापन अभिकरण में अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का अनुभव।

(तीन) किसी सरकारी कार्यालय, किसी सुविख्यात समाचार–पत्र या किसी अच्छे विज्ञापन अभिकरण में हिन्दी और अंग्रेजी प्रूफ शोधन का दो वर्ष का अनुभव।

(11) श्रम सहायक, श्रम अन्वेषक, ज्येष्ठ अन्वेषक, सहायक गृह निरीक्षक, सहायक हितकारी अधीक्षक और श्रम अन्वेषक (महिला) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या वाणिजय में स्नातक उपाधि।

अधिमानी अर्हता–

(एक) काशी विद्यापीठ या ऐसी ही किसी संस्था से प्रशिक्षण और समाज कार्य डिप्लोमा।

(दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि।

(12) पुस्तकालय सहायक– (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पुस्तकालय विज्ञानमें प्रमाण–पत्र।

अधिमानी अर्हता–

किसी ऐसे पुस्तकालय में, जिसमें कम से कम दस हजार पुस्तकें हों, कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।

(13) हितकारी सहायक–(एक) से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि।

(दो) कल्याण क्रियाकलापों में अनुभव औरकिसी सरकारी कार्यालय में या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय में लेखा के रख–रखाव का ज्ञान।

(14) सहायक महिला हितकारी अधीक्षक– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि।

अधिमानी अर्हता–

अर्थशास्त्र या वाणिज्य में मास्टर उपाधि

(15) स्काउट संगठक (अनुदेशक)–(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2) किसी जिला या प्रान्तीय स्काउट से या संगम से स्काउटिंग में अनुदेशक का प्रमाण–पत्र या ऐसे स्काउट संगठन में संगठनात्मक कार्य करने का प्रमाण–पत्र।

अधिमानी अर्हता–

संगीत और देशी व्यायाम का ज्ञान–

(16) सिलाई शिक्षिका एवं गृह सहायिका–(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के गृह विज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हों।

(दो) सिलाई, टांका लगाने और फर्श कारीगरी में प्रशिक्षण देनेवाले सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से दो वर्ष का प्रमाण–पत्र या डिप्लोमा।

(17) फोटोग्राफरएवं क्षेत्र प्रचार सहायक–(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई परीक्षा उत्तीण हो।

(2) किसी सरकारी कार्यालय में या सरकार के स्वामित्वाधीनया नियंत्रणाधीनकिसी निगम या निकाय में या किसी निजी स्टूडियो में फोटोग्राफर के रूपमें कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव, और सभी प्रकार के फोटोग्राफी कार्य से पूर्णतः परिचित हो।

(3) दृश्य–श्रव्य प्रचार का ज्ञान।

(18) कन्ष्ठि प्रचार सहायक–(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक उपाधि यासरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि।

(2) किसी सरकारी संगठन या किसी सुविख्यात प्रचार संस्था (कन्सर्न) में दृश्य–श्रव्य (आडियो विजुअल) प्रचार कार्य करने का तीन वष्र का व्यावहारिक अनुभव।

अधिमानी अर्हता–

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि।

(दो) किसी ऐसे सुविख्यात दैनिक समाचार–पत्र में, जिसका परिचालन कम से कम दस हजार हो, सम्पादकीय और रूप–लेख (फोवर्स) लिखने का अनुभव।

(19) प्रूफ शोधक– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि।

अधिमानी अर्हता–

किसी सरकारी कार्यालय में या किसी सुविख्यात समाचार–पत्र या विज्ञापन अभिकरण में प्रूफ शोधन का दो वर्ष का अनुभव।

(20) अवर अभियन्ता (सिविल)– प्रविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई अर्हता।

अधिमानी अर्हता–

किसी सरकारी विभाग में या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय में या किसी सुविख्यात निजी (प्राइवेट) कम्पनी में कार्य करनेका एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

(21) अवर अभियन्ता (विद्युत)– प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई अर्हता।

अधिमानी अर्हता–

किसी सरकारी विभाग या अर्द्वसरकारी संगठन स्वायत्तशासी निकाय या किसी सुविख्यात निजी (प्राइवेट) कम्पनी में कार्य करने का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

(22) सर्वेक्षण– प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा या उसके समकक्ष अर्हता या सर्वेक्षण कार्य में शिक्षुता के एक वर्ष के प्रवीणता प्रमाण पत्र सहित व्यावसायिक कार्य में व्यावसायिक कार्य की राष्ट्रीय परिषद् का दो वर्ष का प्रमाण–पत्र।

अधिमानी अर्हता–

किसी सरकारी विभाग, अर्द्वसरकारी संगठन, स्वायतशासी निकाय या किसी सुविख्यात निजी (प्राइवेट) कम्पनी में कार्य करने का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

(23) नक्शानवीस (ड्रापट्समैन) (यांत्रिक)– (एक) किसी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थानसे मशीन ड्राइंग में व्यावसायिक कार्य की राष्ट्रीय परिषद् का दो वष्र का प्रमाण पत्र।

(दो) किसी सरकारी विभाग, अर्द्धसरकारी संगठन, स्वायतशासी निकाय याकिसी सुविख्यात निजी (प्राइवेट) कम्पनी में कार्य करने का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

(24) अवर ड्रापटसमैन (नक्शानवीस) (सिविल)– किसी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थानसे सिविल अभियंत्रण ड्राइंग में व्यावसायिक कार्य की राष्ट्रीय परिषद् को दो वर्ष का प्रमाण–पत्र।

अधिमानी अर्हता–

किसी सरकारी विभाग, अर्द्धसरकारी संगठन, स्वायतशासी निकाय या किसी सुविख्यात निजी कम्पनी में कार्य करने का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

(25) फिटर (कार्य कुशलता अनुभाग)– सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानसे फिटर में कार्य का दो वर्ष का प्रमाण–पत्र।

9.अधिमानी अर्हता– ऐसे अभ्यर्थी को जिसने (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवाकी हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''वी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उन्य बातों के उत्पन्न होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

10. आयु–स्काउट संगठन (अनुदेशक) सिलाई शिक्षिका एवं गृह सहायिका, फोटोग्राफर एवं क्षेत्र प्रचार सहायक, फिटर (कार्य कुशलता अनुभव) के पदों पर सीधी भर्ती के लिये उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को अठारह वर्ष होनी चाहिये और अन्य पदों पर सीधी भर्ती के लिये इक्कीस वर्ष हो जानी चाहिये और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित हो जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11–चरित्र– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिये पात्र नहीं होगे। नैतिक अघमता के किसी अपराध के लिये दोष–सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12–वैवाहिक प्रास्थिति– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगे जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नि जीवित होः

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

13–शारीरिक स्वस्थता–किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

14–रिक्तियों का अवधारण–नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उसको दी जायगी। विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी उन व्यक्तियों के आवेदन–पत्र सीधी भी सूचित कर सकता है जिनका नाम सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी किसी स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र में विज्ञापन देगा और साथ ही उसकी सूचना

(नोटिस) सूचना पट्ट पर भी चिपकायेगा। ऐसे सभी आपेदन पत्र विभागीय चयन समिति के समक्ष रखें जायेंगे।

(15) प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होनेकी अनुमति के लिये आवेदन—पत्र आयोग द्वारा दिये गये विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में जब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयेग द्वारा दिया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और चरणबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् नियम 6 के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यानमें रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जितने इस सम्बन्ध में लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंग लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकअ हो एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को सिफारिश करेगा जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर—बराबर कुल अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(16) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन—पत्र आयोग द्वारा दिये गये विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् सरकार द्वारा यथा निर्धारित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उन अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा जो आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को सिफारिश करेगा जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर—बराबर अंक प्राप्त करें तो अभ्यर्थियों के नाम उनकी न मान्य उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुये रखे जायेंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(17) साक्षात्कार के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया– (1) साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन–पत्र आयोग द्वारा दिये गये विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अपेक्षित अर्हतायें पूरी करने वाले उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर श्रेष्ठता–क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेंगा।

(18) विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया– (1) सीधी विभागीय भर्ती के प्रयोजनके लिये एक विभागीय चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी ....अध्यक्ष।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अधिकारी अल्प–संख्यक समुदाय को होगा। यदि एक उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध नहो तो ऐसा उपयुक्त अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के निवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ठ किया जायेगा और उपयुक्त अधिकारी को अनुपलब्धता के कारण ऐसा करने में असफल रहने पर ऐसा अधिकारी मण्डलीय आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा

(तीन) यदि नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम–निर्देशिती अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन–जाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नाम–निर्दिष्ट कोई अधिक हो, यदि नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्देशितों अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई नाम निर्दिष्ट अधिकारी........... सदस्य।

(2) नियम 14 के अधीन प्रापत सभी आवेदन–पत्र समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(3) समिति नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करनेकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अपेक्षित अर्हतायें पूरी करने वाले उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जितने वह उचित समझे।

(4) समिति अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो समिति उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर श्रेष्ठता–क्रम में रखेगी। सुची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेंगी।

19. पदोननति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर उत्तर प्रदेश विभागिय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थी की पात्रता सूची उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा औरउसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा। परन्तु जहां किसी रेणी के पदों पर पदौन्नति एक से अधिक पोषक संवर्गो से की जानी है वहां पात्रता के क्षेत्र में व्यक्तियों के नाम उनके अपने–अपने पदों पर मौलिक नियुक्ति के दिनांक द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठताक्रम में रखकर पात्रता सूचियां तैयार की जायगी और जहां दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को इस रूप में नियुक्त किये गये थे वो अधिक आयु वाले व्यक्ति को सूची में ऊपर रखा जायगा। इस प्रकार से रखने में समान पद वाले व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता में गड़बड़ नहीं किया जायगाः

परन्तु यह और कि जहां पोषक संवर्गो में पद भिन्न–भिन्न वेतनमानों में हों, वहां उच्च वेतनमान वाले व्यक्तियों के नाम पहले रखे जायेंगे और निम्न वेतनमान वाले पदों का धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम उसके बाद रखे जायेंगे।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेंगी और यदि आवश्यक हो तो यह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयनसमिति चयनित अभ्यर्थियों की ऐ सूची उस ज्येष्ठताक्रम में तैयार करेगी जो उनके उस संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाना है, और उसे नियुक्ति प्राधिकारी की अग्रसारित करेंगी।

20–संयुक्त चयन सूची–यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

21–नियुक्ति–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां इसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में से एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किया जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथास्थिति चयन में यथा अवधारित ज्येष्ठता क्रम में या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, ज्येष्ठता क्रम मकें किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में रखें जायेंगे।

22–परिवीक्षा–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बड़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु आपवदिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक और नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर पारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगठना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

23–स्थायीकरण–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजन बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो तो, वहां उस नियमावली के नियम–5 के उपनियम 3) के अधीन यह घोषणा करने का आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का विदेश समझा जायगा।

24–ज्येष्ठता–किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से युक्त व्यक्तियों की समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात–वेतन इत्यादि

25–वेतनमान–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान इस नियमावली के परिशिष्ट में दिये गये हैं।

26–परिवीक्षा अवधि में वेतन–(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन बृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर की हो। विभागीय परीक्षा उत्तीण कर ली हो प्रशिक्षण, जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी उसने परिवीक्षा अवधि पूरा कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया होः

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फन्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

27—दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड—किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परता और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

28—पक्ष समर्थन—सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

29—अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध मे जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य—कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें।

30—सेवा शर्तो में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में शर्तो की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रर्वतन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां यह उस मामले में नियमों में किसी बात के हाते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षा की उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें यह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम के अभिमुक्ति देने या उसको शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

31—व्यावृत्ति—इस नियमावली में किसी बात में का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियो के अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

(नियम 3 (क), 4 (2) और 25 देखिये)

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
		अस्थायी	स्थायी	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1	अधीनस्थ श्रम सेवा					
	समूह–एक–	–	1	1	1,600–50–2,300–द0रो0	श्रमायुक्त, उत्तर
1	सांख्यिक	150	206	356	–60–2,600	प्रदेश
2	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	2	10	12	1,400–40–1,600–50–2,	तदैव
3	अधीनस्थ श्रम सेवा	–	4	4	300–द0रो0–60–2,600	
4	समूह–दो–		5	5	1,400–40–1,600–50–2,	श्रमायुक्त, उत्तर
5	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	–	1	18	300–द0रो0–60–2,600	प्रदेश
6	सहायक ट्रेड यूनियन निरीक्षक		18	84	तदैव	तदैव
1	हितकारी निरीक्षक	–	73	42	तदैव	अधिष्ठान के
2	महिला हितकारी निरीक्षका		42	35	तदैव	प्रभारी अपर श्रम
3	सांस्कृतिक अधिकारी	11	31	3	तदैव	आयुक्त
4	सांख्यिकी सहायक (एक	–	1	1	1,350–30–1,440–40–1,	तदैव
5	महिला सांख्यिकी सहायक		1	21	800–द0रो0–50–2,200	अधिष्ठान के
	सहित)				तदैव	प्रभारी अपर श्रम
1	अधीनस्थ श्रम सेवा	4	21	6	तदैव	आयुक्त
2	समूह–तीन–	2	6	6	तदैव	तदैव
3	हितकारी अधीक्षक	–	6	14	तदैव	श्रम आयुक्त,
4	गृह निरीक्षक		10	6	1,200–30–1,560–द0रो0	उत्तर प्रदेश
5	अन्वेषक एवं संगणक	–	6	1	–40–2,040	तदैव
6	हिन्दी अनुवादक		–	1	तदैव	सम्भाग के प्रभारी
1	अनुवादक और प्रूफशोधक	–		2	तदैव	अपर श्रमायुक्त
2	अधीनस्थ श्रम सेवा		1	1	तदैव	तदैव
3	समूह–चार–	–	2	1	तदैव	अधिष्ठान के
4	सहायक गृह निरीक्षक		1	2	तदैव	प्रभारी अपर/
5	सहायक हितकारी अधीक्षक	4	1	80	1,400–40–1,800–द0रो0	उपश्रमायुक्त
6	श्रम सहायक	–	2	1	–50–2,300	तदैव
						अधिष्ठान के

7	श्रम अन्वेषक		51	7	1,350—30—1,440—40—1,	प्रभारी अपर श्रम आयुक्त
8	ज्येष्ठ अन्वेषक	1	1	89	800—द0रो0—50—2,200	
9	श्रम अन्वेषक (महिला)	—	7	1	तदैव	तदैव
10	अन्य प्रकीर्ण पर		84	1	975—25—1,150—द0रो0—3	
11	ज्येष्ठ पत्रकार	—	1	1	0—1,660	
12	पत्रकार		1	6	तदैव	
1	पुस्तकालयाध्यक्ष	—	1	17	तदैव	
2	पुस्तकालय सहायक		6	18	तदैव	
1	ज्येष्ठ प्रचार सहायक	—	5	3	तदैव	
2	हितकारी सहायक		18	1	तदैव	
3	सहायक महिला हितकारी अधीक्षक	—	2	3	950—20—1,150—द0रो0—2 5—1,500	
4			1	1		
5	स्काउट संगठक (अनुदेशक)	29	2	1	1,400—40—1,600—50—2, 300—द0रो0—60—2,600	
6	सिलाई शिक्षिका एवं गृह सहायक	—	1	1	1,400—40—1,800—द0रो0	
7			1		—50—2,300	
	फोटोग्राफर एवं क्षेत्र प्रचार सहायक	—	1		तदैव	
	कनिष्ठ प्रचार सहायक				तदैव	
	प्रूफ शोधक	5			तदैव	
	लेखा परीक्षक प्रकोष्ठ	—			1,200—30—1,560—द0रो0 —40—2,040	
	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक					
	लेखा परीक्षक	—			तदैव	
	प्राविधिक प्रकोष्ठ—				975—25—1,150—द0रो0—3 0—1,660	
	अवर अभियन्ता (सिविल)	—			तदैव	
	अवर अभियन्ता (विद्युत)					
	सर्वेक्षक	—				
	नक्शानवीस (सिविल)					
	नक्शा नवीस (यांत्रिक)	12				
	ओवर ड्राफ्टस मैन (नक्शा नवीस) (सिविल)	—				
	फिटर (कार्य कुशलता अनुभाग)	—				

		1 – – –				

आज्ञा से,

मोहिन्दर सिंह,

प्रमुख सचिव।

क्रम संख्या–91 (ख–3)

रजि. एस.डब्लू./एन0
लाइसेन्स नं. डब्लू. पी.–41
लाइसेन्स टू पोस्ट एंव

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 15 अप्रैल, 1996

चैत्र 26, 1918 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

श्रम अनुभाग–3

संख्या 1159/36–3–62(अधि0)–84

लखनऊ, 15 अप्रैल, 1996

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प्र0आ0–201

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा पदेन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रम सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रम सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996 में कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 15 अप्रैल, 1996

नियम 5 के संसाधन

2— उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली, 1992 में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये संसाधन नियम 5 के खण्ड (2) में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात—

स्तम्भ—1

वर्त्रमान खण्ड

(2) श्रम प्रवर्तनअधिकारी, सहायक ट्रेड यूनियन निरीक्षक और हितकारी निरीक्षक

(एक) 50 प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आयेाग से माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो)(क) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे हितकारी अधीक्षक, गृह निरीक्षक, हिन्दी अनुवादक, अनुवादक, प्रूफ शोधक में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(ख) 7.5 प्रतिशत श्रम आयुक्त के कार्यालय और कारखाना निदेशालय के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे जयेष्ठ सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, क्रमशः 4:1 के अनुपाव में, पदोन्नति द्वारा।

(ग) 7.5 प्रतिशत श्रम आयुक्त के कार्यालय और कारखाना निदेशालय के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस के इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, क्रमशः 3:1 के अनुपात में पदोन्नति द्वारा।

(घ) 10 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य लिपिकों और क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालयों के वरिष्ठ सहायकों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ऐसे, पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(2) श्रम प्रवर्तन अधिकारी सहायक ट्रेड यूनियन निरीक्षक और हितकारी निरीक्षक

(एक) 50 प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आयोग के माध्यम से सीर्धी भर्ती द्वारा।

(दो)(क) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे हितकारी अधीक्षक, गृह निरीक्षक, अन्वेषक एवं संगणक, हिन्दी अनुवाद, प्रूफ शोधक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा को घटा कर 5 वर्ष कर दिया जायेगा।

(ख) 7.5 प्रतिशत श्रम आयुक्त के कार्यालय और कारखाना निदेशालय के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, क्रमशः 4:1 के अनुपात में पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा को घटाकर 5 वर्ष कद दिया जायेगा।

(ग) 7.5 प्रतिशत श्रम आयुक्त के कार्यालय और कारखाना निदेशालय के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, क्रमशः 3:1 के अनुपात में, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा को घटाकर 5 वर्ष कर दिया जायेगा।

(घ) 10 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य लिपिकों और क्षेत्रीय अपर/उपश्रम आयुक्त कार्यालयों के वरिष्ठ सहायकों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि ऊपर लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त पत्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा को घटाकर 5 वर्ष कर दिया जायेगा।

आक्षा से,

नागिन्दर सिंह,

प्रमुख सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no.No. 1159/XXXVI-3-62(Adhi).-84 dated April, 1996 for general information:

No. 1159/XXXVI-3-62(Adhi).-84

Dated Lucknow, April 15, 1996

In exercise of the power conferred by the provise to Article 369 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh subordinated labour service rules, 1992.

COULMN	COLUMN II
Existing clause	Clause as herby subsitted
	service, as such, on the first day the year of recruitment.
	Provided that if suitable eligible candidates are not available for promotion to the above mentioned Post the qualifying service of ten years shall be reduced to five years.

By order,

NAGINDER SINGH,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 02 ता0 श्रम – (188) – 1996–700 (मेके0)।

“kklukns'kksa dk f}rh; ladyu

द्वितीय संकलन में उन शासनादेशों को संकलित किया गया है, जो उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद विभाग में लागू किये गये हैं।

f}rh; ladyu

उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद विभाग में लागू शासनादेशों को उनके जारीहोने की तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में सूची

izFke Hkkx

विभाग का नाम—श्रम विभाग, श्रम आयुक्त संगठन उत्तराखण्ड श्रम भवन नैनीताल रोड हल्द्वानी

क्र0सं0	सेवा नियमावली का नाम	लागू नियमावली	प्रख्यापन तिथि	पेज सं0
1	2	3	4	5
1	श्रमायुक्त संगठन की स्थापना एवं विभागीय संरचना	वर्ष 2001	2605 / औ0वि0 / 147—श्रम / 2001 दिनांक 03 दिसम्बर, 2001	84
2	उत्तरांचल ब्वायलर और कारखाना निरीक्षक सेवा	उत्तरांचल श्रम सेवा (तकनीकी) सेवा नियमावली, 2002	स0 6520 / श्रम सेवा / 466 / 2002 दिनांक 8 नवम्बर, 2002	88

संख्याः 2605/औ0वि0/147–श्रम/2001

प्रेषक,

श्री एस0 कृष्णन्,

सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त,

उत्तरांचल, हल्द्वानी, जिला – नैनीताल

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 03 दिसम्बर–2001

विषय : श्रमायुक्त संगठन की स्थापना एवं विभागीय संरचना।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य में औद्योगिक सद्भाव कायम रखने, औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने पर उसे तत्परता से सुलझाने, श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, श्रम–कानूनों का अनुपालन, बाल–श्रमिकों की प्रथा को समाप्त करने, महिला श्रमिकों का कल्याण आदि महत्वपूर्ण कार्य श्रम–विभाग द्वारा प्रतिपादित किये जा रहे है। श्रमायुक्त कार्यालय की स्थापना एवं विभागीय संरचना का पुर्नगठित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अर्न्तगत एक पद श्रमायुक्त (आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग) का रखा गया है। श्रमायुक्त के पास अतिरिक्त प्रभार होने के कारण मुख्यालय स्तरपर एक उपश्रमायुक्त के पद को भी रखा गया है।

2. कारखाना अधिनियम में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों की सुरक्षा और कार्य–दशाओं सम्बन्धी व्यवस्थाओं की परिपाल करने हेतु एक उपनिदेशक कारखाना/ब्वायलर का पद भी रखा गया है, विभाग का मुख्यालय हल्द्वानी जिला–नैनीताल में विभागीय भवन में ही स्थापित किया गया है।

3. उत्तरांचल के लिये एक अपर श्रमायुक्त के पद को भी रखा गया है, जिस कार्यालय दूहरादून में होगा, इनका मुख्य कार्य प्रशासनिक नियंत्रण के साथ–साथ नोडल–अधिकारी के रूप में शासन से समन्वय स्थापित करना तथा अन्य विधिक कार्य आदि प्रमुख हैं।

4. श्रम–विभाग के अर्न्तगत किन्तु श्रमायुक्त के नियंत्रण से बाहर राज्य में दो श्रम–न्यायालय क्रमशः देहरादून और हल्द्वानी में पहले से गठित है। विधिक आवश्यकता के कारण उत्तरांचल–राज्य में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठनकिया जा चुका है। औद्योगिक न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार के पर पर सहायक श्रमायुक्त संवर्ग के अधिकारी का एक पद श्रमायुक्त संगठन के ढांचे में रखा गया है, इसके अतिरिक्त एक कनिष्ठ–लिपिक/डाटा एंट्री आपरेटन तथा एक चपरासी/अर्दली का पद भी रखा गया है।

श्रमायुक्त संगठन की स्थापना एवं विभागीय संरचना निम्नानुसार सहित की गयी हैः–

(अ) मुख्यालय स्तर

पदनाम	स्वीकृत पद	वेतनमान
श्रमायुक्त	01	
आई0ए0एस / पी0सी0एस0संवर्ग		
उपश्रमायुक्त	01	10000—15200
उपनिदेशक, कारखाना / व्वायलर	01	10000—15200
सहायक श्रमायुक्त	03	8000—13500
सहायक लेखाअधिकारी	01	6500 / 10500
साँख्यकीय सहायक / मुख्य अन्वेषक	01	5000—8000
कार्यालय—अधीक्षक	02	5000—8000
वरिष्ठ—सहायक	04	4500—7000
आशुलिपिक	02	4500—7000
वरिष्ठ सहायक / व0डाटाएंट्रीआपरेटर	14	4000—6000
श्रम अन्वेषक	01	4000—6000
कन्ष्ठि—सहायक / डाटा एंट्री आपरेटर	16	3050—4590
वाहनचालक	01	3050—4590
चपरासी / चौकीदार	06	2550—3200
विद्युतकार	01	2610—3540
ट्रेजरी मैंसेंजर / दफतरी	02	2610—3540 मृत—घोषित
साइक्लोस्टाइलर	01	2610—3540 मृत—घोषित
स्वच्छकार	01	2550—3200 संविदा पर

(ख) क्षेत्रीय / जनपद–स्तर

पदनाम	स्वीकृत पद	वेतनमान
अपर श्रमायुक्त	01	12000–16400
उपश्रमायुक्त	02	10000–15200
सहायक श्रमायुक्त	06	8000–13500
सहायक निदेशक, कारखाना / ब्वायलर	01	8000–13500
चिकित्साधिकारी	01	8000–13500
श्रम प्रवर्तन अधिकारी	23	5000–8000
सहायक संघ निरीक्षक	02	5000–8000
मुख्य–लिपिक	02	5000–8000
वरिष्ठ–सहायक	10	4500–7000
लेखा–निरीक्षक	02	4500–7000
हितकारी अधीक्षक	02	4500–7000
कम्पाउडर	04	4500–7000
सहायक हितकारी अधीक्षक	01	4000–6000
आशुलिपिक	01	4500–7000
आशुलिपिक	04	4000–6000
वरिष्ठ सहायक / व0 डाटाएंट्री आपरेटर	28	4000–6000
हितकारी सहायक	02	4000–6000
सिलाई शिक्षिका कम गृह–सहायिका	04	3200–4900
कनिष्ठ–सहायक / डाटा एंट्री आपरेटर	34	3050–4590
कम्पाउंडर	02	3050–4590
वाहन–चालक	02	3050–4590
मिडवाइफ	03	3050–4590
सहायक संचालक	01	2610–3540
दाई	03	2550–3200
चपरासी कम चौकीदार	54	2550–3200
स्वच्छकार / चौकीदार	09	2550–3200

औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम–न्यायालयों के प्रस्तावित ढांचों में सम्मिलित पदों का विवरण

पीठासीन अधिकारी	02	
आशुलिपिक	02	5000–8000
वरिष्ठ सहायक/वरिष्ठ डाटा एंट्री आपरेटर	02	4000–6000
कन्ष्ठि–लिपिक/डाटा एंट्री आपरेटर	02	3050–4590
चपरासी/अर्दली	04	2550–3200

5– ट्रेजरी मैसेंजर/दफ्तरी, साइक्लोस्टाइलर, के मुख्यालय–स्तर पर रखे गये पदों पर कार्यरत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के उपरान्त उक्त पद मृत–घोषित किये गये हैं, स्वच्छकार का एक पद संविदा के आधार पर रखा जायेगा।

भवदीय

(एस0 कृष्णन)
सचिव

पृष्ठाकंन संख्या : 2605/औ0वि0/147–श्रम/2001 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. महालेखकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
3. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त शासनादेश को राजकीय गजट में पकाशित कर, उसकी 60 प्रतियां शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड–फाइलन

आज्ञा से,

(एस0 कृष्णन)

सचिव।

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन वि0 एवं प्री0 विभाग

दिनांकः 08, नवम्बर–2002 ई0

सं0, 6520/श्रम सेवा/466–श्रम/2002–संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और अन्य का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तरांचल ब्वायलर और कारखाना निरीक्षक सेवा में पर भर्ती और उसमें नियुक्ति व्यक्तियों की संवा की शर्तो कों विनियमित करने के निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तरांचल श्रम सेवा (तकनीकी) नियमावली, 2002

भाग–एक – सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तरांचल श्रम सेवा (तकनीक नियमावली, 2002 कही जायेगी।

2. सेवा की प्रास्थिति– उत्तरांचल श्रम सेवा (तकनीकी) एक राज्य सेवा है, जिस समूह ''क'' और ''ख'' के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषायें– जब तक कि विषय या संन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है।

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है।

(ड) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है।

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

(छ) ''श्रमायुक्त'' का तात्पर्य श्रमायुक्त उत्तरांचल से है।

(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों व आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(झ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तरांचल श्रम सेवा (तकनीकी) से है,

(ण) ''मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी, हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय निहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो,

(ट) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो संवर्ग

4.सेवा का संवर्ग– (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर आधारित की जाये।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है,

परन्तु –

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है, या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो सके,

(2) राज्यपाल ऐसे आंतरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं

जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन – भर्ती

5.भर्ती का स्रोत – (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोंतों से की जायेगी–

(क) उपनिदेशक, कारखाना/ब्वायलर–

मौलिक रूप से नियुक्त सहायक निदेशक, कारखाना/ब्वायलन में जो मैकेनिकल या इलैक्ट्रिकल में उपाधि रखते हों, और जिन्होंने भर्ती के प्रथम वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो, अनुपर्युक्त को अस्वीकार करते हुए,जो क्रम के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ख) सहायक निदेशक कारखाना/ब्वायलरः

शत–प्रतिशत पद आयोग के माध्यम के सीधी भर्ती द्वारा।

6.आरक्षण– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य जातियों के अभ्यर्थीयों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के

भाग चार – अर्हतायें

7.राष्ट्रीयता – सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाइ निवास के अभिप्राय से जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तंजानिया और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से सृजनकिया है,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अधिसूचना,उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रका का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और नहीं देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8.शैक्षिक अर्हतायें– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलैक्ट्रिकल में स्नातकोत्तर उपाधि/या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए।

9.अधिमान अर्हतायें– ऐसे अभ्यर्थी को जिसने – (एक से प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवाकी हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

10. आयु– सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को भर्ती के उस वर्ष पहली जुलाई जब आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ विज्ञापित की जाये की होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी की जाय।

11. चरित्र– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का धारणा ऐसी होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी 5 से उपयुक्त हो, इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी अपना समाधान करें

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या निर्माणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति से किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। किसी ऐसे अपराध के जिसमें नैतिक अधमता अर्न्तेलित हो, दोष सिद्व व्यक्ति भी पात्र नहीं,

12. वैवाहिक परिस्थिति– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा अभ्यर्थी पास न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसके पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता हे, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेषकर विद्यमान है।

13. शारीरिक स्वस्थता– किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वहकिसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो और उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदय किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की चिकित्सा परीक्षा में सफल किया जाये,

परन्तु प्रदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थीयों से स्वास्थ्ता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पाँच—भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारण— नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भर्ती होने वाली रिक्तियों की संख्या और निगम के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थीयों के लिए आरक्षण के पाने वाली रिक्तियों की संख्या भी आरक्षित करेगा।

15. आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती प्रक्रिया—

(1) प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिये आवेदन प्रपत्र जारी किये गये विज्ञापन में दिये गये प्रारूप में होगा।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा जबकि उनके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश का प्रमाण नहीं होगा।

(3) लिखित् परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारिणीबद्व कर लिये जाने के पश्चात् आयोग निगम—6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थीयों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के लिए उस संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगा दो लिखित् परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहँच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकअ हो, एक सूची तैयार करेगा और नियुक्ति के लिये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितनी की उचित समझें। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर—बराबर कुल अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत ने अधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेंगा।

16. विभागीय चयन समिति के माध्यम को पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया उपनिदेशक, कारखाना/ब्वायलर के पद पर चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होगें।

(क) सरकार के सार्थक विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी जा सरकार से संयुक्त सचिव से निम्न स्तर को न हो।

(ख) सरकार के श्रम विभागों में प्रमुख सचिव/सचिव।

(ग) श्रमायुक्त।

ज्येष्ठतम् प्रमुख सचिव/सचिव समिति का अध्यक्ष होगा।

(घ) नियम – 5 के उपनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तरांचल सरकार सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर पात्रता सूची नियमावली1986 के अनुसार संचार करेगा और उनके द्वारा पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अभ्यर्थीयों के नाम, जो जाति उचित समझें जाये, आयोग के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची अभ्यथी के समय सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी।

भाग–छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थाईकरण और ज्येष्ठता

17. नियुक्ति– (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उस क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम यथा स्थिति, नियम–15,16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों

18. परिवीक्षा– (1) सेवा में किसी पद पर मौखिक रूप से नियुक्त व्यक्ति एक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित् किये जायेगें, अलग–अलग मामलों में परीवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जाये।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाये

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदानकरने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे मौलिक पद यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिक न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या उसकी सेवायें समाप्त की जायें वह किसी प्रतिकर का हकदान नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने के अनुमति दे सकता है।

19. स्थाईकरण– (1) उपनियम– (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधानहो जाय कि वह स्थाईकरण के लिये अन्यर्थो उपयुक्त है।

(2) जहाँ, उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थाईकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थाईकरण आवश्यक न हो, वहाँ उस नियमावली के नियम–5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करने का आदेश की सम्बन्धित् व्यक्ति न परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थाईकरण का आदेश समझा जायेगा।

20–ज्येष्ठता–किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से युक्त व्यक्तियों की समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात–वेतन इत्यादि

21–वेतनमान–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे, मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

22–परिवीक्षा अवधि में वेतन–(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन बृद्धि सभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर की हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

23–पक्षसमर्थन–सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थी के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

24–अन्य विषयों का विनियमन–ऐसे विषयों के सम्बन्ध मे जो विर्किष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों सेवा में नियुक्त व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और देशों द्वारा नियंत्रित होगें।

25–सेवा शर्तो में शिथिलता–जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में शर्तो की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रर्वतन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां यह उस मामले में नियमों में किसी बात के हाते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षा की उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें यह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु वहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं का अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उससे परामर्श किया जायेगा।

26—आवृत्ति—इस नियमावली में किसी बात में का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किे गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियो के व्यक्तियों के लिये उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट — 'क'

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या		
		स्थाई	अस्थाई	योग
1	उपनिदेशक, कारखाना ब्वायलर	01	—	01
2	सहायक निदेशक कारखाना ब्वायलर	01	—	01

(एन0एस0 नपलच्याल)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
4. उपनिदेशक, कारखाना/ब्वायलर, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
5. समस्त उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल।
6. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जिला—हरिद्वार को इस आशय प्रषित कि वे कृपया उक्त नियमावली को आगामी असाधारण गजट प्रकाशित कर यथोचित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
7. गोपन अनुभाग।
8. गार्ड—फाइल।

आज्ञा से

(एन0एस0 नपलच्याल)
सचिव

द्वितीय संकलन

उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद विभाग में लागू शासनादेशों को उनके जारी होने की तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में सूची

द्वितीय भाग

विभाग का नाम– श्रम विभाग, श्रम आयुक्त संगठन उत्तराखण्ड श्रम भवन नैनीताल रोड हल्द्वानी

क्र.सं.	नियमावली का पूरा नाम	प्रख्यापन तिथि	पेज0सं0
1	2	3	4
1	ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अन्तर्गत सचिव, श्रम श्रमायुक्त उत्तरांचल को रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स उत्तरांचल नियुक्त करने संबंधी	175/5–3 स.श्र./कैम्प/200–2001 दिनांक 12–1–01	101
2	समस्त क्षेत्रीय उप श्रमायुक्तों को व्यवसाय संघ का उप रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स उत्तरांचल नियुक्त करने संबंधी	177/5–3–स.श्र./कैम्प–2001–2001 दिनुांक 12–1–01	102
3	उत्तरांचल दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 जनहित में छूट दिये जाने के संबंध में	4060/श्रम सेवा/488–श्रम/02 दिनांक 28–6–02	103
4	उत्तरांचल (उ0प्र0 की अधिसूचना दिनांक 24–4–90 जिसके अन्तर्गत संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम 1970 की धारा 10 की उप धारा (1) तथा (2) के प्राविधानों के अधीन सर्व श्री जय विजय मेंटल इण्डस्ट्रियल स्टेट रामनगर, वाराणसी तथा सर्व श्री भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. रानीपुर इकाई हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग उद्योगों की इकाई में संविदा श्रमिक का सेवायोजन निषिद्ध किया गया है)	4809/श्रम सेवायोजन/02 623–श्रम/02 दिनांक 29–10–2002	104
5	उत्तरांचल (उ0प्र0 की अधिसूचना जिसके अन्तर्गत लेखा वर्ष 1991 से या उसके बाद से 10 या उससे अधिक व्यक्ति सेवायोजित करने वाले अनुसूचित प्रतिष्ठानों को बोनस संदाय अधिनियम 1965 के अन्तर्गत आवर्त घोषित किया गया है।)	4814/श्रम सेवायोजन/02, 626–श्रम/02 दिनांक 29–10–2002	106

6	उत्तरांचल (उ0प्र0 शक्कर कारखानों के अकुशल मौसमी कर्मकारों को देय रिटर्निग भत्ते के आदेश 1972	4815/श्रम सेवायोजन/02, 627—श्रम/02 दिनांक 29—10—02	108
7	उत्तरांचल (उ0प्र0 के अभियंत्रण उद्योग जिनमें 50 या उससे अधिक व्यक्ति सेवायोजित हो के न्यूनतम वेतन के निर्धारण की अधिसूचना)	4812/श्रम सेवायोजन/02, 624—श्रम/2002 दिनांक 29—10—02	110
8	उत्तरांचल (उ0प्र0 औद्योगिक विवादों को संसाधन समिति के समक्ष संदर्भित करने की प्रक्रिया के आदेश)	4456/श्रम सेवायोजन/02, 545—श्रम/02 दिनांक 29—10—02	112
9	उत्तरांचल (उ0प्र0 शासन की अधिसूचना जिसके अन्तर्गत संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम 1970 की धारा 10 की उपधारा (1) तथा (2) के प्राविधारों के अधीन सूती उद्योग की ऐसी प्रक्रियाओं, विधियों तथा ऐसे वर्णनों में जो अनुसूची में उल्लिखित है, में संविदा श्रमिक का सेवायोजन निषिद्ध किया गया है)	4813/श्रम सेवायोजन/02, 625—श्रम/02 दिनांक 29—10—02	114
10	उत्तरांचल दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962, टाउन एरिया/नोटिफाइड एरिया क्षेत्र में लागू करने के संबंध में।	विज्ञप्ति 6262/श्रम सेवा/618—श्रम/02 दिनांक 17—12—02?	116
11	साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित श्रम जीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मकारी (सेवा की शर्त) और ़पकीर्ण उपबंध अधिनियम 1955 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1955) की धारा 17 (ख) की उपधारा (1) अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल श्रम विभाग के अधिकारियों को निरीक्षक के रूप में कार्य करने की अधिसूचना श्रमायुक्त उत्तरांचल को सम्पूर्ण उत्तरांचल के लिए निरीक्षक नियुक्त करते है। उप श्रमायुक्त मुख्यालय हल्द्वानी, सहायक श्रमायुक्त मुख्यालय सम्पूर्ण उत्तरांचल के लिए, अपर	3768 (1) /श्रम सेवा/365—श्रम/दिनांक 30—12—03	118—119

	श्रमायुक्त उत्तरांचल देहरादून, सहायक श्रमायुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात को गढ़वाल मण्डल में स्थिति समस्त जनपद के लिए तथा उप श्रमायुक्त कुमायूँ क्षेत्र हल्द्वानी तथा सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कुमायूँ क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात को कुमायूँ मण्डल में स्थिति समस्त जनपदों के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्ति संबंधी अधिसूचना।		
12	संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का एक्ट 1947 की धारा–11 (1) सपठित उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा–89 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह सहर्ष निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा–3 तथा धारा 6 सीके प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रयोगक्तव्य शक्तियॉ श्रमायुक्त उत्तरांचल द्वारा इस शर्त के साथ प्रयोग की जायेगी की ऐसा अभिनिर्णय जिसके लागू करने अथवा न करने से राज्य की समस्त अर्थव्यवस्था, औद्योगिक शान्ति, कानून और व्यवस्था समस्त उद्योग और सरकार की नीति प्रभावित होती हो। उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 3 के अन्तर्गत उक्त अधिकारी द्वारा प्रकाशित नहीं किया जायेगा।	877/VIII/46–श्रम/05 दिनांक 23–3–2005	120
13	कृषि कार्य में नियोजन	1233/श्रम सेवा/228–श्रम/04 दिनांक 2–6–04	121
14	चाय बागान में नियोजन	1340/श्रम सेवा/228–श्रम/04 दिनांक 18–6–04	123
15	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 1998 के अन्तर्गत सहायक श्रमायुक्तों एवं उप श्रमायुक्तों को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किये गये है।	687/VIII/1063–श्रम/05 दिनांक 15–4–05	125

16	श्रमायुक्त/अपर श्रमायुक्त को अपीलीय अधिकारी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना।	690/VIII/1063–श्रम/05 दिनांक 15–4–05	126
17	श्रमायुक्त उत्तराखण्ड को मुख्य निरीक्षक भवन एवं अन्य सन्निर्माण निरीक्षक की नियुक्ति की अधिसूचना।	688/VIII/1063–श्रम/05 दिनांक 15–4–05	127
18	भवन और अन्य संनिमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 का 27) की धारा 42 की उपधारा (3) द्वारा अपर श्रम आयुक्त, सभी उप श्रम आयुक्त, सभी सहायक श्रम आयुक्त, सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी/मुख्य अन्वेषक को निरीक्षक के रूप में नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचना।	689/VIII/1063–श्रम/2005 दिनांक 15–4–05	128
19	होटल एवं रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजन	758/VIII/228–श्रम/2005 दिनांक : 28 अप्रैल, 2005	129
20	प्राइवेट कोंचिग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राइवेट प्राविधक संस्थाओं में नियोजन।	759/VIII/228–श्रम/2005 दिनांक : 28 अप्रैल, 2005	133
21	16 अनुसूचित नियोजन	622/VIII/228–श्रम टीसी–II/01 दिनांक : 10 मई, 2005	136
22	12 अनुसूचित नियोजन	622(1)/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001 दिनांक : 10 मई, 2005	140
23	होजरी उद्योग में नियोजन	207/VIII/228–श्रमटीसी–I/2001 दिनांक : 10 मई, 2005	144
24	क्लबों में नियोजन	207(1)/VIII/228–श्रमटीसी/2005 दिनांक : 10 मई, 2005	147
25	दुकानों में नियोजन	207(2)/VIII/228–श्रमटीसी–I/2001 दिनांक : 10 मई, 2005	150

26	सिनेमा उद्योग में नियोजन	207(2)/VIII/228–श्रमटीसी–I/2001 दिनांक : 10 मई, 2005	153
27	लोक मोटर परिवहन में नियोजन	207(4)/VIII/228–श्रम टीसी–1/2005 दिनांक : 10 मई, 2005	155
28	छोटा मिनियेचन बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निमार्ण उद्योग (चश्में की शीशे और कांच की चूडी बनाने के उद्योग को छोडकर) में नियोजन	207(5)/VIII/228–श्रम टीसी–1/2001 दिनांक : 10 मई, 2005	158
29	वनिकी(फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ट कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन्य उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है में नियोजन।	1794(3)/VIII/228–श्रम टीसी/2001 दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005	161
30	कपड़ा छपाई में नियोजन	1794(4)/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001 दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005	166
31	निजी मुद्रणालयों में नियोजन	1794(5)/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001 दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005	168
32	निजी पुस्तकालयों में नियोजन	1794(6)/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001 दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005	171
33	1– किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल और 2–किसी तेल मिल में नियोजन	1794(7)/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001 दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005	174
34	सिलाई उद्योग में नियोजन	1794(8)/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001 दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005	178
35	एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मेसियों में नियोजन	1794(8)/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001 दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005	181
36	ईट भट्टा उद्योग में नियोजन	1794(1)/श्रम सेवा/228–श्रमटीसी/2001 दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005	183
37	धर्मशालाओं में नियोजन	1794(2)/VIII/228–श्रम टी.सी. 43/2001, दिनांक 18–10–05	186

38	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली 2005 के नियम 17 के द्वारा उप श्रमायुक्त गढ़वाल क्षेत्र देहरादून को राज्य सलाहकार समिति उत्तरांचल का सचिव नियुक्त किये जाने संबंधी अधिसूचना।	2171/VIII/108–श्रम/05 दिनांक 7–11–05	189
39	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली 2005 के नियम 17 के द्वारा अपर श्रमायुक्त गढ़वाल क्षेत्र देहरादून को उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव नियुक्त किये जाने संबंधी अधिसूचना।	2191/VIII/108–श्रम/05 दिनांक 7–11–05	190
40	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1998 के अन्तर्गत राज्य के समस्त तहसीलदारों को सेस कलेक्टर नियुक्त किये गये है।	2277/VIII/680–श्रम/05–टी2 ।।। दिनांक23–11–05	191
41	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1998 के अन्तर्गत राजय के समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्धारण अधिकारी/विहित प्राधिकारी नियुक्त किये गये है।	2278/VIII/680–श्रम/05 टी2 ।। दिनांक 23–11–05	192
42	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अनिनियम 1998 के अन्तर्गत राज्य के समस्त जिलाधिकारियों/अपर जिलाधिकारियों को अपील अधिकारी नियुक्त किये गये है।	2279/VIII/680–श्रम/05–टी 2 ।। दिनांक 23–11–05	194
43	मोटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 अन्तर्गत निरीक्षक नियुक्ति के संबंध में।	1739/VIII/1069–श्रम/04 दिनांक 26–10–06	196
44	कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक नियुक्ति के संबंध में।	1911/VIII/123–श्रम/06 दिनांक 12–1–07	198

उत्तरांचल शासन
श्रम विभाग
सचिवालय भवन, देहरादून।
संख्या– 175/5–3/स0श्र0/कैम्प–2000–2001
दिनांक 12 जनवरी, 2001

<u>अधिसूचना</u>
<u>प्रकीर्ण</u>

ट्रेड यूनियन्स एक्ट, 1926 एक्ट संख्या–16/1926 की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय सचिव, श्रम/श्रमायुक्त उत्तरांचल को उत्तरांचल राज्य के लिये तत्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक के लिये रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स, उत्तरांचल नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव।

संख्या– 175/5–3/स0श्र0/कैम्प–2000–2001

1. महालेखाकार, उत्तरां, 5–ए–थार्न रोड ''सत्यनिष्ठ भवन'', इलाहाबाद।
2. वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. श्रमायुक्त, कानुपर।
4. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी/सहारनपुर।
5. समस्त मुख्य/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त ट्रेड यूनियन्स, उत्तरांचल।
7. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को (अंग्रेजी अनुवाद सहित) असाधारण राजपत्र के विधायी परिशिष्ठ में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 25 प्रतियां सचिव/श्रमायुक्त, उत्तरांचल शासन को तत्काल उपलब्ध करा दें।
8. श्रम सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
9. निजी सचिव, श्रम मंत्री को माननीय श्रम मंत्री के अवलोकनार्थ।

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव।

उत्तरांचल शासन
श्रम विभाग
सचिवालय भवन, देहरादून।
संख्या– 177/5–3/स0श्र0/कैम्प–2000–2001
दिनांक 12 जनवरी, 2001

<u>अधिसूचना</u>

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (अधिनियम संख्या–16 सन् 1926) की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय विभिन्न क्षेत्रीय कायालयों में तैनात समस्त क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त को व्यवसाय संघ का उप रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं, जो रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निर्देशों के अधीन उक्त अधिनियम की धारा–8,10,23 और 24 केधीन व्यवसाय संघें को रजिस्टीकरण करने और रजिस्ट्रेशन को रद्द करने, उनके नाम में परिवर्तन करने और उनका एकीकरण करने से सम्बन्धित शक्तियों और कृत्यों के सिवाय अपने अपने संबन्धित अधिकारिता के क्षेत्रो में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

आज्ञा से

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव।

संख्या– 177/5–3/स0श्र0/कैम्प–2000–2001

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, 5–ए–थार्न रोड ''सत्यनिष्ठ भवन'', इलाहाबाद।
2. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी/सहारनपुर।
3. समस्त मुख्य/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त ट्रेड यूनियन्स, उत्तरांचल।
5. उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. श्रम सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
7. निजी सचिव, श्रम मंत्री को माननीय श्रम मंत्री के अवलोकनार्थ।

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव।

उत्तरांचल शासन
श्रम, सेवायोजन वि0 एवं प्रौद्योगिकी विभाग
संख्या : 4060 / श्रम सेवा / 488–श्रम / 2002
देहरादून : दिनांक 28 जून–2002

अधिसूचना

उत्तरांचल दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम–1962 (एक्ट–1962) की धारा–3 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल नगर पालिका क्षेत्र नैनीताल, उत्तरकाशी, हरिद्वार तथा नगरपालिका /छावनी क्षेत्र मसूरी एवं रानीखेत और नोटिफाइड एरिया जोशीमठ की सीमा के अन्तर्गत स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों को प्रत्येक वर्ष मई से जुलाई की अवधि के लिये अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के प्राविधानों से जनहित में निम्न शर्तो के साथ सहर्ष छूट प्रदान करते हैं :–

1. नियोजित प्रत्येक कर्मचारी को पूरे दिन हर सप्ताह में रोटेशन से अवकाश प्रदान किया जायेगा।
2. कर्मचारी जिनसे सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्य लिया जायेगा जिन्हें स्थानापन्न सवेतन अवकाश उसी सप्ताह में दिया जायेगा।
3. सेवायोजन कर्मचारियों के लिये निर्धारित साप्ताहिक अवकाश के दिनों की सूची दुकान / वाणिज्य अधिष्ठान में प्रदर्शित करेगा तथा इसकी सूचना छूट की अवधि के प्रारम्भ होने से पूर्व क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं सम्बन्धित अपर श्रमायुक्त, देहरादून / उप–श्रमायुक्त, हल्द्वानी, नैनीताल को भेजेगा।

(एन0एस0 नपलच्याल)
सचिव।

पृष्ठाकंन संख्या 4066 / श्रम सेवा / 489–श्रम / 2002 तददिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को साधारण गजट के विधाई परिशिष्ट में प्रकाशित करके इसकी 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, हरिद्वार, अल्मोड़ा तथा चमोली।
4. समस्त अपर / उप / सहायक, श्रमायुक्त, उत्तरांचल।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0एस0 नपलच्याल)
सचिव।

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4809 / श्रम सेवायोजन / 2002, 623–श्रम / 2002

देहरादून : दिनांक 29 / 10 / 2002

<u>अधिसूचना</u>

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना दिनांक 24–4–90 जिसके अन्तर्गत संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (1) तथा (2) के प्राविधानों के अधीन सर्व श्री जय विजय मेटल इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, रामनगर, वाराणसी तथा सर्वश्री भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर इकाई, हरिद्वार को छोड़ कर प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग उद्योग की इकाईयों में संविदा श्रमिक का सेवायोजन निषिद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश की अधिसूचना दिनांक 24–4–90 जिसके अन्तर्गत संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1990 की धारा 10 की उपधारा (1) तथा (2) के प्राविधानों के अधीन सर्व श्री जय विजय मेटल इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रामनगर, वा ामनगर, वाराणसी तथा सर्वश्री भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर इकाई, हरिद्वार को छोड़ कर प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग उद्योग की इकाईयों में संविदा श्रमिक का सेवायोजन निषिद्ध किया गया है। उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

mRrjkpy ¼mRrj izns'k dh vf/klwpuk fnukad 24&4&90 ftlds vUrxZr lafonk Jfed ¼fofu;eu rFkk mRiknu½ vf/kfu;e] 1970 dh /kkjk 10 dh mi/kkjk ¼1½ rFkk ¼2½ ds izkfo/kkuksa ds v/khu loZ Jh t; fot; eSVy b.MLVªh;y bLVsV] jkeuxj] okjk.klh rFkk loZJh Hkkjr gSoh byfSDVªdYl fyfeVsM jkuhiqj bdkbZ] gfj}kj dks NksM+ dj izns'k ds lHkh bathfu;fjax m|ksx dh bdkbZ;ksa esa lafonk Jfed dk lsok;kstu fuf"k) fd;k x;k gS½ vuqdwyu ,oa mikUrj.k vkns'k] 2002

1- laf{kIr “kh"kZd ,oa izkjEHk %&

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश की अधिसूचना दिनांक 24–4–90 जिसके अन्तर्गत संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (1) तथा (2) के प्राविधानों के अधीन सर्व श्री जय विजय मेटल इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, रामनगर, वाराणसी तथा सर्वश्री भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स

लिमिटेड रानीपुर इकाई, हरिद्वार को छोड़ कर प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग उद्योग की इकाईयों में संविदा श्रमिक का सेवायोजन निषिद्ध किया गया है) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2- ^^mRrj in'k** d LFkku ij mRrjkpy i<k tkuk %&

उत्तर प्रदेश की अधिसूचना दिनांक 24–4–90 जिसके अन्तर्गत संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (1) तथा (2) के प्राविधानों के अधीन सर्व श्री जय विजय मेट इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, रामनगर, वाराणसी तथा सर्वश्री भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर इकाई, हरिद्वार को छोड़ कर प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग उद्योग की इकाईयों में संविदा श्रमिक का सेवायोजन निषिद्ध किया गया है में जहां–जहां शब्द ^^mRrj in'k** आया है वहां–वहां वह शब्द ^^mRrjkpy** के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. (उत्तर प्रदेश की अधिसूचना दिनांक 24–4–90 जिसके अन्तर्गत संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (1) तथा (2) के प्राविधानों के अधीन सर्व श्री जय विजय मेटल इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, रामनगर, वाराणसी तथा सर्वश्री भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर इकाई, हरिद्वार को छोड़ कर प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग उद्योग की इकाईयों में संविदा श्रमिक का सेवायोजन निषिद्ध किया गया है) में सर्वश्री जय विजय मेटल इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, रामनगर, वाराणसी के उल्लेख को निरसन कर दिया गया समझा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव।

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4814/श्रम सेवायोजन/2002, 626–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

<u>अधिसूचना</u>

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना दिनांक 8–11–1990 जिसके अन्तर्गत लेखावर्ष 1991 से उसके बाद से दस या उससे अधिक व्यक्ति सेवायोजित करने वाले अनुसूचित प्रतिष्ठानों को बोनस संदाय अधिनियम, 1965 दिनांक 8–11–1990 जिसके अन्तर्गत लेखावर्ष 1991 से उसके बाद से दस या उससे अधिक व्यक्ति सेवायोजित करने वाले अनुसूचित प्रतिष्ठानों को बनेस संदाय अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत आवर्त घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 8–11–1990 जिसके अन्तर्गत लेखावर्ष 1991 से या उसके बाद से दस या उसके अधिक व्यक्ति सेवायोजित करने वाले अनुसूचित प्रतिष्ठानों को बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत आवर्त घोषित किया गया है, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

mRrjkpy ¼mRrj ins'k “kklu dh vf/klpuk ftlds vUrxir y[kko"k 1991 ls ;k mlds ckn ls nl ;k mlls ls vf/kd 0;fDr lsok;kftr djus okys vulqlfpr ifr"Bkuks dks cksul lnk; vf/kfu;e] 1965 ds vUrxir vkorZ ?kkf"kr fd;k x;k gS½ vuqdyu ,o mikUrj.k vkns'k] 2002

1- lf{kIr “kh"kd ,o izkjEHk %&

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश की अधिसूचना जिसके अन्तर्गत लेखावर्ष 1991 या उसके बाद से दस या उससे अधिक व्यक्ति सेवायोजित करने वाले अनुसूचित प्रतिष्ठानों को बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत आवर्त घोषित किया गया है) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहालायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

i"Bkd.k l[;k % 4814@Je lok@2002 rnfnukd

ifrfyfi fuEufyf[kr dk lpukFk ,o vko';d dk;okgh gr izf"kr %&

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलरर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
6. अपर श्रमायुक्त देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाले)

अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4815/श्रम सेवायोजन/2002, 627–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

<u>अधिसूचना</u>

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश शक्कर कारखानों के कुशल मौसमी कर्मकारों को देय रिटेनिंग भत्ते के आदेश, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश शक्कर कारखानों के कुशल मौसमी कर्मकारों को देय रिटेनिंग भत्ते के आदेश, 1972 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

mRrjkpy ¼mRrj izns'k “kDdj dkj[kkuk d dq'ky eklseh dedkjk dk n; fjVfux HkRr d vkns'k] 2002

1- lf{kIr “kh"kd ,o izkjEHk %&

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश शक्कर कारखानों के कुशल मौसमी कर्मकारों को देय रिटेनिंग भत्ते के आदेश, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहालायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :–

उत्तर प्रदेश शक्कर कारखानों के कुशल मौसमी कर्मकारों को देय रिटेनिंग भत्ते के आदेश, 1972 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

i"Bkd.k l[;k % @Je lok@2002 rnfnukd

ifrfyfi fuEufyf[kr dk lpukFk ,o vko';d dk;okgh gr ifs"kr %&

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

2. सचिव, श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलरर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
6. अपर श्रमायुक्त देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाले)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4812/श्रम सेवायोजन/2002, 624–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश अभियंत्रण उद्योग जिनमें 50 या उससे अधिक व्यक्ति सेवायोजित हों (के न्यूनतम वेतन का निर्धारण) अधिसूचना, दिनांक : 15–5–2000 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश अभियंत्रण उद्योग जिनमें 50 या उससे अधिक व्यक्ति सेवायोजित हों (के न्यूनतम वेतन का निर्धारण) अधिसूचना, 2000 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

mRrjkpy ¼mRrj izns'k d vfHk;U=.k m|kx ftues 50 ;k mlls vf/kd 0;fDr lsok;kftr gk ¼d U;ure osru dk fu/kkj.k½ vf/klpuk] fnukd % 15&5&2000 vuqdyu ,o mikUrj.k vkns'k] 2002

1- lf{kIr "kh"kd ,o ikjEHk %&

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अभियंत्रण उद्योग जिनमें 50 या उससे अधिक व्यक्ति सेवायोजित हों (के न्यूनतम वेतन का निर्धारण) अधिसूचना, दिनांक : 15–5–2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहालायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

i"Bkd.k l[;k % 4812@Je lok@2002 rnfnukd

ifrfyfi fuEufyf[kr dk lpukFk ,o vko';d dk;okgh gr ifs"kr %&

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)

5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलरर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
6. अपर श्रमायुक्त देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4456/श्रम सेवायोजन/2002, 545–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 03 की उपधारा (द्य) के अधीन जारी औद्योगिक विवादों को संराधन समिति के समक्ष संदर्भित करने की प्रक्रिया के आदेश, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवादों को संराधन समिति के समक्ष संदर्भित करने की प्रक्रिया के आदेश, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

mRrjkpy ¼mRrj izns'k vk|ksfxd fooknks dks lajk/ku lfefr ds le{k lanfHkZr djus dh izfØ;k ds vkns'k] vuqdyu ,oa mikUrj.k vkns'k] 2002

1- laf{kIr “kh"kZd ,oa izkjEHk %&

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवादों को संराधन समिति के समक्ष संदर्भित करने की प्रक्रिया के आदेश) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहालायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल तथा कानपुर के स्थान पर हल्द्वानी पढ़ा जाना :–

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवादों को संराधन समिति के समक्ष संदर्भित करने की प्रक्रिया के आदेश में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा और जहां–जहां शब्द ''कानपुर'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''हल्द्वानी'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पृष्ठांकण संख्या : 4456/श्रम सेवा/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलरर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
6. अपर श्रमायुक्त देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4813/श्रम सेवायोजन/2002, 626–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

<u>अधिसूचना</u>

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक : 24–4–90 जिसके अन्तर्गत संविदा श्रमिक के अधीन सूती उद्योग की ऐसी प्रक्रियाओं, विधियों तथा ऐसे वर्णनों में जो अनुसूची में उल्लिखित है में संविदा श्रमिक का सेवायोजन निषिद्ध किया गया है,

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना जिसके अन्तर्गत संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा की उपधारा (1) तथा (2) के प्राविधानों के अधीन सूती उद्योग की ऐसी प्रक्रियाओं, विधियों तथा ऐसे वर्णनों में जो अनुसूची में उल्लिखित है में संविदा श्रमिक का सेवायोजन निषिद्ध किया गया है, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

mRrjkpy ¼mRrj izns'k dh vf/klwpuk ftlds vUrxZr lafonk Jfed ¼fofu;eu rFkk mRlknu½ vf/kfu;e] 1970 dh /kkjk dh mi/kkjk ¼1½ rFkk ¼2½ ds izkfo/kkuksa ds v/khu lwrh m|ksx dh ,slh izfØ;kvksa] fof/k;ksa rFkk ,sls o.kZuksa esa tks vuqlwph esa mfYyf[kr gS esa lafonk Jfed dk lsok;kstu fuf"k) fd;k x;k g½ vuqdwyu ,oa mikUrj.k vkns'k] 2002

1- laf{kIr "kh"kZd ,oa izkjEHk %&

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश शासन की की अधिसूचना जिसके अन्तर्गत संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा की उपधारा (1) तथा (2) के प्राविधानों के अधीन सूती उद्योग की ऐसी प्रक्रियाओं, विधियों तथा ऐसे वर्णनों में जो अनुसूची में उल्लिखित है में संविदा श्रमिक का सेवायोजन निषिद्ध किया गया है, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहालायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

i"Bkad.k la[;k % 4513@Je lsok@2002 rnfnukad

izfrfyfi fuEufyf[kr dks lpukFkZ ,oa vko';d dk;Zokgh gsrq izsf"kr %&

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

2. सचिव, श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलरर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
6. अपर श्रमायुक्त देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 6262/श्रम सेवायोजन/2002, श्रम/2002

देहरादून : दिनांक /2002

विज्ञप्ति

उत्तरांचल शासन और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश सरकार संख्या XXIV/धारा–1 उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि अधिनियम के समस्त उपबन्ध इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से परिशिष्ट में उल्लिखित क्षेत्रों में स्थित समस्त और वाणिज्य अधिष्ठानों पर लागू होंगे :–

जिला	टाउन एरिया/नोटिफाईड क्षेत्र का नाम	सरिया/केन्टीनमेन्ट
1–देहरादून	1–चकरौता	केन्टीनमेन्ट बोर्ड
	2–हवर्टपुर	टाउन एरिया
	3–डोईवाला	टाउन एरिया
2–हरिद्वार	1–लक्सर	नोटिफाइड एरिया
3–पौड़ी गढ़वाल	1–लेन्सडाउन	केन्टीमेन्ट बोर्ड
	2–कालागढ़	नोटिफाइड एरिया
4–नैनीताल	1–लालकुआं	टाउन एरिया
5–उधमसिंह नगर	1–कैलाखेड़ा	टाउन एरिया
	2–दिनेशपुर	टाउन एरिया
	3–	टाउन एरिया
	4–	टाउन एरिया
	5–शक्तिनगर	टाउन एरिया
6–अल्मोड़ा	1–द्वाराहाट	नोटिफाइड एरिया

आज्ञा से

(एन0एस0 नपलच्याल)

सचिव

पृष्ठांकण संख्या : /श्रम सेवा/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. श्रम आयुक्त, उत्तरांचल श्रम आयुक्त, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधमसिंह नगर, तथा अल्मोड़ा
4. समस्त अपर/उप/सहायक, श्रमायुक्त, उत्तरांचल।
5. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(के0एस0 दरियाल)

अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या :–/श्रम सेवा /2003

देहरादून दिनांक 30 दिसम्बर 2003

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1955 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1955) की धारा 17–ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनूसची के स्तम्भ – 7 में सम्बन्धित निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अनुसूची के स्तम्भ 3 में उनके सामने उल्लिखित स्थानीय सीमाओं के भीतर अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये निरीक्षक नियुक्त करते हैं :

अनुसूची

क.सं.	निरीक्षक के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी	स्थानीय सीमाओं उनके भीतर कृत्यों का निवर्हन किया जायेगा
1	2	3
1	श्रमायुक्त, उत्तरांचल	सम्पूर्ण उत्तरांचल
2.	उप श्रमायुक्त, मुख्यालय, हल्द्वानी	सम्पूर्ण उत्तरांचल
3.	सहायक श्रमायुक्त, मुख्यालय, हल्द्वानी	सम्पूर्ण उत्तरांचल
4.	अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून	गढ़वाल मण्डल में स्थित समस्त जनपद
5.	उप श्रमायुक्त गढ़वाल क्षेत्र देहरादून	तदैव
6.	गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात समस्त सहायक श्रमायुक्त	तदैव
7	गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	तदैव
8	उप श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी	कुमायूं मण्डल में स्थित समस्त जनपद
9.	कुमायूं क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात समस्त सहायक श्रमायुक्त	तदैव
10	कुमायूं क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	तदैव

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 3768/श्रम–सेवा/365–श्रम/2003 तददिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी
2. अपर श्रमायुक्त उत्तरांचल, देहरादून
3. समस्त उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल।
4. समस्त सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकरी, उत्तरांचल
6. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को उक्त अधिसूचना को राजकीय आसाधारण गजट में प्रकाशनार्थ एवं मुद्रित गजट की 60 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण विभाग

संख्या /VIII/श्रम सेवायोजन/48–श्रम/2005

देहरादून : दिनांक 23 मार्च, 2005

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का एक्ट, 1947 की धारा–11 (ए) सपठित उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–89 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल यह सहर्ष निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा–3 तथा धारा–6–सी के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रयोगक्तव्य शक्तियाँ, श्रमायुक्त, उत्तरांचल द्वारा इस शर्त के साथ प्रयोग की जायेगी कि ऐसा अभिनिर्णय जिसके लागू करने अथवा न करने से राज्य की समस्त अर्थव्यवस्था औद्योगिक शान्ति, कानून और व्यवस्था, समस्त उद्योग और सरकार की नीति प्रभावित होती हो, उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा–3 के अन्तर्गत उक्त अधिकारी द्वारा प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 877/VIII/श्रम–सेवा/48–श्रम/2005 तददिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी
2. अपर श्रमायुक्त उत्तरांचल, देहरादून
3. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित करके इसकी 100 प्रतियां श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 1233 / श्रम सेवायोजन / 2002, 228–श्रम / 2004

देहरादून : दिनांक 2 जून 2004

अधिसूचना

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11, सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के राज्य गठित धारा 3 के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 4097 / 36–3–2000–3 (एम0डब्लू) / 97 दिनांक 4 फरवरी अतिक्रमण करके अधिसूचना संख्या 2593 / श्रम सेवा / 228–श्रम / 2003 दिनांक 25 अगस्त, 2003 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति की संस्तुतियों पर अधिनियम की धारा–5 की उपधारा–(2) की अपेक्षानुसार विचार करने के पश्चात् राज्यपाल दल अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तरांचल में कृषि नियोजन में नियोजित अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्वाचित एवं पुनरीक्षित कराना

उत्तरांचल में कृषि कार्य के नियोजनके संबंध में मजदूरी की सर्वसमावेश न्यूनतम दरें

कृषि कार्य का प्रकार	सम्भाग	वयस्क कर्मकारों के लिए मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें
1. भूमि को पोढना और बोना, किसी कृषि वस्तु का उत्पादन उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, कृषि उपज को मंडी के लिए तैयार करना और भंडार या मंडी में देना या मंडी तक परिवहन के लिए पहुँचाने का कार्य, सभी प्रकार के फार्मो में जिनमें म्यूनिसिपल या कैन्टूननेट की सीमाओं के छः किलोमीटर के भीतर स्थित फार्म भी सम्मिलित है, मयाल्म की खेती सहित कृषि कर्म के आनुषांगिक रूप में या उसके साथ–साथ की जाने वाली क्रियाएं 2. वनसम्बन्धी या कष्ठ उफरनसम्बन्धी क्रियाएं जो किसी कृषक द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य के अनुषगिक रूपमें या उसके साथ–साथ की जाती है। 3. दुग्ध उद्योग, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुटकुट पालन और उनकी आनुषांगिक क्रियाएं	सम्पूर्ण उत्तरांचल	7500 रू0 प्रतिदिन या 1898 रू0 प्रतिदिन

2. न्यनतम मजदूरी का भुगतान नकद या कर्मचारी की सहमति से जिसमें अंशतः नकद या अंशतः विन्स में इस प्रकार किया जा रहा है कि मजदूरी का किसी भी दशा में विहित न्यूनतम मजदूरी से कम न होगा।
3. मजदूरी की प्रतिघण्टे दरें दैनिक दरों के 1/6 भाग से कम न होगी।
4. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दरें किसी वयस्क कर्मचारी को अनुमन्य कलानुपाती दर से कम न होगी।
5. महिला तथा पुरूष श्रमिकों की मजदूरी देय होगी।
6. किसी भी रूप में मजदूरी की दरें किसी कर्मचारी के अलाभ के लिए लागू न होगी अर्थात यदि इस अधिसूचना के अधीन दर से अधिक मजदूरी की दर भुगतान किया जा रहा है तो उसका भुगतान किया जाता रहेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या : /श्रम–सेवा/228–2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी
3. उपश्रमायुक्त देहरादून/हल्द्वानी
4. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून
5. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 1340/श्रम सेवायोजन/228–श्रम/2004

देहरादून : दिनांक 2004

अधिसूचना

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11, सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या 2593 (1)/श्रम सेवा/228–श्रम/2003 दिनांक 25 अगस्त, 2003 के द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त चाय बागानों में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारण/पुनरीक्षण संबंधी अधिसूचना संख्या 3780/औ0वि0–2/72–श्रम/2001 दिनांक 31 मई 2002 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना में परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते से संबंधित प्रावधान को निम्न पकार संशोधित किया जाता है;

मूल प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2- ifjorZuh; egxkbZ HkRrk अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100) के 386 अंक के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर, मंहगाई को शतप्रतिशत निष्प्रभावी करते हुए प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर से, क्रमशः पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर और प्रश्नगत वर्ष के जनवरी से जून के औसत सूचकांक के आधार पर परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया गया जायेगा। n"Vkr जुलाई 1999 से दिसम्बर 1999 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100) के औसत अंक 431 पर बढ़ा हुआ परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा – $\frac{(431.386)}{386} \times 1508 = 175.80$	2- ifjorZuh; egxkbZ HkRrk अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100) के 386 अंक के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर, मंहगाई को दिनांक 31.12. 2003 तक 1.80 रूपया प्रति अंक की दर पर एवं दिनांक 1.1.2004 से 2.35 रूपया प्रति अंक की दर पर समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष के अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष जुलाई से दिसम्बर और प्रश्नगत वर्ष के जनवरी से जून के औसत सूचकांक के आधार पर किया जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या : /श्रम–सेवा/228–2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी
3. उपश्रमायुक्त देहरादून/हल्द्वानी
4. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून
5. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दयाल सिंह नाथ)

अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या / VIII/1063–श्रम/2005
देहरादून : दिनांक : 15 अप्रैल, 2005

<u>अधिसूचना</u>

महामहिम राज्यपाल भवन और सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथा निर्दिष्ट अधिकारिता में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

अधिकारी	अधिकारिता
1	2
सभी उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल।	सम्पूर्ण उत्तरांचल

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 687/VIII/1063–श्रम/2005 दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
2. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
3. उप/सहायक श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
4. उप/सहायक श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी।
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण राजकीय गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या /VIII/1063–श्रम/2005
देहरादून : दिनांक : 15 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल भवन और सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथा निर्दिष्ट अधिकारिता में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपीलीय अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

अधिकारी	अधिकारिता
1	2
श्रमायुक्त, उत्तरांचल/अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून	सम्पूर्ण उत्तरांचल

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 690/VIII/1063–श्रम/2005 दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
2. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
3. उप/सहायक श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
4. उप/सहायक श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी।
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण राजकीय गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या /VIII/1063–श्रम/2005
देहरादून : दिनांक : 15 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल भवन और सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के द्वारा श्रमायुक्त, उत्तरांचल को तत्काल प्रभाव से मुख्य निरीक्षक, भवन और अन्य सनिर्माण निरीक्षण के रूप में नियुक्त करते हैं।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 688 /VIII/1063–श्रम/2005 दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
2. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
3. उप/सहायक श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
4. उप/सहायक श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी।
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण राजकीय गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या /VIII/1063–श्रम/2005
देहरादून : दिनांक : 15 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल भवन और सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 42 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथा निर्दिष्ट अधिकारिता में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपीलीय अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

अधिकारी	अधिकारिता
1	2
(1) अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून (2) सभी उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल। (3) सभी सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल। (4) सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी/मुख्य अन्वेषक, उत्तरांचल।	सम्पूर्ण उत्तरांचल

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 689/VIII/1063–श्रम/2005 दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
2. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
3. उप/सहायक श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
4. उप/सहायक श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी।
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण राजकीय गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 758/VIII/228–श्रम/2005
देहरादून : दिनांक : 28 अप्रैल, 2005

<u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में अब स्थित होटल और रेस्टोरेन्ट उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण निम्नवत करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिख्ति होंगी :–

क्षेत्र–'ए' :–

क्षेत्र–'ए' में देहरादून, मसूरी और नैनीताल शहरों में स्थित ढाबा, होटल के और रेस्टोरेंटों में विभिन्न वर्गो के कार्य के लिये कर्मकरों के लिये देय मजदूरी की न्यूनतम दरें :–

क्रम संख्या	होटल और रेस्टोरेन्ट का वर्ग	विभिन्न वर्गो के कर्मकारों के लिये न्यूनतम मजदूरी (प्रतिमाह रूपयों में)			
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	अतिकुशल
1.	सड़क के किनारे या कलोनियों (मोहल्ला) के ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं।	2710/–	2850/–	2990/–	–
2.	सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्ला) के ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं।	2850/–	2990/–	3195/–	3470/–
3.	स्टार होटल	2920/–	3330/–	3750/–	4300/–

क्षेत्र – 'बी'

क्षेत्र 'बी' में सम्मिलित या उल्लिखित नगरों को छोड़कर सभी नगरपालिका या छावनी क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थित ढाबा, होटल के और रेस्टोरेंटों में विभिन्न वर्गो के कार्य के लिये कर्मकरों के लिये देय मजदूरी की न्यूनतम दरें :–

क्रम संख्या	होटल और रेस्टोरेन्ट का वर्ग	विभिन्न वर्गो के कर्मकारों के लिये न्यूनतम मजदूरी (प्रतिमाह रूपयों में)			
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	अतिकुशल
1.	सड़क के किनारे या कलोनियों (मोहल्ला) के ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं।	2575/–	2710/–	2850/–	–
2.	सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्ला)				

	के ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं।				
3.	स्टार होटल	2920 / —	3330 / —	3750 / —	4300 / —

क्षेत्र — 'सी'

क्षेत्र 'ए' तथा 'बी' में सम्मिलित या उल्लिखित नगरों को छोड़कर उत्तरांचल के शेष में स्थित ढाबा, होटल के और रेस्टोरेंटों में विभिन्न वर्गो के कार्य के लिये कर्मकरों के लिये देय मजदूरी की न्यूनतम दरें :—

क्रम संख्या	होटल और रेस्टोरेन्ट का वर्ग	विभिन्न वर्गो के कर्मकारों के लिये न्यूनतम मजदूरी (प्रतिमाह रूपयों में)			
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	अतिकुशल
1.	सड़क के किनारे या कलोनियों (मोहल्ला) के ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं।	2225 / —	2330 / —	2435 / —	—
2.	सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्ला) के ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं।	2365 / —	2470 / —	2575 / —	2710 / —
3.	स्टार होटल	2710 / —	2990 / —	3265 / —	3610 / —

टिप्पणी — कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता —

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1 / 26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1 / 6 से कम न होगी।

5. किशारों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

8. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

9. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इस प्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़े हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

10. जब किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

11. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

12. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट

1— अकुशलः—

चपरासी, चौकीदार, दरबान, वाचमैन, गेटकीपर, मशालची, स्वीपर, सफाईकार, हेल्पर, मजदूर, ट्रालीमैन, कुली, गेट–व्याय, मेन–ब्याज, वाल–ब्याज, पेज–ब्याज, लाण्ड्रीमैन, वाटर मैन, लेमन मैन, विलियर्ड

2— अर्द्धकुशल :—

वैटर/बैरा/सहायक स्टीवार्ड रूम बैरा, सर्विस मैन, सहायक रसोइया, सहायक इलैक्ट्रशियन, सहायक मैकेनिक, सहायक ऑपरेटन बिल मैन/लिपिक/बिल कलैक्टर, क्रेता, लिफ्ट मैन, सेफ, पम्पमैन, गैस फिलर, वायरमैन, विलियर्डस मार्कर, आईसक्रीम वाला फालूदा मेकर, सीरपमेकर, भेलपुरी वाला, कबाब सीक वाला ग्राइण्डर बार मैन, फाउण्टेन मैन माली और वे सभी कर्मकार जो इसी प्रकार के कार्य में लगे हों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए।

3— कुशल :—

रसोइया/उस्ताद महाराज, तंदुरिया/तदूरची, खानसामा/बावर्ची, प्रधान वेटर/प्रधान बैरा, सुपरवाईजर्स हलवाई, मिठाई बनाने वाला हैडबेकर पेण्ट्रीमैन/हैड पेण्ट्रीमैन, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टीवार्ड/कनिष्ठ कैप्टेन, लेखाकार टंकक आशुलिपिक रोकड़िया स्टोर कीपर, स्वागती/मुख्य स्वागती, आर्डर मास्टर, होटल गाइड, टेलर/कारपेन्टर, फिटर/टर्नर/प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आपरेटर मैकेनिक, ड्राइवर सहायक बागवानी, विशेषज्ञ, हाउस कीपर ट्रेनर (स्वीमिंग) और वे सभी कर्मकार जो इसी प्रकार के कार्य में लगे हों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए।

4– अतिकुशल :–

प्रधान रसोइया, कैप्टेन, बटलर, प्रधान लिपिक, ज्येष्ठ टंकक, प्रधान रोकड़िया, प्रधान स्टोर कीपर, प्रधान मुनीम ज्येष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक और वे सभी कर्मकार जो इसी प्रकार के कार्य में लगे हों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकार जाए।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 758/VIII/228–श्रम/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
2. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
3. उप/सहायक श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
4. उप/सहायक श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी।
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण राजकीय गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 759/VIII/228–श्रम/2005
देहरादून : दिनांक : 28 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त अधिसूचना संख्या 4814–36–3–23 (एम0डब्लू0)–53 दिनांक 31 जनवरी, 1991 को अधिक्रमित करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में –

(क) मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा संचालित किसी मदरसा जहां विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जा रही है या नाम मात्र की फीस ली जा रही है, (ख) किसी धार्मिक या दातव्य संस्थ द्वारा संचालित किसी प्राइवेट विद्यालय जहां विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जा रही है या नाम मात्र की फीस ली जा रही है, (ग) उत्तरांचल बाल कल्याण परिषद् द्वारा संचालित किसी बाल बाड़ी, और (घ) मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट विद्यालय जिसे सरकार से सहायता मिल रही है से भिन्न, उत्तरांचल में प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयी जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राइवेट प्राविधिक संस्थायें भी सम्मिलित हैं, के नियोजन में नियोजित अशैक्षणिक वयस्क कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण और निर्धारण करते हैं।

नोट :– किसी संस्था पर इस अधिसूचना के उपबन्धों के लागू होने में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय श्रम आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम और संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (रूपये प्रतिमाह)
1	2	3
1	चपरासी, चौकीदार, रिक्शा चालक, माली, क्लीनर, बेलदार, मसालची, आया, बैरा, केयर टेकर या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	2350.00
2	दफ्तरी, राजगीर, रसोइया या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	2545.00
3	बस/ट्रक ड्राईवर, बढ़ई प्लम्बर, इलैक्ट्रीशियन, लैब असिस्टेन्ट, टेलर, नर्स, कम्पाउन्डर या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	2730.00
4	लिपिक/टंकक –	2880.00

	(क) इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त (ख) स्नातक या उच्च शिक्षा प्राप्त	3030.00
5	लाईब्ररियन/कैशियर या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	3180.00
6	लेखाकार (क) कनिष्ठ (ख) ज्येष्ठ जो कम से कम बी.काम. हो और साथ ही पांच वर्ष का लेख कार्य का अनुभव हो।	3335.00 3635.00

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. किशारों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

8. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

9. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण :–

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इस प्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़े हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

जहां किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 758/VIII/228–श्रम/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
2. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
3. उप/सहायक श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
4. उप/सहायक श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी।
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण राजकीय गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 622/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001
देहरादून : दिनांक : 10 मई, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधार–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 3636/36–3–8 (एम0 डब्लू0)–89 दिनांक 31 अक्टूबर, 1996 को अधिक्रमित करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में परिशिष्ट–1 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
		रूपये प्रतिमाह
1	अकुशल	2405.00
2	अर्द्धकुशल	2635.00
3	कुशल	2865.00
4	अतिकुशल	3250.00
5	लिपिक वर्गीय कर्मचारी – (क) श्रेणी – एक (ख) श्रेणी – दो	 3250.00 2965.00

टिप्पणी – कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इव्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़ हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट — 1

क्रम संख्या	नियोजनों के नाम
1	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और टयूब भी है) के उद्योग में नियोजन।
2	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग में नियोजन।
3	मिष्ठान उद्योग में नियोजन।
4	वासित पेयों (ऐरेटेट ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन।
5	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन
6	परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग में नियोजन।
7	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन।
8	डेरी और मिल्क डेरीज में नियोजन।

9	सिले सिलाए कपड़ों के विनिर्माणशाला में नियोजन।
10	बांध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन।
11	प्राइवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राइवेट दुकानों में नियोजन।
12	फाउण्ड्री उद्योग में नियोजन।
13	धातु उद्योग में नियोजन।
14	टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिटिंग उद्योग में नियोजन।
15	ऐसे अभिनियित्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
16	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।

परिशिष्ट – 2

1. अकुशल–

चपरासी (प्यून), चौकीदार, पैकर, स्वीपर, मजदूर अर्दली, लोडर, हेल्पर, अनलोडर, वाटरमैन, पल्लेदार, चारावाला, दाई, आया, वार्डब्वाय, और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

2. अर्द्धकुशल–

मिक्सरमैन, मोल्डर, सहायक मशीन आपरेटर, कटर, जुडाईवाला, सोलकार,सहायक कारीगर (मिठाई), सीलर, लेवलर, वाटलर, जूस फिलर, फायरमैन, सहायक मशील मैन, सहायक लोहार, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक फिटर, सहायक पर्यवेक्षक, सहायक निरीक्षक, असिस्टेन्ट डोर एसेम्बलर एण्ड फिनिसर्स, डिलीवरी मैन, पम्प अटेन्डेन्ट, फार्ममैन, पेस्टर, मिल्क मैन, मिल्क डिलीबर मैन, प्रेस मैन, बटन लगाने वाला, काज बनाने वाला, तुरपाई करने वाला, नपाई वाला, बेलदार, मेट अेनर, माली, इंजन ड्राईवर, सहायक आपरेटर, जुगाड़िया, सहायक मशीन आपरेटर, सहायक मैकेनिक मोल्डर, चिरैया, सहायक कम्पाउण्डर, पट्टी बांधने वाला, प्लास्टर मैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

3. कुशल–

आपरेटर, सुपरवाईजर, ड्राईबर, मिस्त्री, कारीगर, मशीनमैन, फिलर, मिक्सर, चेक फिटर, प्रेस आपरेटर, टर्नर, ब्वायलर अटेन्डेन्ट, सहायक क्वालिटी इन्सपेकअर, इलेक्ट्रीशियन,सहायक फोरमैन, कटर, डिजाइनर, दर्जी, जनरेटर आपरेटर, लोहार, बढ़ई, इन्सपेक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, ऐक्सरे टेक्नीशियन, विनियर मैचर, वेल्डर, डोर एसेम्बलर एण्ड फिनियर्स और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

4. अतिकुशल–

हेड सुपरवाइजर, हेड इंचार्ज, कैमिस्ट, फोरमैन, क्वालिटी इन्सपेक्टर, डेरी इंचार्ज, हेड डिजाइनर, फार्मेशिस्ट और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

5. लिपिक वर्गीय कर्मचारी–

(क) लिपिक श्रेणी– दो– न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते 5 वर्ष्र न हुये हों।

क्लर्क, टाईपिस्ट, मुनीम, तगादगीर, विक्रयकर्ता, स्टोर कीपर, लेखाकार, कैशियर, आशुलिपिक, लेखालिपिक, क्रयकर्ता, सहायक टेलीफोन आपरेटर, बिल कटर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ख) लिपिक श्रेणी–एक–न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिठान में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव हो।

हेड एकाउण्टेन्ट, हेड मुनीम, हेड क्लर्क, हेड कैशियर, प्रधान विक्रय कर्ता, टेलीफोन आपरेटर, प्रधान क्रयकर्ता और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कोई कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 622/VIII/228–श्रम टीसी–11/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 622(1)/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001
देहरादून : दिनांक : 10 मई, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 3815/36–3–10 (एम0 डब्लू0)–90 दिनांक 30.10.1991को अधिक्रमित करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में परिशिष्ट–1 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्रमांक	कार्य की श्रेणी	वयस्क कर्मचारियों को देय न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
1	अकुशल	2350.00
2	अर्द्धकुशल	2730.00
3	कुशल	3115.00
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी – (क) श्रेणी – एक (ख) श्रेणी – दो	 3750.00 3275.00

टिप्पणी – कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इव्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़ हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट – 1

क्रम संख्या	नियोजनों के नाम
1	सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण सक्रियाओं में नियोजन।
2	पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन।
3	चिकिन के कार्य में नियोजन।
4	दियासलाई उद्योग में नियोजन।
5	आइसकैन्डी/आइसक्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन
6	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन।
7	बर्फ विनिर्माणशालाओं में सेवा नियोजन।
8	एस्बेस्टस सीमेंट कारखानाओं और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशालाओं में नियोजन।
9	लण्ड्री या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन।

10	जिल्दसाजी में नियोजन।
11	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन।
12	पाटरी सिरेमिक्स या रिफरैक्ट्रीज में नियोजन।

परिशिष्ट – 2

1. अकुशल–

फायर मैन (साधारण भट्टी) स्लिप हाउस वर्कर, फिटर (प्रोसेसिंग और लगिंग को सम्मिलित करते हुए) ग्लेजर (डिपिंग क्रिया द्वारा) टैग, भट्टे और अन्य सामान के लोडर और अनलोडर, चौकीदार, चपरासी, स्वीपर, स्क्रेपर, हैल्पर, मजदूर, जैली और डाई प्रेस वर्कर्स, सार्टर, स्टाम्प मार्कर, प्लेजर, सीव अटेन्डेन्ट, एजीटेटर, मिक्सर, सिलेन्डर मजदूर पल्वीराइजर, अटेन्डेन्ट, पम्प अटेन्डेन्ट, मोल्ड मेकर, ट्रक क्लीनर, ट्रालीलोडर, अनलोडर, वाटरमैन, ब्रिक प्रेस अटेन्डेन्ट, हाथसे ड्रायर अटेन्डेन्ट, ब्लोअर अटेन्डेन्ट, स्टोन ब्रेकिंग एण्ड क्राशिंग अटेन्डेन्ट, ब्रिक टाइल्स प्रेस अटेन्डेन्ट स्टोरवेयर पाइप प्रेस अटेन्डेन्ट, मेट ट्रेनी, फिनिशर और कास्टर कनवेयर कास्टर, गेट मैन, हैन्डिल मैन, पैकर कुली, वाचमैन कैश प्यून, स्टोर काउन्टर ब्याय, और इसी प्रकार को कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

2. अर्द्धकुशल–

प्रेस मैन,धोबी, मशीन मैन, दर्जी, सहायक सुपरवाइजर, सहायक मिस्त्री, पाटर, कास्टिंग प्रोसेज पर थ्रो करके बर्तन बनाने वाले, कास्टर और फिनिशिंग, फायरमैन (टनल फरनेस) हैड फायरमैन (साधारण भट्टी), कलर स्प्रेरय (इसमें स्प्रे द्वारा ग्लेजिंग भी सम्मिलित है), सहायक खरादी समरमैन, जारमैन, जिगरमैन, ज्वाइनर, आयलमैन, सगर मेकर, सहायक डाई फिटर, सहायक राजगीर, सहायक बढ़ई, वायरमैन, कास्टर लेसर पालिशर, ग्राइन्डर, ब्लाक मेकर, सिलेन्डर अटेन्डेन्ट, हैमर मैन, सहायक पेन्टर, बिस्कुट पैकिंग करने वाला, पैकर सहायक विद्युतकार, किलनमैन चेकर, पाइप कटर, आयलर, सहायक फोरमैन, विद्युतकार का सहायक, आर्डर सप्लायर, बुक वाइन्डर, वाइन्डर, कटर, स्टीचर, दफ्तरी, कारीगर दहय्या, कलर मेकर, सीविंग मैन, हैमिंग मैंन, कलेन्डर मैन, माल दिखाने वाला, सहायक मशीन आपरेटर, सहायक मशीन मैंन, तौल करने वाला, दूध चीनी आदि मशीन में डालने वाला, मेकर, रोलर ड्राइवर, मिक्सर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

3. कुशल–

पाटर (जो 4–5 लीटर से अधिक क्षमता के बर्तन बनाते हैं), डाई फिटर, टर्नर (लेथ मैन), मोल्डर, डाई मेकर, कारपेन्टर, आर्टिस्ट, डिजाइनर, मेसन, मोटर जनरेटर ड्राईवर, इलेक्ट्रीशियन, पेपर मैन, पेन्टर, चाक वाला, कुम्हार, फिटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, मोटर वाइन्डर, आटोमोबाइल, ड्राइवर, स्प्रेयर मैनसुपरवाइजर, हैड मिस्त्री, स्टोर इंचार्ज, हेड ब्यायलर मैन, डिजाइन मेकर, ब्लॉक मेकर, केमिस्ट, सिल्क प्रिंटर, अभियंता, मुख्य आपरेटर, फोरमैन, रफूगर, सर्वेयर, प्लम्बर, फ्रिजर, व इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी :–

(क) लिपिक श्रेणी – दो

मुनीम, लेखाकार, लिपिक, कैशियर, विक्रीकर्ता, डिलीवरी मैन, क्लर्क, टाइमकीपर, टंकक, स्टोर कीपर और इसी प्रकार कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ख) लिपिक श्रेणी – एक –

प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार एवं प्रधान रोकड़िया, आशुलिपिक, प्रधान विक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, स्टीवर्ड्र प्रधान स्टोर कीपर और इसी प्रकार कार्य करने वाला अन्य कोई कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 622(1)/VIII/228–श्रम टीसी–11/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 207 / VIII / 228–श्रमटीसी–I / 2001
देहरादून : दिनांक : 10 मई, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 1057 / 36–3–1(एम0 डब्लू0)–92 तारीख 4 जुलाई, 1994 को अधिक्रांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में हौजरी उद्योग के नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्रमांक	कार्य की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
		रूपये प्रतिमाह
1	अकुशल	2520.00
2	अर्द्धकुशल	2600.00
3	कुशल	2665.00
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी – (क) श्रेणी – एक (ख) श्रेणी – दो	 2695.00 2775.00

टिप्पणी – कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1 / 26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1 / 6 से कम न होगी।

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और

जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इव्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़े हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट

1. अकुशल–

पैकर, हेल्पर, चपरासी, मेहतर, लेविलमैन, बानी वाला, माली और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

2. अर्द्धकुशल–

फिटर, प्रेस मैन, कटर, वाइंडर, वाशिंग मैन, बटन, फासनर, मेण्डर, ग्रार्मेन्ट चेकर, ब्लीचर, सहायक मशीन मैन, सहायक आपरेटर, नेक कटर आयल मैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

3. कुशल–

मास्टर, हेड मैकेनिक, सुपरवाइजर, फिटर, मशीनर्मन, आपरेटर, मिस्त्री, दर्जी, मेण्डर, डिजाइनर, आटो मशीन, लॉक–फिटर, सीनियर इक्जामिनर, डायर्स और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी–

(क) लिपिक श्रेणी – दो–

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और जिसे प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए 5 वर्ष पूरी हुये हों।

सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, लिपिक टंकक, टेलीफोन आपरेटर, स्टोर कीपर, रोकड़िया और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ख) लिपिक श्रेणी–एक–

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य का 5 वर्ष का अनुभव हो।

प्रधान लिपिक, ज्येष्ठ लिपिक, प्रधान रोकड़िया, प्रधान स्टोर कीपर, प्रधान मुनीम, ज्येष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 207/VIII/228–श्रमटीसी–1/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 207(1)/VIII/228–श्रमटीसी/2005
देहरादून : दिनांक : 10 मई, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 3816/36–3–10(एम0 डब्लू0)–90 तारीख 30 अक्टूबर, 1992 को अधिक्रांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में क्लबों के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्रमांक	कार्य की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
		रूपये प्रतिमाह
1	अकुशल	2350.00
2	अर्द्धकुशल	2730.00
3	कुशल	3115.00
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी – (क) श्रेणी – एक (ख) श्रेणी – दो	 3275.00 3750.00

टिप्पणी – कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इव्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़े हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट

1. अकुशल–

सुरक्षा गार्ड, वारमैन, सहायक वारमैन, गेम ब्वाय, रूप ब्वाय, मसालची, गेटमैन, सफाईकार, पेन्ट्री सहायक, लाण्ड्रीमैन, टेनिस ब्वाय, क्लीनर, चपरासी, कहार, हेल्पर, मजदूर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

2. अर्द्धकुशल–

रसोइया, तन्दूरिया, कन्फैक्शनर, हलवाइ, आर्डर सप्लाई करने वाला, कबाबसीक बनाने वाला, भेलपुरी वाला, खनसामा, कार चालक, लिफ्टमैन, सहायक विद्युतकार, प्रशिक्षक (तैराकी ताल), वायरमैन, समोसे वाला, रोटीवाला, चपाती वाला, पूरी वाला, दोसा वाला, भाजी वाला, आइसक्रीम वाला, पेन्ट्री मैन, चाय/काफी वाला, मार्केट मैन, फालूदा मेकर, शर्बत वाला, लस्सीवाला, वेटरर्स, माली, वायर मैन,

सहायक विलियर्ड कोच और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

3. कुशल–

प्रधान रसोइया, प्रधान बैरा, प्रधान वेटर, बटलर, विद्युतकार, बढ़ई, मुख्य प्रशिक्षक (तैराकी ताल), प्रधान वारमैर, हाउस कीपर, टेनिस कोच, विलियर्ड कोच, रक्वेश कोच और अन्य कोच, वार प्रभारी, रसोई प्रभारी, मुख्य माली, और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी–

(क) लिपिक श्रेणी– दो– न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और जिसे प्रतिष्ठान में कार्य करते हुये 5 वर्ष न पूरे हुए हों।

सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, काउंटर लिपिक, टंकक, स्वागतकर्ता, बिल मैन, सहायक स्टीवार्ड, टेलीफोन ऑपरेटर, खरीददार और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ख) लिपिक श्रेणी–एक– न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य का 5 वर्ष का अनुभव हो।

प्रधान लेखाकार, प्रधान मुनीम, प्रधान लिपिक, ज्येष्ठ लिपिक, ज्येष्ठ लेखाकार, प्रधान स्टोरकीपर, आशुलिपिक, स्टीवार्ड, प्रधान पुस्तकालय अध्यक्ष और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 207(1)/VIII/228–श्रमटीसी–1/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 207(2)/VIII/228–श्रमटीसी–I/2001
देहरादून : दिनांक : 10 मई, 2005

<u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 214/36–3–6(एम0 डब्लू0)–90 तारीख 10 जनवरी, 1992 को अधिक्रांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में वाणिज्यिक अधिष्ठानों और उत्तरांचल में दुकानों के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले उत्तरांचल के नगरों में वयस्क कर्मचारियों को दिये मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें।	उत्तरांचल के शेष भागों में देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3	4
		रूपये प्रतिमाह	रूपये प्रतिमाह
1	अकुशल	2425.00	2350.00
2	अर्द्धकुशल	2820.20	2730.00
3	कुशल	3215.00	3115.00
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी – (क) श्रेणी – एक (ख) श्रेणी – दो	 3380.00 3875.00	 3275.00 3750.00

टिप्पणी – कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

2. अर्द्धकुशल–

गोडाउन कीपर , वेमैन, मिस्त्री, साइकिल मरम्मत करने वाला, सोने और चांदी के जेवर्स की छिलाई करने वाला, चांदी पकाने वाला, रेजदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय। इस श्रेणी में ऐसे कुशल कर्मचारी भी सम्मिलित है जिन्होंने किसी अर्द्धकुशल कर्मचारी के मार्गदर्शन में हेल्पर या असिस्टेन्ट के रूप में कम से कम 5 वर्ष के कार्य का अनुभव प्राप्त कर लिया है।

3. कुशल–

ड्राईवर, मशीन मैन, बढ़ई, फिटर, वेल्डर, पेन्टर, इलैक्ट्रिशियन, सोने और चांदी के जेवरों पर नक्काशी करने वाला, सुपरवाईजर, केमिस्ट, आपरेटर और अन्य कोई कर्मचारी जो इसी प्रकार का कार्य करते हों, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय। इस श्रेणी में ऐसे अर्द्धकुशल कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण और मार्ग दर्शन में कम से कम 5 वर्ष कार्य का अनुभव प्राप्त किया हो।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी–

(क) लिपिक श्रेणी (दो)–

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और जिसे प्रतिष्ठान में कार्य करते हुये 5 वर्ष न पूरे हुये हो।

मुनीम, लोखाकार, रोकड़िया, टंकक, लिपिक, बिक्रीकर्ता, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, उगाही, तगादीर, औरइसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ख) लिपिक श्रेणी (एक)–

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य का 5 वर्ष का अनुभव हो।

प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, वरिष्ठ बिक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक, बिक्री, प्रतिनिधि, कम्प्यूटर ऑपरेटर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 207(2)/VIII/228–श्रम/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।

3. अपर श्रमायुक्त / नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।

4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून / हल्द्वानी

5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 207(3)/VIII/228–श्रमटीसी–I/2001
देहरादून : दिनांक : 10 मई, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 216/36–3–6(एम0 डब्लू0)–90 तारीख 20 जनवरी, 1992 को अधिक्रांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में सिनेमा उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले उत्तरांचल के नगरों में वयस्क कर्मचारियों को दिये मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें।	उत्तरांचल के शेष भागों में देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3	4
		रूपये प्रतिमाह	रूपये प्रतिमाह
1	अकुशल	2425.00	2350.00
2	अर्द्धकुशल	2820.20	2730.00
3	कुशल	3215.00	3115.00
4	अतिकुशल (ख)	3380.00	3275.00
5	अतिकुशल (क)	3875.00	3750.00
6	लिपिक वर्गीय कर्मचारी – (क) श्रेणी – एक (ख) श्रेणी – दो	 3380.00 3875.00	 3275.00 3750.00

टिप्पणी – कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

2. अर्द्धकुशल–

लाइनमैन एवं द्वारपाल (गेटमैन) सहायक विद्युतकार या वायरमैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

3. कुशल–

वातानुकूलित आपरेटर, जनरेटर आपरेटर, पेन्टर, बढ़ई, इलैक्ट्रिशियन और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

4. अतिकुशल (क) मुख्य आरेटर।

5. अतिकुशल (ख) रिवाइन्डर/आपरेटर।

6. लिपिक वर्गीय कर्मचारी–

(क) लिपिक श्रेणी – दो

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और जिसे प्रतिष्ठान में कार्य करते हुये 5 वर्ष पूरे न हुये हों।

बुकिंग क्लर्क, टंकक, लिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ख) लिपिक श्रेणी – एक–

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य का 5 वर्ष का अनुभव हो।

लेखाकार, रोकड़िया, और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 207(3)/VIII/228–श्रमटीसी–1/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 207(4)/VIII/228–श्रम टीसी–1/2005
देहरादून : दिनांक : 10 मई, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 3395/36–3–4(एम0 डब्लू0)–90 तारीख 28 नवम्बर, 1991 को अधिक्रांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से (1) उत्तरांचल में लोक मोटर परिवहन (2) उत्तरांचल में यांत्रिक परिवहन कर्मशाला (1) उत्तरांचल में आटोमोबाइल रिपेयर्स के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
		रूपये प्रतिमाह
1	अकुशल	2425.00
2	अर्द्धकुशल	2820.00
3	कुशल	2820.00
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी – (क) श्रेणी – एक (ख) श्रेणी – दो	 3380.00 3875.00

टिप्पणी – कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इव्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़े हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट–1

अकुशल–

अर्दली, भिस्ती, मोची, चेम्बर सेवक, कोषागार चपरासी, गाड़ी धोने वाला, लोडर्स, अनलोडर्स, स्टोर मजदूर, हज्जाम, कुली, आफिस ब्वाय, चौकीदार, सफाई मजदूर, पेट्रोल पम्प अटेन्डेन्ट, और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

2. अर्द्धकुशल–

ग्राइन्डर, बोरिंग मैन, सहायक पेन्टर, रेडियेटर रिपेयर, वेल्डर, लोहार, सहायक फीटर, सहायक मैकेनिक, कण्डक्टर, दफ्तरी, जमादार, बण्डल उठाने वाला, दफादार और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

3. कुशल–

सर्विस मैन, वर्कशाप सुपरवाईजर, मैकेनिक, ड्राईवर, टर्नर, फ्यूल इंजक्शन पंप मैन, पेन्टर, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, लेथ मैन, एयर कण्डीशनर मैकेनिक, गेट सार्जैन्ट, टीनकार, कम्पाउण्डर, पर्यवेक्षक, सहायक स्टोर कीपर, बढ़ई, बल्कनाइजर, सोफासाज और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी–

(क) लिपिक श्रेणी–दो– न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और जिसे प्रतिष्ठान में कार्य करते हुये 5 वर्ष न पूरे हुये हों।

लेखाकार, सहायक लेखाकार, क्लर्क कम टाईपिस्ट,मेला मैन, एकाउंट क्लर्क, आउट ऐजेन्सी क्लर्क, कैशियर, असिस्टेन्ट गोडाउन कीपर, अधीक्षक प्राप्ति और प्रेषण, स्टोर कीपर, प्रगति जांचकर्ता, केन्द्र प्रभारी (स्टेशन इंचार्ज/मास्टर), यातायात निरीक्षक, समयपाल और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ख) लिपिक श्रेणी–एक– न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रतिष्ठान में कार्य का 5 वर्ष का अनुभव हो।

यातायात अधीक्षक, स्टेशर अधीक्षक, प्रबंधक, वर्क्स इंचार्ज, ओवरसियर, फोरमैन, हेड क्लर्क, आशुलिपिक, ज्येष्ठ लेखाकार, नक्शा नबीस, गोडाउन कीपर, हेड रोकड़िया, स्टोर अधीक्षक और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 207(4)/VIII/228–श्रमटीसी–1/2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 207(5)/VIII/228–श्रम टीसी–1/2001
देहरादून : दिनांक : 10 मई, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 4472/36–3–613(एम0 डब्लू0)–91 तारीख 4 फरवरी, 1992 को अधिक्रांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में छोटो मिनियेचर बल्ब एवं कांच उत्पादों के निर्माण उद्योग (चश्में के शीशे और कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. पर्वतीय क्षेत्र के लिए विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
		रूपये प्रतिमाह
1	अकुशल (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	 2350.00 2425.00
2	अर्द्धकुशल (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	 2510.00 2730.00
3	कुशल (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	2670.00 3105.00
4	कनिष्ठ लिपिक, वे जो 5 वर्ष से कम अवधि तक नियोजन में रहे हों। (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	 2730.00 3275.00
5	ज्येष्ठ लिपिक, जो स्नातक हो और जिन्होंने किसी औद्योगिक इकाई में 5 वर्ष से कम अवधि तक नियोजन में रहे हों। (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	 3105.00 3750.00

टिप्पणी – कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया

जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इप्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़े हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट

1. अकुशल–

हेल्पर, अस्तरवाला, बबलवाला, घुण्डीवाला, कांचवाला, बघार वाला, बैच मिक्सर, कोयला डालने वाला, ठंडी बत्ती वाला, पन्तीवाला, पिसाई वाला, पैकिंग प्रक्रिया से माल निकालने वाला, पैकर, बबलचू, बबलर, ठंडा बाबरी वाला, गेज मैन, भराई करने वाला, कैरियर, रबर, फास्ट मोहर लगाने वाला, सांचे वाला, खुर्सीवाला, गलाई वाला, पानी वाला, जाली वाला, कांच ढोने वाला, लोहार वाला, स्टैम्प सीलवासर, कुकर, सीलिंग हेल्पर, कैंप लगाने वाला, बेकर, बफर, बैसर, चुनैया, बालकूलर, बालमेकर, स्टोरमैन, मजदूर, गेटमैन, कुली और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

2. अर्द्धकुशल–

गुल्ली वाला, लोममैन, पहलवाला, गरम लोम वाला, घिसाई वाला, फस्टर ग्राइन्डर, मोल्डर, वाटलजार, स्टापर, फिलरमैन, ग्लास कटर, रूसा भट्टी वाला, रूसा ग्लास सहायक, खरादी, ग्लोब कटर, महिला फोरमैन, बीडर चैकर, ट्यूब कटर, मिडिलमैन, बीडिंग राड खींचने वाला, गिनथा, सोल्डर, पालीसर, मिक्सर मैन, लोम देने वाला, लोम बनाने वाला, बेल्टमैन, कम्प्रेसर मैन, क्लीनर, पल्लेदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

3. कुशल–

सीलर, एग्जास्टर, माउन्टर, रिंग फिटर, स्टेम मेकर, सिकैया, फायरमैन, क्रपलिंग ओवर इंचार्ज जेनरेटर इंचार्ज, इलेक्ट्रिक इंचार्ज, प्रोडक्सन इंचार्ज, फिनिशिंग इंचार्ज, मिक्सिंग इंचार्ज, इंचार्ज मिस्त्री, बत्तीवाला, मुट्ठवाला, बेलनवाला, बत्ती लगाने वाला, जगाईवाला, झोकाई वाला, तारकस, मल्ला हैन्डलर, इनग्रेवर, ब्लोवर, फोरमैन, लोहार, मिस्त्री, बढ़ई, खरादी, फिटर, फर्नेस मैन, हैण्ड वर्करड्रिल मैन, मोटर बाइन्डर, प्रेसमैन, ड्राईवर, इंजन ड्राइवर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 207(5)/VIII/228–श्रम/2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 1794(3)/VIII/228–श्रम टीसी/2001
देहरादून : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 875/36–3–3(एम0 डब्लू0)–93 तारीख 22 मई, 1995 को अधिक्रांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने का काष्ट कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन्य उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है, के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्र0सं0	कार्य की श्रेणी	कर्मकारों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें	
		प्रतिघन मीटर	प्रतिमाह
1	2	3	4
1	छटाई व गिराना	30.00	2360.00
2	चिराई		
	(क) चीड़ की लकड़ी	213.00	2360.00
	(ख) देवदार स्प्रूस	305.00	2595.00
3	चिरान	56.00	2830.00
4	छाल उतारना	55.00	2595.00
5	बल्लियां बनाना	301.00	2595.00
6	स्लेश मेकिंग	51.00	2595.00
7	कन्धा ढुलान –		
	(क) मुख्य गिरान	153.00	2595.00
	(ख) छितरा गिरान	394.00	2830.00
8	लाग स्लाइड	146.00	2830.00
9	माली बहान	109.00	2830.00
10	खड्ड बहान	135.00	2830.00
11	नदी बहान	93.00	2830.00

12	कोई अन्य अकुशल		
13	लादना –		
	(क) गोल इमारती लकड़ी	56.00	2830.00
	(ख) चिरी इमारती लकड़ी	18.00	2595.00
14	उतारना –		
	(क) गोल इमारती लकड़ी	9.00	2595.00
	(ख) चिरी इमारती लकड़ी	5.00	2595.00
15	बागान जिसमें नर्सरी और वानिकी भी सम्मिलित है।	–	2595.00
16	लीसा छेदन –		
	(क) अकुशल	–	2595.00
	(ख) कुशल	–	2595.00
17	सड़क एवं भवन निर्माण –	–	
	(क) अकुशल	–	2595.00
	(ख) कुशल	–	2830.00
18	औषधि जड़ी बुटियों का संग्रह –	–	2595.00

(ख) तराई भावन क्षेत्र के लिए विभिन्न वर्गो के कार्य के लिए कर्मचारियों को देय मजदूरी की सर्वसमावेशी दरें निम्नलिखित होंगी :–

क्र0सं0	कार्य की श्रेणी	कर्मकारों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें	
		प्रतिघन मीटर	प्रतिमाह
1	छांटना, गिराना, चीरना, और छाल उतारना।	153.00	2595.00
2	स्लेश मेकिंग	61.00	2360.00
3	जंगल चिरान (फील्ट सायेंग)	507.00	2830.00
4	बांस काटना (प्रति कोशी)		
	(क) चढ़ाव	173.00	2360.00
	(ख) बांही, खपरैल, कण्डेरू बन्सौरी	68.00	2360.00
	(ग) कैसाल, कनीस, खुन्ता सरैचा	30.00	2360.00
5	बागान जिसमें नर्सरी और वानिकी भी सम्मिलित है।	–	2360.00
6	सड़क व भवन निर्माण –		
	(क) अकुशल	–	2360.00
	(ख) कुशल	–	2360.00

(ग) मैदानी क्षेत्र के लिए विभिन्न वर्गो के कार्य के लिए कर्मचारियों को देय मजदूरी की समावेशी दरें निम्नलिखित होंगी :–

क्र0सं0	कार्य की श्रेणी	कर्मकारों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें	
		प्रतिघन मीटर	प्रतिमाह
1	छांटना, गिराना, चीरना, और छाल उतारना।	110.00	2575.00
2	स्लेश मेकिंग	36.00	2360.00
3	बांस काटना (प्रति कोशी)		
	(क) चढ़ाव	143.00	2360.00
	(ख) बांही, खपरैल, कण्डेरू बन्सौरी	50.00	2360.00
	(ग) कैसाल, कनीस, खुन्ता सरैचा	20.00	2360.00
4	अन्य कोई कुशल		
5	लादना –		
	(क) गोल इमारती लकड़ी	91.00	2360.00
	(ख) चिरी इमारती लकड़ी	50.00	2360.00
6	उतारना –		
	(क) गोल इमारती लकड़ी	36.00	2360.00
	(ख) चिरी इमारती लकड़ी	27.00	2360.00
7.	इमारती लकड़ी का रूख रखाव और चट्टा बनाना	50.00	2360.00
8.	जलौनी लकड़ी का रूख रखाव और चट्टा बनाना	5.00	2360.00
सर्वसमावेशी मात्रानुपाती दरः–			
1	साल के बीज संग्रह	5.00 प्रति किलो	2360.00
2	तेन्दू पत्रों का संग्रह	459.00 प्रति हजार केन्टेनिंग	
	पचास गड्डी तेन्दू पत्ता आदि	2360.00	

टिप्पणी – कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इव्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़े हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 1794(3)/VIII/228–श्रम टीसी/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,, उत्तरांचल, देहरादून।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 1794(4)/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001
देहरादून : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधार–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 3814/36–3–10 (एम0 डब्लू0)–90 दिनांक 30 अक्टूबर, 1992 को अधिक्रमित करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में कपड़ा छपाई के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
		रूपये प्रतिमाह
1	अकुशल	2350.00
2	अर्द्धकुशल	2730.00
3	कुशल	3115.00
4	अतिकुशल	3750.00
5	लिपिक वर्गीय कर्मचारी – (क) श्रेणी – एक (ख) श्रेणी – दो	 3275.00 3750.00

टिप्पणी – कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल–

रंगने वाला, पैकिंग करने वाला, छपाई करने वाला, चपरासी, पानी वाला, नियोतनी वाला, प्रेश वाला, चौकीदार, हेल्पर, और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

2. अर्द्धकुशल–

डहाइया, रंग बनाने वाला, सिलाई करने वाला, गोट बनाने वाला, साल दिखाने वाला, बढ़ई, फीटर, ड्राईवर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

3. कुशल–

डिजाइन बनाने वाला, ब्लाक बनाने वाला, स्क्रीन बनाने वाला, ठिकाइया (रेखा डालने वाला) ब्वायलर मैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

4. अतिकुशल–

सुपरवाईजर, फोरमैन, केमिस्ट, सिल्क प्रिन्टर, छपाई वाला, और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

5. लिपिक वर्गीय कर्मचारी–

(क) लिपिक श्रेणी– दो– न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और जिसे प्रतिष्ठान में कार्य करते हुये 5 वर्ष पूरे हुये हों।

मुनीम, तकादगीर, रोकड़िया, टंकक, लिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ख) लिपिक श्रेणी–एक– न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य का 5 वर्ष का अनुभव हो।

प्रधान लेखाकार, प्रधान मुनीम, प्रधान रोकड़िया और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 1794(4)/VIII/228–श्रम टीसी/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,, उत्तरांचल, देहरादून।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 1794(5)/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001
देहरादून : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधार–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 4462/36–3–1019 (एम0 डब्लू0)–90 तारीख 31 जनवरी, 1992 को अधिक्रांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में निजी मुद्रणालय के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
		रूपये प्रतिमाह
1	अकुशल	2425.00
2	अर्द्धकुशल	2820.00
3	कुशल–दो	3215.00
4	कुशल–एक	3380.00
5	लिपिक वर्गीय कर्मचारी – (क) श्रेणी – एक (ख) श्रेणी – दो	 3380.00 3875.00

टिप्पणी – कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इव्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़ हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट

1. अकुशल–

चपराशी, सफाई मजदूर, चौकीदार, पैकर, पेपर लिफटर, प्लेट कटर, मशीन मेन का अकुशल सहायक, इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

2. अर्द्धकुशल–

सहायक संगसाज, सहायक मशीन मैन, पेपर मैन, कच्चा वाइण्डर, इंक मैन, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राइन्डिग मैन, पेपर कटर, ब्रेनर, कापी होल्डर, पेपर फीडर, सहायक कम्पोजिटर, करेक्टर, चेकर/इक्जामिनर, दफ्तरी और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

3.(क) कुशल (दो)–

मशीन मैन, प्रेसमैन, पक्का बाइण्डर, कम्पोजिटर, डाईमेकर/कटर/प्रिंन्टर, ब्लाक मेकर, प्रूफमैन, बढ़ई, स्टिचर, प्लेट प्रिन्टर, प्रूफ रीडर, विद्युतकार, लोहार, संगसाज, कासस्टर लाईनो/गोनी और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ख) कुशल (एक)–

मशीन मैन (जो प्रत्येक स्वचालित सिलेण्डर चला सकता हो और 2, 3 और 4 प्रकार के रंग के काम कर सकता हो), कम्पोजिटर (जिसको हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में टंकण का पर्याप्त ज्ञान हो और जो बैलेंश सीट, कैश मेमो, निमंत्रण पत्र इत्यादि का फुटकर काम कर सकता हो), ब्लाक मेकर (जो हाथों और चार रंग के ब्लाक बना सकता हो), डिजाइनर, आर्टिस्ट, कैमरा मैन/आपरेटर/रिटचर, आपरेटर, लाइनों/मीनों, प्रुफ रीडर (जिसको हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू का पर्याप्त ज्ञान हो और जो शत प्रतिशत प्रुफ कार्य कर सके), कास्टर (जो लाइनों/मीनो मोल्ड को ठीक कर सके और छोटी मोटी मरम्मत कर सके)।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी–

(क) लिपिक श्रेणी– दो –

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और जिसे प्रतिष्ठान में कार्य करते हुये 5 वर्ष न पूरे हुये हों।

मुनीम, रोकड़िया, लेखाकार, टंकक/लिपिक, स्टोर कीपर, टाइम कीपर, सेल्स मैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ख) लिपिक श्रेणी–एक–

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और प्रतिष्ठानमें कार्य का 5 वर्ष का अनुभव हो।

प्रधान रोकड़िया, प्रधान लेखाकार, आशुलिपिक, ज्येष्ठ सेल्समैन, प्रधान लिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 1794(5)/VIII/228–श्रमटीसी/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 1794(6)/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001
देहरादून : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधार–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 2524/36–3–20(एम0 डब्लू0)–92 तारीख 24 नवम्बर, 1994 को अधिक्रांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में निजी पुस्तकालयों के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	श्रेणी प्रथम 50,000 पुस्तकों से अधिक तथा मैगजीन	श्रेणी द्वितीय 15,000 से 50,000 पुस्तकों तक तथा मैगजीन	श्रेणी तृतीय 15,000 पुस्तकें तथा मैगजीन
1	2	3	4	5
1	पुस्तकालयाध्यक्ष (क) स्नातक तथा लाइब्रेरी साइंस में डिग्री/डिलोमा (ख) स्नातक (अप्रशिक्षित)	3005.00 2905.00	2955.00 2855.00	2905.00 2805.00
2	उप पुस्तकालयाध्यक्ष (क) स्नातक तथा लाइब्रेरी साइंस में डिग्री/डिलोमा (ख) स्नातक (अप्रशिक्षित)	2905.00 2705.00	2805.00 2655.00	2705.00 2605.00
3	सीनियर कैटलागर (क) स्नातक (ख) इण्टरमीडिए	2805.00 2755.00	2705.00 2605.00	2655.00 2555.00
4	(क) जूनियर कैटलागर (स्नातक) मैगजीन सहायक, एक्सेशन क्लर्क (ख) कार्यालय अधीक्षक (इण्टरमीडिएट/हाईस्कूल)	2705.00 2655.00	2605.00 2665.00	2555.00 2555.00
5	पुस्तकालय (स्नातक) सहायक आदान प्रदान सहायक, प्रस्तक प्रभारी	2705.00	2655.00	2605.00
6	लिपिक/टंकक (इण्टरमीडिएट/हाईस्कूल)	2605.00	2555.00	2505.00
7	जैनीटर/दफ्तरी	2505.00	2455.00	2405.00

8	चपरासी, माली, चौकीदार, दुकलिप्टर, स्वच्छकार या समकक्ष अन्य अकुशल कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय	2455.00	2405.00	2355.00

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इप्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़ हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550. 00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 1794(6)/VIII/228–श्रमटीसी/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 1794(7)/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001
देहरादून : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005

<u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधार–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 3596/36–3–2(एम0 डब्लू0)–85 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 को अधिक्रांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में (1) किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में और (2) किसी तेल मिल के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

1– (क) (1) किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल (रोलर आटा मिल का छोड़कर) में और

(2) किसी तेल मिल में,

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	10 कर्मचारियों तक नियोजित करने वाली इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें	10 कर्मचारियों से अधिक नियोजित करने वाली इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3	4
		रूपये प्रतिमाह	रूपये प्रतिमाह
1	अकुशल	2350.00	2425.00
2	अर्द्धकुशल	2730.00	2820.00
3	कुशल	3115.00	3215.00
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी – (क) श्रेणी – एक (ख) श्रेणी – दो	 3275.00 3750.00	 3380.00 3875.00

2– (ख) किसी रोलर आटा मिल में,

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
		रूपये प्रतिमाह
1	अकुशल	2425.00
2	अर्द्धकुशल	2820.00
3	कुशल	3215.00
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी – (क) श्रेणी – एक (ख) श्रेणी – दो	 3380.00 3875.00

टिप्पणी – कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इप्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़ हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट

1. अकुशल–

पैकर, कुली, स्टोर ब्वाय, मजदूर, चौकीदार, माली, प्रहरी, द्वारपाल, चपरासी, सन्देश वाहक, स्टोर मैन, हेल्पर, बारदाना मैन, कोल मैन, पानी मैन, कामदार/सफाईदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

2. अर्द्धकुशल–

धोबी, गुपिंगमैन, लाईनमैन, तगादगीर, प्रहरी प्रभारी और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

3. कुशल–

ड्राईवर, मिस्त्री, रोलर मैन, सिल्क मैन, प्यूरी, फायर मैन, आयल मैन, ऐंगिल मैन, फिटर, टिनकार, मशीनमैन, बढ़ई, टर्नर, विद्युतकार, विद्युत मिस्त्री, मार्क मैन, पेस्ट मैन, तौलक (वेमैन), सुपरवाईजर, ब्वायलर अटेन्डेन्ट, वेल्डर, पेन्टर, कोल्हु कटर, कोल्हू खरादी, पम्प अटेन्डेन्ट, आपरेटर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी–

(क) लिपिक श्रेणी दो–

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और जिसे प्रतिष्ठान में कार्य करते हुये 5 वर्ष न पूरे हुये हो।

मुनीम, लेखाकार, कनिष्ठ लिपिक, डब्लू0आर0 क्लर्क, डिलीवरी क्लर्क, बिक्रीकर्ता, टाइम कीपर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 1794(7)/VIII/228–श्रमटीसी/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी

5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 1794(8)/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001
देहरादून : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधार–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 3600/36–3–1077(एम0 डब्लू0)–77 दिनांक 19 नवम्बर, 1991 को अधिक्रांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में सिलाई उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देहरादून, नैनीताल शहरों में स्थित उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें	शेष शहरों के लिए देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3	4
		रूपये प्रतिमाह	रूपये प्रतिमाह
1	अकुशल	2425.00	2350.00
2	अर्द्धकुशल	2820.00	2730.00
3	कुशल	3215.00	3115.00

टिप्पणी – कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इप्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़ हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट

1. अकुशल–

सफाईकार, पैकर, चपरासी, लोहा गरम करने वाला, हैल्पर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

2. अर्द्धकुशल–

बटन लगाने वाला, काज तैयार करने वाले व्यक्ति, दर्जी का हेल्पर, पायजामा, साधारण कुर्ता, अन्डरवियर सिलने का कार्य करने वाले व्यक्ति, मरम्मत का कार्य करने वाले, उधेड़ने का कार्य करने वाले व्यक्ति, पेस मैन, मशीन की सफाई करने वाला और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

कुशल–

कटर, नपाई का कार्य करने वाले व्यक्ति, पायजामा, कोट, कमीज, अचकन, शेरवानी, ब्लाउज, लेडीज गाउन, मैक्सी आदि सिलने का कार्य करने वाले व्यक्ति और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 1794(8)/VIII/228–श्रमटीसी/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 1794(8)/VIII/228–श्रम टीसी–II/2001
देहरादून : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधार–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 215/36–3–6(एम0 डब्लू0)–90 दिनांक 20 जनवरी, 1992 को अधिक्रांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मेसियों के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

2.

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
		रूपये प्रतिमाह
एलोपैथिक फार्मेसी		
1	अकुशल	2425.00
2	अर्द्धकुशल	2820.00
3	कुशल	3215.00
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी – (क) श्रेणी – दो (ख) श्रेणी – एक	 3380.00 3875.00
आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मेसी		
1	अकुशल	2345.000
2	अर्द्धकुशल	2730.00
3	कुशल	3115.00
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी – (क) श्रेणी – दो (ख) श्रेणी – एक	 3275.00 3750.00

टिप्पणी – कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, वरिष्ठ विक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक, बिक्री प्रतिनिधि और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 1794 VIII/228–श्रमटीसी/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 1794(1)/श्रम सेवा/228—श्रमटीसी/2001
देहरादून : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या—11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधार—3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 1334/36—3—44(एम0 डब्लू0)—75 तारीख 8 अगस्त, 1990 को अधिक्रांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में ईंट भट्टा उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :—

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
1	चपरासी, चौकीदार, बेलदार, हेल्पर, फायरमैन एवं क्लीनर	1755.00 रू0 प्रतिमाह या रू0 67.50 प्रतिदिन
2	ड्राईवर	2315.00 प्रतिमाह
3	निकासी वाला एवं भराई वाला	52.00 रू0 प्रति हजार ईंट
4	पथेरा	148.00 रू0 प्रति हजार ईंट (कमीशन सम्मिलित करके) 137.00 रू0 प्रति हजार ईंट (बिना कमीशन के)
5	चुनाई वाला	10.00 रू0 प्रति हजार ईंट

लिपिक वर्गीय कर्मचारी

पद	अर्हता एवं अनुभव	वेतन
(क) प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, लोकड़या एवं प्रधान लिपिक	हाईस्कूल उत्तीर्ण हो और जिसे अधिठान में न्यूनतम पांच वर्ष तक कार्य का अनुभव हो	2770.00
(ख) मुनीम (जहां अधिष्ठान में एक पृथक प्रधान भी है) लेखाकार (जहां अधिष्ठान में एक मुख्य लेखाकार भी है) एवं लिपिक।	हाईस्कूल उत्तीर्ण हो और जिसने अधिठान में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो	2430.00

टिप्पणी — कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता —

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर

तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इप्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़ हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 1794(1)/VIII/228–श्रमटीसी/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : 1794(2)/श्रम सेवा/228–श्रमटीसी/2001
देहरादून : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2005

<u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधार–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 3542/36–3–6(एम0 डब्लू0)–93 तारीख 30 दिसम्बर, 1994 को अधिक्रांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में धर्मशालाओं के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारण करते हैं।

निःशुल्क सेवा करने वाली अथवा रू0 5/– तक दैनिक शुल्क यात्रियों से लेने वाली धर्मशालाओं को छोड़कर उत्तरांचल में समस्त धर्मशालाओं के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों की मजदूरी की अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100) के 506 अंक पर आधारित न्यूनतम दरें।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :–

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	अर्हता	वेतन
1	2	3	4
			रूपये प्रतिमाह
1	चपरासी/चौकीदार/रूम ब्यॉय/हैल्पर/माली/कहार/जमींदार	–	
2	लेबर इंचार्ज, इलेक्ट्रिशियन, रसोईया	–	2405.00
3	एकाउन्टेंट/मुनीम/कैशियर/लिपिक/टंकक	(क) स्नातक (ख) गैर स्नातक	2705.00 2605.00
4	सहाकय प्रबन्धक/सुपरवाइजर/प्रधान लिपिक/कार्यालय सहायक	(क) स्नातक (ख) गैर स्नातक	2305.00 2755.00
5	प्रबन्धक/उप प्रबंधक	(क) स्नातक (ख) गैर स्नातक	2905.00 2855.00

स्पष्टीकरण :– धर्मशालाओं में मुसाफिरखाना, अतिथि गृह और बरातशाला भी सम्मिलित है।

2. परिवर्तन मंहगाई भत्ता –

1. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=10) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया पति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दैनिक मासिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छूटे भाग से कम न होगी।

7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक है तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूव से कर रहा है तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्वत में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रूपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रूपया है और इप्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रूपया होती है और उस दिन नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़ हुए परिवर्तन मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रूपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रूपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी भी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समाजन इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठ संख्या 1794(2)/VIII/228–श्रमटीसी/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणायल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड–फाइल

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

संख्या : /VIII/108–श्रम/2005

देहरादून : दिनांक : 7 नवम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (डिवीजन तथा सेवा शर्त विनियम) नियमावली, 2005 के नियम 17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र देहरादून को राज्य सलाहकार समिति, उत्तंराचल का सचिव तत्काल प्रभाव से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। राज्य सलाहकार समिति, उत्तरांचल के सचिव उक्त नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानित शक्तियों का प्रयोग एवं दायित्वों का निर्वहन अपने वर्तमान पद के साथ–साथ करेंगे।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पत्रांक : 2171/VIII/108–श्रम/2005 तद्‌दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य सलाहकार समिति, उत्तरांचल के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण।
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई–दिल्ली।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. सम्बन्धित अधिकारी।
5. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
6. अपर श्रमायुक्त उत्तरांचल, गढ़वाल–क्षेत्र, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र, हल्द्वानी/देहरादून।
8. गार्ड–फाइल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

संख्या : /VIII/108–श्रम/2005

देहरादून : दिनांक : 7 नवम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम) नियमावली, 2005 के नियम 263 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र देहरादून को उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव तत्काल प्रभाव से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका अनुमोदन उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से करा लिया जाय। बोर्ड के सचिव उक्त नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानित शक्तियों का प्रयोग एवं दायित्वों का निर्वहन अपने वर्तमान पद के साथ–साथ करेंगे।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पत्रांक : 2191/VIII/108–श्रम/2005 तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण।
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई–दिल्ली।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. सम्बन्धित अधिकारी।
5. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
6. अपर श्रमायुक्त उत्तरांचल, गढ़वाल–क्षेत्र, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र, हल्द्वानी/देहरादून।
8. गार्ड–फाइल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या : /VIII/680–श्रम/2005
देहरादून : दिनांक : 23 नवम्बर, 2005
अधिसूचना

श्री राज्यपाल, भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) की धारा 3 की उपधारा (2) एवं उसे अन्तर्गत बनाए गए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड (च) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य में तैनात समस्त तहसीलदारों को उनकी अधिकारिता की सीमा के भीतर उक्त अधिनियम और नियमों के संगत उपबन्धों के प्रयोजनार्थ सेस कलेक्टर नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पत्रांक : 2277/VIII/680–श्रम/2005 तद्‌दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल
4. अध्यक्ष/सचिव, उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
5. समस्त सदस्य, उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त परगना मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
9. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
10. अपर श्रमायुक्त उत्तरांचल, देहरादून।
11. समस्त उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल।
12. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को उक्त अधिसूचना असाधारण गजट में प्रकाशित कर 300 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु।
13. गार्ड–फाइल।

आज्ञा से

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

संख्या : /VIII/680–श्रम/2005

देहरादून : दिनांक : 23 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित धारा 5 की उपधारा (1) एवं उसे अन्तर्गत बनाए गए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड (छ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य में तैनात समस्त उपजिलाधिकारियों को उनकी अधिकारिता की सीमा के भीतर उक्त अधिनियम और नियमों के संगत उपबन्धों के प्रयोजनार्थ निर्धारण अधिकारी और विहित प्राधिकारी नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(नृप सिंह नपलच्याल)

प्रमुख सचिव

पत्रांक : 2278/VIII/680–श्रम/2005 तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल
4. अध्यक्ष/सचिव, उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
5. समस्त सदस्य, उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त परगना मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
9. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
10. अपर श्रमायुक्त उत्तरांचल, देहरादून।

11. समस्त उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल।

12. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को उक्त अधिसूचना असाधारण गजट में प्रकाशित कर 300 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु।

13. गार्ड–फाइल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

संख्या : /VIII/ –श्रम/2005

देहरादून : दिनांक : 23 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) की धारा 11 एवं उसे अन्तर्गत बनाए गए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड (ज) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य में तैनात समस्त जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता की सीमा के भीतर उक्त अधिनियम एवं नियमों के संगत उपबन्धों के प्रयोजनार्थ अपील अधिकारी नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पत्रांक : 2279/VIII/680–श्रम/2005 तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल
4. अध्यक्ष/सचिव, उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
5. समस्त सदस्य, उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त परगना मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
9. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
10. अपर श्रमायुक्त उत्तरांचल, देहरादून।

11. समस्त उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल।

12. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को उक्त अधिसूचना असाधारण गजट में प्रकाशित कर 300 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु।

13. गार्ड–फाइल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)

अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

संख्या : 1739/VIII/1069–श्रम/2005

देहरादून : दिनांक : 26 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट, 1961 (एक्ट संख्या 27 सन् 1961) की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तिय का प्रयोग करके श्री राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों को उपर्युक्त ऐक्ट के प्रयोजनार्थ अनुसूची के स्तम्भ 3 में उनके सामने उल्लिखित स्थानीय सीमाओं के भीतर अपने कृत्यों को निर्वहन करने के लिए ''निरीक्षक'' नियुक्त करते हैं :–

अनुसूची

क्र0 सं0	निरीक्षक के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी	स्थानीय सीमाओं–जिनके भीतर कृत्यों के निर्वहन किया जायेगा।
1	उप श्रम आयुक्त, मुख्यालय, हल्द्वानी	सम्पूर्ण उत्तरांचल।
2	सहायक, श्रम आयुक्त, मुख्यालय, हल्द्वानी	सम्पूर्ण उत्तरांचल।
3	अपर श्रम आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून	गढ़वाल मण्डल में स्थित समस्त जनपद
4	गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात समस्त उप/सहायक श्रम आयुक्त	गढ़वाल मण्डल में स्थित समस्त जनपद
5	गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	गढ़वाल मण्डल में स्थित समस्त जनपद
6	कुमायूं क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात समस्त उप/सहायक श्रम आयुक्त	कुमायूं मण्डल में स्थित समस्त जनपद
7	कुमायूं क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	कुमायूं मण्डल में स्थित समस्त जनपद

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

पत्रांक : 1739/VIII/1069–श्रम/2004 तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी जिला नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. अपर श्रमायुक्त, देहरादून/समस्त उप/सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तरांचल।
4. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को उक्त अधिसूचना असाधारण गजट में प्रकाशित कर 300 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु।
5. सम्बन्धित अधिकारी
6. गार्ड–फाइल।

आज्ञा से,

(टी0आर0 भट्ट)

अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

संख्या : 1911/VIII/123–श्रम/2006

देहरादून : दिनांक : 12 जनवरी, 2007

अधिसूचना

कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 53 सन् 1948) की धारा–8 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित लोक अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उकत अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुसूची के स्तम्भ 3 में उनके सामने निर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर अपर निरीक्षक के कृत्यों को निर्वहन करने हेतु ''अपर निरीक्षक'' नियुक्त करते हैं।

प्रयोजन

स्वास्थ्य (अध्याय) खतरनाक मशीने पर अल्पवय वयक्तियों का नियोंजन (धारा 23),रूई धुनाई की मशीनों के निकट महिलओं और बालकों के नियोजन का निषेध (धारा 27),खतरनाक धुएं, गैस आदि के विरूद्ध सावधानी (धारा 36) विस्फोटक या ज्वलनशील गैस,राख आदि (धारा 27) आग से सावधानी (धारा 38), श्रम कल्याण (अध्याय 5), वयस्क कर्मकारों के काम के घंटे (अध्याय 6) धारा 62 के परन्तुक के अन्तर्गत छूट प्रदान करने की शक्तियों को छोड़कर, अल्पवय व्यक्तियों को नियोंजन (अध्याय 7), सवेतन वार्षिक अवकाश (अध्याय 8) तथा सूचनाओं को संप्रदर्शित करना (धारा 108)

टनुसूची

d0l0	yksd vf/kdkjh	{ks=kf/kdkj dh lhek
1.	श्रम आयुक्त उत्तराचंल	सम्पूर्ण उत्तराचंल
2.	अपर श्रम आयुक्त उत्तराचंल देहरादून	गढ़वाल मण्डल में स्थित सभी जिलों की स्थानीय सीमाओं के भीतर
3.	उत्तराचंल में नियुक्त समस्त सहायक/उप श्रम आयुक्त	उनके क्षेत्राधिकार में स्थित सभी जिलों की स्थानीय सीमाओं के भीतर
4.	उत्तराचंल में श्रम आयुक्त संगठन के अधीन नियुक्त समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी /सहायक संघ निरीक्षक/मुख्य अन्वेषक/सांख्यिकीय सहायक	उनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर

(एस0 राजू)
सचिव

पृष्ठाकंन संख्या : /VIII/123–श्रम/2006 तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रमायुक्त/निदेशक, कारखाना एंव ब्वायलर उत्तरांचल, हल्द्वानी।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल।
4. उप निदेशक, कारखाना/ब्वायलर उत्तरांचल, हल्द्वानी/ सहायक निदेशक, का0/ब्वा0 देहरादून/ हल्द्वानी।
5. समस्त सहायक/उप श्रम आयुक्त उत्तराचंल।
6. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट राजपत्र के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित अधिकारी
8. गार्ड–फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 के0 चौहान)

अनु सचिव

f}rh; ladyu

उत्तराखण्ड़ राज्य गठन के बाद विभाग में लागू शासनादेशों को उनके जारी होने की तिथि के अनुसार अवरोही कम में सूची

तृतीय भाग

विभाग का नाम– श्रम विभाग, श्रम आयुक्त संगठन उत्तराखण्ड़ श्रम भवन नैनीताल रोड हल्द्वानी।

d0l0	fu;ekoyh dk ijk uke	i[;kiu frfFkA	it l0
1.	औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) नियमावली 2001	2628/औ0वि0/श्रम/2001 दिनांक 15 नवम्बर, 2001	203
2.	उत्तरांचल औद्योगिक नियोजन माडल स्थाई आदेश 2001	2630/औ0वि0/श्रम/2001 दिनांक 15 नवम्बर, 2001	206
3.	उत्तराचल (उ0प्र0 ट्रेड यूनियन निनियम,1927)	4592/श्रम सेवायोजन /2002 590–श्रम/2002 दिनांक 29/10/2002	209
4.	उत्तराचल (उ0प्र0 प्रदेश कर्मकार प्रतिकर (व्यावसायिक व्याधिया) नियमावली 1964)	4594/श्रम सेवायोजन /2002 592 –श्रम/2002 दिनांक 29/10/2002	210
5.	उत्तराचल (उ0प्र0 मातृका हितलाभ नियमावली 1983)	4587/श्रम सेवायोजन/2002, 585–श्रम/2002 दिनांक 29/10/2002	212
6.	उत्तराचल (उ0प्र0 अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्ममार (सेवायोजन का विनियमन तथरा सेवा शते) नियमावली 1983)	4586/श्रम सेवायोजन/2002, 584–श्रम/2002 दिनांक 29/10/2002	214
7.	उत्तराचल (उ0प्र0 जीवन निर्वाह भत्ता–राजाज्ञा 1971)	4596/श्रम सेवायोजन/2002, 594–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	216
8.	उत्तराचल (उ0प्र0 बागान श्रम नियमावली 1957)	4591/श्रम सेवायोजन/2002, 589–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	218
9.	उत्तराचल (उ0प्र0 कर्मकार प्रतिकर नियमावली 1975)	4593/श्रम सेवायोजन/2002, 591–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	220
10.	उत्तराचल (उ0प्र0 के न्यायाधिकरणों आदि द्वारा दिये गये अभिनिर्णयों की प्रतिलिपियां प्रदान किये जाने विनियमन की नियमावली 1954)	4638/श्रम सेवायोजन/2002, 599–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	222
11.	उत्तराचल (उ0प्र0 श्रम कल्याण निधि नियमावली 1972)	4449/श्रम सेवायोजन/2002, 539–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	224
12.	उत्तराचल (उ0प्र0 औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश) नियमावली 1965)	4458/श्रम सेवायोजन/2002, 547–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	226
13.	उत्तराचल (उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति(वेतनों का समय से भुगतान) नियमावली 1981)	4452/श्रम सेवायोजन/2002, 541–श्रम/2002: दिनांक 29.10.02	228

14.	उत्तराचल (औद्योगिक विवाद (उ0प्र0) नियमावली 1976)	4447/श्रम सेवायोजन/2002, 537–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	230
15.	उत्तराचल (उ0प्र0 मोटर परिवहन कर्मकार नियमावली 1962)	4519/श्रम सेवायोजन/2002, 564–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	232
16.	उत्तराचल (उ0प्र0 मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) नियमावली 1958)	4428(1)/श्रम सेवायोजन / 2002, 532–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	234
17.	उत्तराचल (उ0प्र0 मजदूरी संदाय नियमावली 1936)	4428/श्रम सेवायोजन/2002, 532–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	236
18.	उत्तराचल (उ0प्र0 मजदूरी संदाय(प्रक्रिया) अनुसूचित नियोजनों के प्रयोज्य नियमावली 1963)	4428(2)/श्रम सेवायोजन/ 2002, 532–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	238
19.	उत्तराचल (उ0प्र0श्रम जीवी पत्रकार(औद्योगिक विवाद)नियमावली 1957)	4589/श्रम सेवायोजन/2002, 587–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	240
20.	उत्तराचल (उ0प्र0 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालयों हतु विधि व्यवहार नियमावली 1967)	4455/श्रम सेवायोजन/2002, 544–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	242
21.	उत्तराचल (उ0प्र0 उपादना संदाय नियमावली 1975)	4495/श्रम सेवायोजन/2002, 556–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	244
22.	उत्तराचल (उ0प्र0शक्कर पावर एल्कोहोल उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि नियमावली 1951)	4637/श्रम सेवायोजन/2002, 598–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	246
23.	उत्तराचल (उ0प्र0औद्योगिक विवाद नियमावली 1957)	4454/श्रम सेवायोजन/2002, 543–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	248
24.	उत्तराचल (उ0प्र0 न्यूनतम मजदूरी नियमावली 1952)	4471/श्रम सेवायोजन/2002, 550–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	250
25.	उत्तराचल (उ0प्र0 बालक श्रम (प्रतिषेध ओर विनियमन नियमावली 1994)	4518/श्रम सेवायोजन/2002, 563–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	252
26.	उत्तराचल (उ0प्र0 बीडी सिगार कर्मकार (सेवायाजन की शर्तें) नियमावली 1969)	4588/श्रम सेवायोजन/2002, 586–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	254
27.	उत्तराचल (उ0प्र0 ब्बायलर आपरेशन इन्जीनियर्स नियमावली 1964)	4597/श्रम सेवायोजन/2002, 595–श्रम/2002: दिनांक 29/10/2002	256

28.	उत्तराचल (उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947)	4453 / श्रम सेवायोजन / 2002, 542—श्रम / 2002: दिनांक 29 / 10 / 2002	258
29.	उत्तराचल (उ0प्र0 श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965)	4448 / श्रम सेवायोजन / 2002, 538—श्रम / 2002: दिनांक 29 / 10 / 2002	260
30.	उत्तराचल (उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (वेतनो का समय से भुगतान) अधिनियम 1978)	4451 / श्रम सेवायोजन / 2002, 541—श्रम / 2002: दिनांक 29 / 10 / 2002	262
31.	उत्तराचल (उ0प्र0औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश) अधिनियम 1961)	4457 / श्रम सेवायोजन / 2002, 546—श्रम / 2002: दिनांक 29 / 10 / 2002	264
32.	उत्तराचल (उ0प्र0 बदली कर्मकारों का सेवायोजन अधिनियम 1978)	4595 / श्रम सेवायोजन / 2002, 593—श्रम / 2002: दिनांक 29 / 10 / 2002	266
33.	उत्तराचल (उ0प्र0 औद्योगिक उपक्रमों में (बेकारी) निवारण के लिए विशेष उपबंध का अधिनियम 1966)	4635 / श्रम सेवायोजन / 2002, 596—श्रम / 2002: दिनांक 29 / 10 / 2002	268
34.	उत्तराचल (उ0प्र0 शक्कर और पावर अल्कोहल ,उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम 1950)	4636 / श्रम सेवायोजन / 2002, 597—श्रम / 2002: दिनांक 29 / 10 / 2002	270
35.	उत्तराचल श्रम सेवा तकनीकी नियमावली 2002	6520 / श्रम सेवा / 466 / 2002 : दिनांक 8 नवम्बर 2002	272
36.	उत्तरांचल संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) नियमावली 2003	1063 / श्रम सेवा / 03—740 / 02 : दिनांक 27.03.2003	280

क्रम संख्या–121

पंजीकृत–डी0एन0 / आर0ओ0–181 / 2001
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 नवम्बर, 2001 ई0

कार्तिक 24, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

औद्योगिक विकास शाखा–2 (श्रम)

संख्या 2628 / औ0वि0 / श्रम / 2001

देहरादून : दिनांक 15 नवम्बर, 2001

<u>अधिसूचना</u>

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली 1946, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली 1946, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 2001 (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :–

(1) यह आदेश उत्तरांचल औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 2001 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 कहलाएगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :–

उ0प्र0 औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1946 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. उपरोक्तानुसार प्रख्यापित उत्तरांचल औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1946 के नियम 6 के क्रमांक 9 अ के पश्चात, क्रमांक 9 ब निम्न प्रकार जोड़ दिया जायेगा।

9–ब– यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्षतया अथवा अन्यथा कामवासना से प्रेरित अशोभनीय व्यवहार शामिल हैं, जैसे –

(क) शारीरिक स्पर्श तथा कामोदित प्रणय सम्बन्धी चेष्टायें।

(ख) यौन स्वीकृति की मांग अथवा प्रार्थना।

(ग) कामवासनाओं से प्रेरित फब्तियां

(घ) नग्न–चित्र एवं अश्लील साहित्य का प्रदर्शन

(ड़) यौन सम्बन्धी कोई भी अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।

आज्ञा से,

(एस0 कृष्णन)

सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no.

No. 2628/A.V./Sriam/2001

Dated Dehradun November 15, 2001

NOTIFICATION

Whereas, under section-87 of the Uttar Pardesh Re-organization Act, 2000, the Uttaranchal Government may by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as necessary or expedient.

And, Whereas Uttar Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1946 is inforce in the State of Uttaranchal under -87 of the Uttar Pardesh Re-organization Act, 2000,

Now, Therefore in exercise of the power under section -87 of the Uttar Pardesh Re-organization Act, 2000 (ActNo. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Re-Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1946, shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order :

THE UTTARANCHAL INDUSTRIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) RULES, (UTTARANCHAL ADAPTATION AND MODIFICATION) ORDER, 2001

1. Short title and Commencement :-

(1) This order may be called the Uttaranchal Industrial Employment Model Stand Orders, 1991 (Uttaranchal Adaptation and Modification Order) 2001.

(2) It shall come into force immediately.

2. In Uttar Pradesh Industrial Employment Model Stand Orders, 1991 wherever the expression “Uttar Pradesh” courts it shall be read as “Uttaranchal”.

3. In Rule-6 of the Uttaranchal (Standing Orders) Rule, 1946 after item 9-A the following item 9-B be interested.

9—B. Sexual harassment which includes such-un-welcome sexually determined behaviour (Whether directly or by implication) such as-

(i) Physical contact and advances; or

(ii) a demand or request for sexual favours; or

(iii) Sexually coloured remarks; or

(iv) Showing pomography; or

(v) any other un-welcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

By Order,

(S. KRISHAN)

Secretary.

क्रम संख्या–121

पंजीकृत–डी0एन0/आर0ओ0–181/2001

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 नवम्बर, 2001 ई0

कार्तिक 24, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

औद्योगिक विकास शाखा–2 (श्रम)

संख्या 2630/औ0वि0/श्रम/2001

देहरादून : दिनांक 15 नवम्बर, 2001

<u>अधिसूचना</u>

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन माडल स्थायी आदेश 1991, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन माडल स्थायी आदेश 1991, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल औद्योगिक नियोजन माडल स्थायी आदेश नियमावली, 2001 (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :–

(1) यह आदेश उत्तरांचल औद्योगिक नियोजन माडल स्थायी आदेश (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 कहलाएगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :–

उ0प्र0 औद्योगिक नियोजन माडल स्थायी आदेश 1991 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. उपरोक्तानुसार प्रख्यापित उत्तरांचल औद्योगिक नियोजन माडल स्थायी आदेश 1991 के खण्ड 20 के उपखण्ड–1 (एन) के पश्चात, निम्न उपखण्ड (ओ) जोड़ा जायेगा।

(ओ) यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्षतया अथवा अन्यथा कामवासना से प्रेरित अशोभनीय व्यवहार शामिल हैं, जैसे –

(क) शारीरिक स्पर्श तथा कामोदित प्रणय सम्बन्धी चेष्टायें।

(ख) यौन स्वीकृति की मांग अथवा प्रार्थना।

(ग) कामवासनाओं से प्रेरित फब्तियां

(घ) नग्न–चित्र एवं अश्लील साहित्य का प्रदर्शन

(ड़) यौन सम्बन्धी कोई भी अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।

आज्ञा से,

(एस0 कृष्णन)

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no.

No. 2630/A.V./Sriam/2001

Dated Dehradun November 15, 2001

NOTIFICATION

Whereas, under section-87 of the Uttar Pardesh Re-organization Act, 2000, the Uttaranchal Government may by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as necessary or expedient.

And, Whereas Uttar Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1946 is inforce in the State of Uttaranchal under -87 of the Uttar Pardesh Re-organization Act, 2000,

Now, Therefore in exercise of the power under section -87 of the Uttar Pardesh Re-organization Act, 2000 (ActNo. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Re-Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1946, shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order :

THE UTTARANCHAL INDUSTRIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) RULES,

(UTTARANCHAL ADAPTATION AND MODIFICATION) ORDER, 2001

1. Short title and Commencement :-

(1) This order may be called the Uttaranchal Industrial Employment Model Stand Orders, 1991 (Uttaranchal Adaptation and Modification Order) 2001.

(2) It shall come into force immediately.

2. In Uttar Pradesh Industrial Employment Model Stand Orders, 1991 wherever the expression “Uttar Pradesh” courts it shall be read as “Uttaranchal”.

3. In clause 20 after sub-clause-1 (n) or Uttranchal Industrial Employment Model Stand Orders, 1991 the following sub-clause (O) shall be inserted.

(O) Sexual harassment which includes such-un-welcome sexually determined behaviour (Whether directly or by implication) such as-

(i) Physical contact and advances; or

(ii) a demand or request for sexual favours; or

(iii) Sexually coloured remarks; or

(iv) Showing pomography; or

(v) any other un-welcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

By Order,

(S. KRISHAN)

Secretary.

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4592 / श्रम सेवायोजन / 2002, 590–श्रम / 2002

देहरादून : दिनांक 29 / 10 / 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन विनियम, 1927 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन विनियम, 1927 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन विनियम, 1927) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन विनियम, 1927) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

यह उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन विनियम, 1927 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4594/श्रम सेवायोजन/2002, 592–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकार (व्यावसायिक व्याधियां) नियमावली, 1964 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रतिकर (व्यावसायिक व्याधियां) नियमावली, 1964 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकार (व्यावसायिक व्याधियां) नियमावली, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर (व्यावसायिक व्याधियां) नियमावली, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

यह उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर (व्यावसायिक व्याधियां) नियमावली, 1964 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4594 /श्रम सेवा/2002 तद्दिनांकित :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4587/श्रम सेवायोजन/2002, 585–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश मातृका हितलाभ नियमावली, 1983 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश मातृका हितलाभ नियमावली, 1983 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मातृका हितलाभ नियमावली, 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मातृका हितलाभ नियमावली, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश मातृका हितलाभ नियमावली, 1983 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4587 / श्रम सेवा / 2002   तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)

सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4586/श्रम सेवायोजन/2002, –श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (सेवायोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1983 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश कर्मकार अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (सेवायोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1983 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (सेवायोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (सेवायोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (सेवायोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें)नियमावली, 1983 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4586 / श्रम सेवा / 2002 तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4596/श्रम सेवायोजन/2002, 594—श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा—87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, जीवन निर्वाह भत्ता—राजाज्ञा (उत्तर प्रदेश) 1971 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि जीवन निर्वाह भत्ता—राजाज्ञा (उत्तर प्रदेश) 1971 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जीवन निर्वाह भत्ता—राजाज्ञा 1971) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जीवन निर्वाह भत्ता—राजाज्ञा 1971) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश जीवन निर्वाह भत्ता—राजाज्ञा (उत्तर प्रदेश) 1971 में जहां—जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां—वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

पत्रांक : 4596 / श्रम सेवा / 2002 तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4591/श्रम सेवायोजन/2002, 584–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश बागान श्रम नियमावली, 1957 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि बागान श्रम नियमावली, 1957 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बागान श्रम नियमावली, 1957) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बागान श्रम नियमावली, 1957) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश बागान श्रम नियमावली, 1957 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

पत्रांक : 4591/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4593/श्रम सेवायोजन/2002, 591–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर नियमावली, 1975 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि कर्मकार प्रतिकर नियमावली, 1975 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर नियमावली, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर नियमावली, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर नियमावली, 1975 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

पत्रांक : 4593/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4638/श्रम सेवायोजन/2002, 599–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश के न्यायाधिकरणों आदि द्वारा दिये गये अभिनिर्णयों की प्रतिलिपियों की स्वीकृति दिये जाने विनियमन की नियमावली, 1954 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश के न्यायाधिकरणों आदि द्वारा दिये गये अभिनिर्णयों की प्रतिलिपियों की स्वीकृति दिये जाने विनियमन की नियमावली, 1954 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश के न्यायाधिकरणों आदि द्वारा दिये गये अभिनिर्णयों की प्रतिलिपियां प्रदान किए जाने के विनियमन की नियमावली, 1954) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश के न्यायाधिकरणों आदि द्वारा दिये गये अभिनिर्णयों की प्रतिलिपियां प्रदान किए जाने के विनियमन की नियमावली, 1954) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश के न्यायाधिकरणों आदि द्वारा दिये गये अभिनिर्णयों की प्रतिलिपियां प्रदान किए जाने के विनियमन की नियमावली, 1954 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4638 / श्रम सेवा / 2002   तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)

सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4449 / श्रम सेवायोजन / 2002, 539–श्रम / 2002

देहरादून : दिनांक 29 / 10 / 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि नियमावली, 1972 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि नियमावली, 1972 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि नियमावली, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (श्रम कल्याण निधि नियमावली, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि नियमावली, 1972 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा और जहां–जहां शब्द 'कानपुर' के रूप में आया है वहां–वहां शब्द 'हल्द्वानी' के रूप पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4449 / श्रम सेवा / 2002 तद्दिनांक :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4458/श्रम सेवायोजन/2002, 547—श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा—87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश) नियमावली, 1965 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश) नियमावली, 1965 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश) नियमावली, 1965) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश) नियमावली, 1965 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश औद्योगिक स्थापनन (राष्ट्रीय अवकाश) नियमावली, 1965 में जहां—जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां—वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

पत्रांक : 4458 / श्रम सेवा / 2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4452/श्रम सेवायोजन/2002, 541–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (वेतनों का समय से भुगतान) नियमावली, 1981 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (वेतनों का समय से भुगतान) नियमावली, 1981 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (वेतनों का समय से भुगतान) नियमावली, 1981) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (वेतनों का समय से भुगतान) नियमावली, 1981) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (वेतनों का समय से भुगतान) नियमावली, 1981 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4452 / श्रम सेवा / 2002 तद्दिनांक :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4447/श्रम सेवायोजन/2002, 537–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1976 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1976 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1976) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति विवाद (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1976) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1976 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा और जहां–जहां शब्द ''लखनऊ'' के रूप में आया है वहां–वहां वह शब्द ''देहरादून'' के रूप में पढ़ा जायेगा

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4447/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)

सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4519/श्रम सेवायोजन/2002, 564–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार नियमावली, 1962 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार नियमावली, 1962 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार नियमावली, 1962) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार नियमावली, 1962) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार नियमावली, 1962 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

पत्रांक : 4519/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)

सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4528(1)/श्रम सेवायोजन/2002, 532–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) नियमावली, 1958 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) नियमावली, 1958 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) नियमावली, 1958) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) नियमावली, 1958) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) नियमावली, 1958 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

पत्रांक : 44428(1)/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्यायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4528 / श्रम सेवायोजन / 2002, 532–श्रम / 2002

देहरादून : दिनांक 29 / 10 / 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय नियमावली, 1936 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय नियमावली, 1936 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय नियमावली, 1936) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय नियमावली, 1936) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय नियमावली, 1936 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4428 / श्रम सेवा / 2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्यायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4428(2)/श्रम सेवायोजन/2002, 587–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) अनुसूचित नियोजन के प्रयोजन नियमावली, 1963 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) अनुसूचित नियोजन के प्रयोजन नियमावली, 1963 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) अनुसूचित नियोजन के प्रयोजन नियमावली, 1963)
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) अनुसूचित नियोजन के प्रयोजन नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) अनुसूचित नियोजन के प्रयोजन नियमावली, 1963 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

पत्रांक : 44428(2)/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4589/श्रम सेवायोजन/2002, 587–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विकास) नियमावली, 1957 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विकास) नियमावली, 1957 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) अनुसूचित नियोजन के प्रयोजन नियमावली, 1963)
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विकास) नियमावली, 1957) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश मजदूरी श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विकास) नियमावली, 1957 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा, जहां–जहां शब्द ''लखनऊ'' के रूप में आया है वहां–वहां वह शब्द ''देहरादून'' के रूप में पढ़ा जायेगा तथा जहां–जहां शब्द ''कानपुर'' के रूप में आया है वहां–वहां वह शब्द ''हल्द्वानी'' के रूप में पढ़ा जायेगा

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4589/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4455/श्रम सेवायोजन/2002, 544–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, औद्योगिक न्यायधिकरण एवं श्रम न्यायालयों हेतु विधिव्यवहार नियमावली, 1967 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि औद्योगिक न्यायधिकरण एवं श्रम न्यायालयों हेतु विधिव्यवहार नियमावली, 1967 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक न्यायधिकरण एवं श्रम न्यायालयों हेतु विधिव्यवहार नियमावली, 1967) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

   (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश श्रमजीवी औद्योगिक न्यायधिकरण एवं श्रम न्यायालयों हेतु विधिव्यवहार नियमावली, 1967) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

   (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

   औद्योगिक न्यायधिकरण एवं श्रम न्यायालयों हेतु विधिव्यवहार नियमावली, 1967 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. औद्योगिक न्यायधिकरण एवं श्रम न्यायालयों हेतु विधिव्यवहार नियमावली, 1967 जहां–जहां शब्द ''इलाहाबाद/लखनऊ'' के रूप में आया है वहां–वहां वह शब्द ''हल्द्वानी'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4455 / श्रम सेवा / 2002 तद्दिनांक :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्यायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4495/श्रम सेवायोजन/2002, 556–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश उपदान संदाय नियमावली, 1975 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश उपदान संदाय नियमावली, 1975 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उपदान संदाय नियमावली, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उपदान संदाय नियमावली, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश उपदान संदाय नियमावली, 1975 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4495/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4637/श्रम सेवायोजन/2002, 595–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश शक्कर और पावर अल्कोहल उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि नियमावली, 1951 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश शक्कर और पावर अल्कोहल उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि नियमावली, 1951 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश शक्कर और पावर अल्कोहल उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि नियमावली, 1951) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश शक्कर और पावर अल्कोहल उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि नियमावली, 1951) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश शक्कर और पावर अल्कोहल उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि नियमावली, 1951 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4637/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4454/श्रम सेवायोजन/2002, 593–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली, 1957 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली, 1957 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली, 1957) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली, 1957) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली, 1957 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. औद्योगिक विवाद नियमावली, 1957 में जहां–जहां शब्द ''कानपुर/लखनऊ'' के रूप में आया है वहां–वहां वह शब्द ''हल्द्वानी'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

पत्रांक : 4454/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4471/श्रम सेवायोजन/2002, 550–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1952 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1952 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1952) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

   (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1952) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

   (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

   उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1952 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

पत्रांक : 4471 / श्रम सेवा / 2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4518/श्रम सेवायोजन/2002, 563–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली, 1994 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली, 1994 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली, 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :
   (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली, 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।
   (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :
   उत्तर प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली, 1994में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

पत्रांक : 4518/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
संख्या 4588/श्रम सेवायोजन/2002, 586–श्रम/2002
देहरादून : दिनांक 29/10/2002
अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश बीडी एवं सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) नियमावली, 1969 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश बीडी एवं सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) नियमावली, 1969 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बीडी एवं सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) नियमावली, 1969) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बीडी एवं सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) नियमावली, 1969) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश बीडी एवं सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) नियमावली, 1969 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. बीडी एवं सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) नियमावली, 1969 के नियम–27 के उपनियम (ग) में जहां–जहां शब्द ''श्रम अधिकारी'' अथवा ''संराधन अधिकारी'' आया है वहां–वहां शब्द ''सहायक श्रमायुक्त'' के रूप में पढ़ा जायेगा तथा नियम–27 के भाग (2) एवं परन्तुक में जहां–जहां शब्द ''श्रेत्रीय अधिकारी श्रमायुक्त क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त एवं क्षेत्रीय अपर श्रमायुक्त ''कानपुर'' आया है वहां–वहां शब्द ''क्षेत्रीय उप–श्रमायुक्त'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4588 / श्रम सेवा / 2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्यायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4597 / श्रम सेवायोजन / 2002, 595–श्रम / 2002

देहरादून : दिनांक 29 / 10 / 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश ब्वायलर आपरेशन इन्जीनियर्स नियमावली, 1964 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश ब्वायलर आपरेशन इन्जीनियर्स नियमावली, 1964 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश ब्वायलर आपरेशन इन्जीनियर्स नियमावली, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :
   (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश ब्वायलर आपरेशन इन्जीनियर्स नियमावली, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।
   (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :
   ब्वायलर आपरेशन इन्जीनियर्स नियमावली, 1964 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

पत्रांक : 4597/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4453 / श्रम सेवायोजन / 2002, 542–श्रम / 2002

देहरादून : दिनांक 29 / 10 / 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

   (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

   (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

   औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

पत्रांक : 4453/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)

सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4448/श्रम सेवायोजन/2002, 538–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

   (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

   (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

   श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. उत्तरांचल (श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा – की उपधारा (2) का संशोधन :–

   उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा – की उपधारा (2) में जहां–जहां शब्द ''चार सौ रूपये प्रति माह'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''छः हजार पांच सौ रूप्ये प्रति माह'' के रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4448 / श्रम सेवा / 2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4451/श्रम सेवायोजन/2002, 540–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (वेतनों का समय से भुगतान) अधिनियम, 1978 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (वेतनों का समय से भुगतान) अधिनियम, 1978 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (वेतनों का समय से भुगतान) अधिनियम, 1978) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

   (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (वेतनों का समय से भुगतान) अधिनियम, 1978) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

   (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

   औद्योगिक शान्ति (वेतनों का समय से भुगतान) अधिनियम, 1978 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4451 / श्रम सेवा / 2002   तद्दिनांक :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4457 / श्रम सेवायोजन / 2002, 546–श्रम / 2002

देहरादून : दिनांक 29 / 10 / 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश) अधिनियम, 1961 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश) अधिनियम, 1961 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश) अधिनियम, 1961) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :
   (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश) अधिनियम, 1961) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।
   (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :
   औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश) अधिनियम, 1961 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4457 / श्रम सेवा / 2002 तद्‌दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून / हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)

सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4595/श्रम सेवायोजन/2002, 593—श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा—87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश बदली कर्मकारों को सेवयोजन अधिनियम 1978 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश बदली कर्मकारों को सेवयोजन अधिनियम 1978 राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बदली कर्मकारों को सेवयोजन अधिनियम 1978) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

    (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बदली कर्मकारों को सेवयोजन अधिनियम 1978) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

    (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

    बदली कर्मकारों को सेवयोजन अधिनियम 1978 में जहां—जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां—वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

पत्रांक : 4595/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्यायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)

सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4635/श्रम सेवायोजन/2002, 596—श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा—87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रमों में (बेकरी) निवारण के लिए विशेष उपबंधे का अधिनियम, 1966 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रमों में (बेकरी) निवारण के लिए विशेष उपबंधे का अधिनियम, 1966 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रमों में (बेकरी) निवारण के लिए विशेष उपबंधे का अधिनियम, 1966) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उपक्रमों में (बेकरी) निवारण के लिए विशेष उपबंधे का अधिनियम, 1966) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रमों में (बेकरी) निवारण के लिए विशेष उपबंधे का अधिनियम, 1966 में जहां—जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां—वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव

पत्रांक : 4635/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या 4636/श्रम सेवायोजन/2002, 597–श्रम/2002

देहरादून : दिनांक 29/10/2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठनम अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधिकों, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश शक्कर और पावर अल्कोहल उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम, 1950 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश शक्कर और पावर अल्कोहल उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम, 1950 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश शक्कर और पावर अल्कोहल उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश शक्कर और पावर अल्कोहल उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश शक्कर और पावर अल्कोहल उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम, 1950 में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव

पत्रांक : 4636/श्रम सेवा/2002 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव श्री राज्यपाल, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर्स, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
7. उप श्रमायुक्त, देहरादून/हल्द्वानी
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(के0एस0 दरियाल)

सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन वि0 एवं प्री0 विभाग

सं0, 6520/श्रम सेवा/466–श्रम/2002

दिनांकः 08, नवम्बर–2002 ई0

संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और अन्य का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तरांचल ब्यायलर और कारखाना निरीक्षक सेवा में पर भर्ती और उसमें नियुक्ति व्यक्तियों की संवा की शर्तो कों विनियमित करने के निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तरांचल श्रम सेवा (तकनीकी) नियमावली, 2002

भाग–एक – सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तरांचल श्रम सेवा (तकनीक नियमावली, 2002 कही जायेगी।

2. सेवा की प्रास्थिति– उत्तरांचल श्रम सेवा (तकनीकी) एक राज्य सेवा है, जिस समूह ''क'' और ''ख'' के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषायें– जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है।

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है।

(ड) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है।

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

(छ) ''श्रमायुक्त'' का तात्पर्य श्रमायुक्त उत्तरांचल से है।

(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों व आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(झ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तरांचल श्रम सेवा (तकनीकी) से है,

(ण) ''मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी, हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय निहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो,

(ट) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग– (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर आधारित की जाये।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है,

परन्तु –

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है, या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो सके,

(2) राज्यपाल ऐसे आंतरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं

जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन – भर्ती

5. भर्ती का स्रोत – (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोंतों से की जायेगी–

(क) उपनिदेशक, कारखाना/ब्वायलर–

मौलिक रूप से नियुक्त सहायक निदेशक, कारखाना/ब्वायलर में जो मैकेनिकल या इलैक्ट्रिकल में उपाधि रखते हों, और जिन्होंने भर्ती के प्रथम वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो, अनुपर्युक्त को अस्वीकार करते हुए, जो योग्यताक्रम के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ख) सहायक निदेशक कारखाना/ब्वायलरः

शत–प्रतिशत पद आयोग के माध्यम के सीधी भर्ती द्वारा।

6. आरक्षण– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य जातियों के अभ्यर्थीयों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के

भाग चार – अर्हतायें

7. राष्ट्रीयता – सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाइ निवास के अभिप्राय से जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तंजानिया और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से सृजनकिया है,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अधिसूचना,उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रका का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और नहीं देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8. शैक्षिक अर्हतायें– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलैक्ट्रिकल में स्नातकोत्तर उपाधि/या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए।

9. अधिमान अर्हतायें– ऐसे अभ्यर्थी को जिसने – (एक से प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवाकी हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

10. आयु– सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को भर्ती के उस वर्ष पहली जुलाई जब आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ विज्ञापित की जाये की होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी की जाय।

11. चरित्र– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का धारणा ऐसी होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी 5 से उपयुक्त हो, इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी अपना समाधान करें

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या निर्माणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति से किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। किसी ऐसे अपराध के जिसमें नैतिक अधमता अर्न्तेलित हो, दोष सिद्व व्यक्ति भी पात्र नहीं,

12. वैवाहिक परिस्थिति– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा अभ्यर्थी पास न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसके पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता हे, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेषकर विद्यमान है।

13. शारीरिक स्वस्थता– किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वहकिसी ऐसे शारीरिक दोष से

मुक्त न हो और उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदय किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की चिकित्सा परीक्षा में सफल किया जाये,

परन्तु प्रदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थीयों से स्वास्थ्ता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पाँच–भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारण– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भर्ती होने वाली रिक्तियों की संख्या और निगम के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थीयों के लिए आरक्षण के पाने वाली रिक्तियों की संख्या भी आरक्षित करेगा।

15. आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती प्रक्रिया–

(1) प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिये आवेदन प्रपत्र जारी किये गये विज्ञापन में दिये गये प्रारूप में होगा।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा जबकि उनके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश का प्रमाण नहीं होगा।

(3) लिखित् परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारिणीबद्व कर लिये जाने के पश्चात् आयोग निगम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थीयों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के लिए उस संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगा दो लिखित् परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहँच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकअ हो, एक सूची तैयार करेगा और नियुक्ति के लिये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितनी की उचित समझें। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत ने अधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेंगा।

16. विभागीय चयन समिति के माध्यम को पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया उपनिदेशक, कारखाना/ब्वायलर के पद पर चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होगें।

(क) सरकार के सार्थक विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी जा सरकार से संयुक्त सचिव से निम्न स्तर को न हो।

(ख) सरकार के श्रम विभागों में प्रमुख सचिव/सचिव।

(ग) श्रमायुक्त।

ज्येष्ठतम् प्रमुख सचिव/सचिव समिति का अध्यक्ष होगा।

(घ) नियम – 5 के उपनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तरांचल सरकार सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर पात्रता सूची नियमावली1986 के अनुसार संचार करेगा और उनके द्वारा पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अभ्यर्थीयों के नाम, जो जाति उचित समझें जाये, आयोग के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची अभ्यथी के समय सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी।

भाग–छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थाईकरण और ज्येष्ठता

17. नियुक्ति– (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उस क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम यथा स्थिति, नियम–15,16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों

18. परिवीक्षा– (1) सेवा में किसी पद पर मौखिक रूप से नियुक्त व्यक्ति एक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित् किये जायेगें, अलग–अलग मामलों में परीवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जाये।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाये

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदानकरने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे मौलिक पद यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिक न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या उसकी सेवायें समाप्त की जायें वह किसी प्रतिकर का हकदान नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने के अनुमति दे सकता है।

19. स्थाईकरण– (1) उपनियम– (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधानहो जाय कि वह स्थाईकरण के लिये अन्यर्थो उपयुक्त है।

(2) जहाँ, उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थाईकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थाईकरण आवश्यक न हो, वहाँ उस नियमावली के नियम–5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करने का आदेश की सम्बन्धित् व्यक्ति न परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थाईकरण का आदेश समझा जायेगा।

20– ज्येष्ठता–किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से युक्त व्यक्तियों की समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात–वेतन इत्यादि

21– वेतनमान–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे, मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

22– परिवीक्षा अवधि में वेतन–(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन बृद्धि सभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर की हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

23– पक्षसमर्थन–सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थी के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

24– अन्य विषयों का विनियमन–ऐसे विषयों के सम्बन्ध मे जो विर्किष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों सेवा में नियुक्त व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और देशों द्वारा नियंत्रित होगें।

25– सेवा शर्तो में शिथिलता–जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में शर्तो की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रर्वतन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां यह उस मामले में नियमों में किसी बात के हाते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षा की उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें यह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु वहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं का अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उससे परामर्श किया जायेगा।

26–आवृत्ति–इस नियमावली में किसी बात में का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किे गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियो के व्यक्तियों के लिये उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट – 'क'

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या		
		स्थाई	अस्थाई	योग
1	उपनिदेशक, कारखाना ब्वायलर	01	–	01
2	सहायक निदेशक कारखाना ब्वायलर	01	–	01

(एन0एस0 नपलच्याल)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
4. उपनिदेशक, कारखाना/ब्वायलर, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
5. समस्त उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल।
6. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जिला–हरिद्वार को इस आशय प्रेषित कि वे कृपया उक्त नियमावली को आगामी असाधारण गजट प्रकाशित कर यथोचित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
7. गोपन अनुभाग।

8. गार्ड–फाइल।

आज्ञा से,

(एन0एस0 नपलच्याल)
सचिव

उत्तरांचल शासन

श्रम, सेवायोजन एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

संख्याः 1063/श्रम सेवा/03–740–श्रम/2002

दिनांकः मार्च 27–2003

कन्ट्रेक्ट लेवर (रेगुलेशन एण्ड एबोलेशन), एक्ट, 1970 (एक्ट संख्या 37, 1970) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संविदा श्रम के विनियमन तथा उत्पादन संबंधी मामलों के बारे में निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

उत्तरांचल संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन)

नियमावली, 2003

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली उत्तरांचल संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) नियमावली, 2003 कहलायेगी।

(2) यह संपूर्ण उत्तरांचल में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा– इस नियमावली में जब तक विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य कन्ट्रैक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एन्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 से है,

(ख) ''अपील अधिकारी'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अपील अधिकारी से है,

(ग) ''पंचनिर्णय'' का वही अर्थ होगा, जो उसके लिये उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा–2(ग) में दिया है,

(घ) ''बोर्ड'' का तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठिन राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड से है,

(ड) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है,

(च) ''समिति'' का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति से है,

(छ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,

(ज) ''निरीक्षक'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक से है,

(3) नियम 3 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ठ प्रत्येक सदस्य उस दिनांक से, जब उसकी नियुक्ति प्रथमतः गजट में अधिसूचित की जाय, एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी ऐसे सदस्य उत्तराधिकारी उक्त एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के दिनांक को अथवा उसके पूर्व गजट में अधिसूचित न की जाय तो वह सदस्य अपने पद की अवधि के समाप्त हो जाने के बावजूद भी, उस समय तक जब कि उनका उत्तराधिकारी गजट में अधिसूचित न कर दिया जाय, पद धारण किये रहेगा।

4.(क) यदि कोई सदस्य बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार अथवा वह निकाय, जिसने उसे नियुक्त अथवा नाम निर्दिष्ट किया हो, लिखित तथा उक्त के अध्यक्ष को सम्बोधित नोटिस द्वारा जिस पर उसकी ओर से तथा ऐसे सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो, बैठक में उसके स्थान पर उपस्थित होने के लिये कोई प्रतिस्थानी नाम निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे प्रतिस्थानी सदस्य को उस बैठक में लिया गया कोई भी विनिश्चय उक्त निकाय पर बन्धनकारी होगा।

5.पदत्याग, धारा 4(3)– बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य अथवा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य न हो, राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित पत्र द्वारा अपना–अपना पद त्याग सकता है और सरकार द्वारा ऐसा त्याग पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर उसका पद् उस दिनांक को, जब उसका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाय, रिक्त हो जायेगा।

6.सदस्यता की समाप्ति धारा 4 (3) तथा 35– यदि बोर्ड का कोई सदस्य जो पदेन सदस्य अथवा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य नहीं, बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति के लिये अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये बिना अनुपस्थित रहे तो वह बोर्ड का सदस्य नही रह जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि ऐसा सदस्य पर्याप्त कारणों से ही बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने से वंचित रहा है तो वह यह निर्देश दे सकती है कि उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी और ऐसा निर्देश दिये जाने पर वह सदस्य बोर्ड का सदस्य बना रहेगा।

7.सदस्यता के लिये अनर्हता, धारा4(3) तथा 35–(1) कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नाम–निर्दिष्ट किये जाने तथा होने के लिये अनर्ह होगा–

(1) यदि वह विकृत वित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

(2) यदि वह अउन्माचित दिवालिया हो, अथवा

(झ) ''लाइसेन्स अधिकारी'8 का तात्पर्य अधिनियम की धारा 11 के खन्ड (क) के अधीन नियुक्त लाइसेन्स अधिकारी से है,

(अ) ''रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी से है,

(ट) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है,

(ठ) ''निपटारा'' का वही अर्थ होगा जो उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 2 (न) में शब्द ''सेटिलमेन्ट'' के लिये दिया गया है, और

(ड) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है।

अध्याय– 2

राज्य बोर्ड

3.बोर्ड, धारा 4 (2)–बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होगें–

(क) अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा,

(ख) श्रम आयुक्त उत्तरांचल, पदेन अथवा उसकी अनुपस्थिति में राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ नाम निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी,

(ग) राजय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारियों में से नाम निर्दिष्ट किये जायेगें,

(घ) उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, संविदाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति तथा किसी ऐसे अन्य हित का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति, जिसका प्रतिनिधित्व करना राज्य की राय में आवश्यक हो, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

4.पदावधि, धारा 4(3) तथा 35 (2)(क)–

(1) बोर्ड का अध्यक्ष उस दिनांक से, जब उसकी नियुक्ति प्रथमतः गजट में अधिसूचित की जाय, एक वष्र की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) नियम 3 के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य राजयपाल की स्वेच्छा पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्घदोष ठहराया गया हो अथवा किया जाय जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अक्षमता हो।

(2) यदि यह प्रश्न उठे कि उपनियम (1) के अधीन कोई अनर्हता हुई है अथवा नहीं तो उसका निश्चय राज्य सरकार करेगी।

8.सदस्यता से हटाया जाना, धारा 4(3) तथा 35(2) (क) राज्य सरकार बोर्ड के किसी भी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि उसकी राय में ऐसे सदस्य ने बोर्ड में उस हित का प्रतिनिधित्व करना बन्द कर दिया हो, जिसका प्रतिनिधित्व करना तात्पर्यित होः

8.रिक्ति, धारा 4(2) तथा 35– यदि बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति हो अथवा होने की सम्भावना हो तो अध्यक्ष राज्य सरकार की सूचना देगा और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार उस श्रेणी के व्यक्तियों में से जिन श्रेणी का वह व्यक्ति है, जो सदस्यता से रिक्त हो रहा है, की नियुक्ति करके उस रिक्ति को भरने की कार्यवाही करेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति उस सदस्य की, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया जाय, शेष पदावधि के लिये पद धारण करेगा।

10. कर्मचारी वर्ग, धारा 4(2) तथा 35–(1) राज्य सरकार अपने किसी अधिकारी को बोर्ड का सचिव नियुक्त कर सकती है तथा ऐसे अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकती है जिसे वह बोर्ड के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आवश्यक समझे।

(2) कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और ऐसे कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्ते वही होगे, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाय।

(2) सचिव

(1) अध्यक्ष को बोर्ड की बैठकें बुलाने में सहायता करेगा,

(2) बैठकों में उपस्थित हो सकता है किन्तु वह इन बैठकों में मत देने का हकदार न होगा,

(3) ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख रखेगा, और

(4) बोर्ड की बैठक में लिये गये विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक उपाय करेगा।

11. सदस्यों के भत्ते, धारा 5(3)–(1) किसी सरकारी सदस्य का यात्रा भत्ता उन नियमों द्वारा नियंत्रित होगा जो उसके द्वारा सरकारी कार्यो के निमित की गई यात्रा के लिये प्रयोज्य हो और उसका भुगतान उसको वेतन देने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) बोड्ढ के अशासकीय सदस्यों को बोर्ड की बैठक में सम्मिलित होने के लिये यात्रा भत्ता उन दरों पर दिया जायेगा, जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अनुमन्य हो तथा दैनिक भत्ते की गणना राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारीयों को अनुमन्य अधिकतम दर पर उनके सम्बद्घ स्थानों के अनुसार की जायगी।

12. कार्य निस्तारण, धारा 5(2) तथा धारा 35(2) (ख)—प्रत्येक ऐसे प्रश्न पर जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित हो, बैठक में, अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे तो आवश्यक पत्रादि प्रत्येक सदस्य के पास भेज कर उनकी राय लेने के पश्चात् विचार किया जायेगा तथा प्रश्न का निस्तारण बहुमत के विनिश्चय के अनुसार किया जायेगा,

प्रतिबन्ध यह है कि मत बराबर विनिश्चय होने की दशा में अध्यक्ष का द्वितीय अथवा निर्णयात्मक मत होगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनार्थ ''अध्यक्ष'' के अन्तर्गत ऐसा अध्यक्ष भी है, जो किसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिये नियम 13 के अधीन नाम—निर्दिष्ट किया जाय।

13. बैठकें धारा 5(2) तथा 35(2)(ख)—(1) बोर्ड की बैठक ऐसे स्थानों पर और ऐसे समय पर होगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाय।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड की प्रत्येक ऐसी बैठक की, जिसमें वह उपस्थित हो, अध्यक्षता करेगा तथा अपनी अनुपस्थिति में ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने क लिये बोर्ड के किसी सदस्य का नाम निर्दिष्ट करेगा।

14. बैठक की सूचना तथा कार्यसूची— (1) किसी प्रति—प्रस्तावित बैठक के लिये सदस्यों को सामान्यतया पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी।

(2) किसी भी ऐसे कार्य पर जो बैठक की कार्य—सूची में न हो, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना बैठक में विचार नहीं किया जायेगा।

15. गणपूर्ति (धारा5(2) तथा 35 (2)(ख)) — किसी भी बैठक में तब तक कोई कार्य सम्पादन नहीं किया जायेगा जब तक कम से कम चार सदस्य उपस्थित न होः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी बैठक में चार से कम सदस्य उपस्थित हों तो अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को सूचित करके बैठक अन्य दिनांक के लिये स्थगित कर सकता है तथा अन्य सदस्यों को यह सूचना भेजेगा कि उसका विचार कार्य को बैठक में चाहे विहित गणपूर्ति हो या नहीं, निपटारे का है और तदुपरान्त स्थगित बैठक में कार्य का निबटारा करना उसके लिये विधि संगत होगा, चाहे उपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ भी हो।

16. बोर्ड की समितियां धारा 5—(1)1—बोर्ड ऐसे प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिये जिन्हें वह आवश्यक समझे, समितियां गठित कर सकता है।

(2) समिति का गठन करते समय बोर्ड अपने किसी सदस्य को उस समिति का अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

(3) समिति की बैठकें ऐसे समय तथा ऐसे स्थानों पर होगी जैसा उक्त समिति का अध्यक्ष विनिश्चत करे और समिति अपनी बैठक में कार्य सम्पादन करने के सम्बन्ध में ऐसे प्रक्रिया नियम का अनुपालन करेगी जैसा विनिश्चित किया जाय।

(4) समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिये समिति के सदस्यों पर नियम 11 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे बोर्ड के सदस्यों पर लागू होते हैं।

अध्याय–3

रजिस्ट्रीकरण तथा लाइसेन्स देना

17. अधिष्ठानों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन–पत्र देने की रीति (धारा 7(1) तथा (35) (2) (सी) (1) धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र तीन प्रतियों में प्रपत्र संख्या 1 में उस क्षेत्र के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को दिया जायगा जिस क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत होने वाला अधिष्ठान स्थित हो।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट आवेदन–पत्र के साथ कोषागार रसीद होगी जिसमें अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिये भुगतानकी गई फीस उल्लिखित होगी।

(3) उपनियम (1) निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र या तो व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को दिया जायगा अथवा उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायगा।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी उस पर आवेदन–पत्र प्राप्त होने का दिनांक लिखने के पश्चात आवेदक को अभिस्वीकृति का पत्र भेजेगा।

18. रजिस्ट्रीकरण आवेदन–पत्र स्वीकार करना (धारा 7(2) तथा 35(2) (ग)(1) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र प्रपत्र संख्या 2 में होगा।

(2) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण के प्रत्येक प्रमाण–पत्र में निम्नलिखित ब्यौरे होगें, अर्थात

(क) अधिष्ठान का नाम और पता,

(ख) अधिष्ठान में संविदा में श्रमिक के रूप में सेवायोजित किये जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या,

(ग) अधिष्ठान में किये जाने वाले कारोबार, ब्यापार, उद्योग निर्माण अथवा व्यवसाय का प्रकार,

(घ) ऐसे अन्य ब्यौरे जो अधिष्ठान में संविदा श्रमिकों के सेवायोजनके लिये सुसंगत हों,

(3) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी प्रपत्र संख्या 3 में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें ऐसे अधिष्ठानों के ब्यौरे दिये जायेंगे जिनके संबंध उसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी किये हों।

4.यदि, किसी अधिष्ठानके सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में निर्दिष्ट ब्यौरों में कोई परिवर्तन हो तो अधिष्ठान का मुख्य सेवायोजक ऐसा परिवर्तनकिये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, परिवर्तन के ब्यौरे तथा परिवर्तन किये जाने के कारण, रजिस्ट्रीकर्ता को सूचित करेगा।

19. परिस्थितियां जिनमें रजिस्ट्रीकरण का आवेदन–पत्र अस्वीकार किया जा सकता है (धारा 7(1) तथा 35(2) (ग)–(1) यदि रजिस्ट्रीकरण का कोई आवेदन–पत्र सब प्रकार से पूर्ण न हो तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुख्य सेवायोजक से उसमें संशोधन करने की अपेक्षा करेगा, जिससे कि वह सभी प्रकार से पूर्ण हो जाय।

(2) यदि मुख्य सेवायोजक, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के आवेदन–पत्र में संशोधन करने की अपेक्षा किये जाने पर ऐसा करने में चूक करता है अथवा असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन–पत्र को अस्वीकार कर देगा।

20. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र का संशोधन(धारा8) (1)– जहां नियम 18 के उपनियम (4) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को यह समाधान हो जाय कि अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस के रूप में मुख्य सेवायोजक द्वारा दी गयी धनराशि से अधिक धनराशि देय है तो वह मुख्य सेवायोजक से उस धनराशि को जो, ऐसे मुख्य सेवायोजक द्वारा पहले दी गयी धनराशि को मिलाकर अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिये देय फीस की अधिक धनराशि के बराबर हो जाय और इस प्रकार धनराशि जमा करने की कोषागार रसीद प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(2) जहां नियम 18 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को यह समाधान हो जाय कि अधिष्ठान के ब्यौरों में जैसा कि उन्हें प्रपत्र है, कोई परिवर्तन हुआ है तो वह उक्त रजिस्टर में संशोधनकरना और होने वाले परिवर्तन को अभिलिखत करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी संशोधन से ऐसे संशोधन के पूर्व किये गये किसी कार्य अथवा की गई किसी कार्यवाही अथवा अर्जित या उपगत किसी अधिकार आभार अथवा दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी प्रपत्र संख्या 3 के रजिस्टर में तब तक कोई संशोधन नहीं करेगा जब तक कि मुख्य सेवायोजक द्वारा समचित फीस न जमा कर दी गई हो।

21. लाइसेन्स के लिये आवेदन–पत्र (धारा 13(1) तथा 35(2) (घ) (1)– लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र संविदाकार द्वारा प्रपत्र संख्या 4 में, तीन प्रतीयों में, उस क्षेत्र को जिसमें वह अधिष्ठान स्थित है और जिसका कि वह संविदाकार है, लाइसेन्स अधिकारी को दिया जायेगा।

(2) लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ प्रपत्र संख्या 5 में मुख्य सेवायोजक द्वारा इस आशय का एक पमाण–पत्र होगा कि आवेदन उसके अधिष्ठान के संबंध में संविदाकार के रूप में सेवायोजित किया गया है और वह अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के समस्त उपबंधों

से वहां तक बाध्य होने का वचन देता है जहां तक आवेदकों द्वारा संविदा श्रमिक के सेवायोजक के सम्बन्ध में मुख्य सेवायोजक के रूप में उस पर वे उपलब्ध लागू हों।

(3) प्रत्येक ऐसा आवेदन–पत्र लाइसेन्स को या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जायेगा अथवा उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, लाइसेन्स अधिकारी उस पर आवेदन–पत्र प्राप्त होने का दिनांक लिखने के पश्चात् आवेदक को अभिस्वीकृति का पत्र भेजेगा।

(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ कोषागार रसीद भी होगी जिसमें–

(1) नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति को जमा राशि, तथा

(2) नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का भुगतान प्रदर्शित होगा।

22. लाइसेन्स स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने में धारा 4 (1) तथा 35 (2) (ग) किसी लाइसेन्स को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने से इन्कार करते समय लाइसेन्स अधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगाः

(क) क्या आवेदक–

(1) अवयस्क है, अथवा

(2) विकृत चित्त का है, तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, अथवा

(3) अनुम्मासेचित दिवालिया है, अथवा

(4) (आवेदन–पत्र के दिनांक के तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि में किसी समय) किसी ऐसे अपराध के लिये जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अक्षमता समन्वित हो, सिद्ध दोष हुआ है,

(ख) क्या उस अधिष्ठानके विशिष्ट प्रकार के कार्य के सम्बन्ध में जिसके लिये आवेदक संविदाकार है, संविदा श्रम के उत्पादन के लिये समुपयुक्त सरकार का काई आदेश अथवा अधिनिर्णय अथवा निपटारा है,

(ग) क्या धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन आवेदक के सम्बन्ध में कोई आदेश दिया गया है तथा यदि ऐसा आदेश दिया गया है तो क्या उस आदेश के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई है, कर दी गई है, तथा

(ड) क्या आवेदक द्वारा नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रभिभूति जमा कर दी गई है।

23. लाइसेन्स अस्वीकृत करना (धारा 14 (1) तथा (2) तथा 35 (2) (ई)–(1) आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर उसके पश्चात यथाशक्य लाइसेन्स अधिकारी ऐसी जांच करेगा जिसे वह आवेदक लाइसेन्स दिये जाने की पात्रता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये आवश्यक समझे।

(2)(1) जहां लाइसेन्स अधिकारी की यह राय हो कि लाइसेन्स स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए तो वह, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात आवेदन–पत्र अस्वीकृत किये जाने का आदेश देगा

(2) आदेश में अस्वीकार किये जाने के कारण अभिलिखित किये जायेंगे और उन्हें आवेदक को सूचित किया जायेगा।

24. प्रतिभूति (धारा 12(2) तथा 35(2) (च)–1 लाइसेन्स जारी किये जाने के पूर्व लाइसेन्स जारी किये जाने के पूर्व लाइसेन्स की शर्तो का सम्यक पालन करने तथा अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिये संविदा श्रमिक के रूप में सेवायोजित किये जाने वाले ऐसे प्रत्येक कर्मकार के लिये, जिनके सम्बन्ध में लाइसेन्स के लिये आवेदन–पत्र दिया गया है, संविदाकार द्वारा 30 रूपये की दर से संगणित धनराशि जमा की जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि संविदाकार कोइ्र सहकारी समिति हो तो प्रतिभूति के रूप में जमा की गई धनराशि संविदा श्रमिक के रूप में सेवायोजित किये जाने वाले प्रत्येक कर्मकार के लिये 5 रूपये की दर से होगी।

(2) जमा की पूतिभूति की धनराशि का भुगतान स्थानीय कोषागार में शीर्षक'' 8443–00–103 सिविल डिपोजिटस सिक्युरिटी डिपोजिट्स'' की अधीन किया जायेगा।

25. लाइसेन्स का प्रपत्र तथा उसकी शर्ते और निबन्धन (धारा 12(2) और 35 (2) (च)–1 धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत प्रत्येक लाइसेन्स प्रपत्र संख्या 6 में होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन स्वीकृत अथवा नियम 21 के अधीन नवीकृत प्रत्येक लाइसेन्स निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा, अर्थातः

(1) लाइसेन्स अनन्तरणीय होगा,

(2) अधिष्ठान में संविदा श्रमिक के रूप में सेवायोजित कर्मकारों की संख्या, किसी भी दिन, लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक न होगी,

(3) इन नियमों में की गई व्यवस्था के सिवाय, यथास्थिति लाइसेन्स स्वीकृत अथवा नवीकृत किये जाने के लिये दी गई फीस अप्रतिदेय होगी।

(4) संविदाकार द्वारा कर्मकारों को देय मजदूरी की दर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 2, 1948) के अधीन ऐसे सेवायोजन के लिये, जहां प्रयोज्य हो, विहित दर से कम न होगी और यदि दरें किसी करार, निपटारा अथवा अभिनिर्णय द्वारा नियम की गई हो तो इस प्रकार नियत दरों से कम न होगी।

(5)(क) उन मामलों में जहां संविदाकार द्वारा सेवायोजित कर्मकार वही अथवा उसी प्रकार का काम करता है, जैसा कि अधिष्ठानके मुख्य सेवायोजक द्वारा सीधे सेवायोजित किया गया कर्मकार करता है तो संविदाकार के कर्मकारों की मजदूरी की दरों, अवकाश दिन, कार्य के घंटों तथा सेवा की अन्य शर्ते वही होगी, जो अधिष्ठान के मुख्य सेवायोजन द्वारा उसी अथवा उसी प्रकार के कार्य के लिये सीधे सेवायोजित कर्मकारों पर प्रयोज्य हों:

प्रतिबन्ध यह है कि कार्य के प्रकार के सम्बन्ध में कोई असहमति होने की दशा में उसका विनिश्चय श्रम आयुक्त उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ख) अन्य मामलों में संविदाकार के कर्मकारों की मजदूरी की दरों, अवकाश दिन, कार्य के घंटे तथा सेवा की शर्ते वही होंगी, जैसी कि श्रम आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा एतदर्थ विनिर्दिष्ट की जाये।

स्पष्टीकरण– उपर्युक्त के अधीन (ख) मजदूरी की दरें, अवकाश दिन, कार्य के घंटे तथा सेवा की अन्य शर्ते अवधारित करते समय श्रम आयुक्त, उत्तरांचल उसी प्रकार के सेवायोजनों में प्रचलित मजदूरी की दरों, अवकाश दिन, कार्य के घंटों तथा सेवा की अन्य शर्तो को सम्यक रूप से ध्यान में रखेगा।

(6)(क) प्रत्येक ऐसे अधिष्ठान में जहां सामान्यतः बीस अथवा उससे अधिक कर्मकार संविदा श्रमिक के रूप में सेवायोजित हों, वहां छः वष्र से कम आयु वाले उनके बच्चों के लिये उपयुक्त आकार के दो कमरों की व्यवस्था की जायेगी।

(ख) ऐसे कमरों में से एक कमरा बच्चों की क्रीड़ा–कक्ष के रूप में तथा दूसरा बच्चों के शयन–कक्ष के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा।

(ग) संविदाकार क्रीड़ा–कक्ष में पर्याप्त संख्या में खिलौने तथा खेल के सामान और शयन–कक्ष में पर्याप्त संख्या में चारपाइयों तथा बिस्तरों की व्यवस्था करेगा।

(घ) बाल–गृहों के निर्माण तथा उनके अनुरक्षण का स्तर वही होगा, जैसा कि श्रम आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किया जाय।

(7) लाइसेन्सधारी कर्मकार की संख्या अथवा कार्य की शर्तो में किसी भी परिवर्तन की सूचना लाइसेन्स अधिकारी को देगा।

26. फीस (धारा 13 (3) तथा 35 (2) (च)–1 धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र स्वीकृत किये जाने के लिये दी जाने वाली फीस वही होगी जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है, अर्थात–

जमदूरी की दरों, अवकाश दिन, कार्य के घंटों तथा सेवा की अन्य शर्ते वही होगी, जो अधिष्ठान के मुख्य सेवायोजक द्वारा उसी अथवा उसी प्रकार के कार्य के लिये सीधे सेवायोजित कर्मकारों पर प्रयोज्य हों:

प्रतिबन्ध यह है कि कार्य के प्रकार के सम्बन्ध में कोई असहमति होने की दशा में उसका विनिश्चय श्रम आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ख) अन्य मामलों में संविदाकार के कर्मकारों की मजदूरी की दरों, अवकाश दिन, कार्य के घंटे तथा सेवा की शर्ते वही होंगी, जैसी कि श्रम आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा एतदर्थ विनिर्दिष्ट की जाये।

स्पष्टीकरण–

उपर्युक्त के अधीन (ख) मजदूरी की दरें, अवकाश दिन, कार्य के घंटे तथा सेवा की अन्य शर्ते अवधारित करते समय श्रम आयुक्त, उत्तरांचल उसी प्रकार के सेवायोजनों में प्रचलित मजदूरी की दरों, अवकाश दिन, कार्य के घंटों तथा सेवा की अन्य शर्तो को सम्यक रूप से ध्यान में रखेगा।

(6)(क) प्रत्येक ऐसे अधिष्ठान में जहां सामान्यतः बीस अथवा उससे अधिक कर्मकार संविदा श्रमिक के रूप में सेवायोजित हों, वहां छः वर्ष से कम आयु वाले उनके बच्चों के लिये उपयुक्त आकार के दो कमरों की व्यवस्था की जायेगी।

(ख ऐसे कमरों में से एक कमरा बच्चों की क्रीड़ा–कक्ष के रूप में तथा दूसरा बच्चों के शयन–कक्ष के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा।

(ग) संविदाकार क्रीड़ा–कक्ष में पर्याप्त संख्या में खिलौने तथा खेल के सामान और शयन–कक्ष में पर्याप्त संख्या में चारपाइयों तथा बिस्तरों की व्यवस्था करेगा।

(घ) बाल–गृहों के निर्माण तथा उनके अनुरक्षण का स्तर वही होगा, जैसा कि श्रम आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किया जाय।

(7) लाइसेन्सधारी कर्मकार की संख्या अथवा कार्य की शर्तो में किसी भी परिवर्तन की सूचना लाइसेन्स अधिकारी को देगा।

26. फीस (धारा 13 (3) तथा 35 (च)–(1) धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र स्वीकृत किये जाने के लिये दी जाने वाली फीस वही होगी जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है, अर्थात–

(1) यदि संविदा पर सेवायोजित किये जाने वाले प्रस्तावित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन–

(क) 20 है तो, 20.00

(ख) 20 से अधिक किन्तु 50 से अनधिक है तो 50.00

(ग) 50 से अधिक किन्तु 100 से अनधिक है तो 100.00

(घ) 100 से अधिक किन्तु 200 से अनधिक है तो 200.00

(ड) 200 से अधिक किन्तु 400 से अनधिक है तो 400.00

(च) 400 से अधिक है तो 500.00

(2) धारा 12 के अधीन लाइसेन्स को स्वीकृत करने अथवा उसका नवीकरण किये जाने के लिये दी जाने वाली फीस वही होगी, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है, अर्थात–

यदि संविदाकार द्वारा सेवायोजित मजदूरों की संख्या किसी भी दिन–

(क) 20 है तो, 05.00

(ख) 20 से अधिक किन्तु 50 से अनधिक है तो 12.50

(ग) 50 से अधिक किन्तु 100 से अनधिक है तो 25.00

(घ) 100 से अधिक किन्तु 200 से अनधिक है तो 50.00

(ङ) 200 से अधिक किन्तु 400 से अनधिक है तो 100.00

(च) 400 से अधिक है तो 125.00

27. लाइसेन्स को विधिमान्यता तथा धारा 13(3) तथा 35 (छ) (च)–नियम 25 के अधीन नवीकृत प्रत्येक लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के दिनांक से बारह मास के लिये प्रवृत्त रहेगा।

28. लाइसेन्स का संशोधन (धारा 13(3) तथा 35(2) (छ)–(1) नियम 25 के अधीन जारी किये गये अथवा नियम 29 के अधीन नवीनीकृत किये गये किसी लाइसेन्स में लाइसेन्स अधिकारी द्वारा समुचित एवं पर्याप्त कारणों से संशोधन किया जा सकता है।

(2) संविदाकारी, जो लाइसेन्स को संशोधित करना चाहता है, संशोधन के प्रकार तथा संशोधन किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुये एक आवेदन–पत्र लाइसेन्स अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3)(1) यदि लाइसेन्स अधिकारी आवेदन–पत्र अनुज्ञात करता है तो वह आवेदक से उतनी धनराशि, यदि कोई हो, की कोषागार रसी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, जो लाइसेन्स के लिये मूलतः दी गयी फीस से लाइसेन्स को मूलतः संशोधित प्रपत्र में जारी किये जाने पर देय फीस से अधिक होती है।

(2) आवेदक द्वारा अपेक्षित कोषागार रसीद प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेन्स अधिकारी के आदेशानुसार संशोधन कर दिया जायेगा।

(4) यदि संशोधन का आवेदन–पत्र अस्वीकार किया जाय तो लाइसेन्स अधिकारी अस्वीकार किये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगा और उसकी सूचना आवेदक को देगा।

29. लाइसेन्स का नवीकरण धारा 13 (3) तथा 35 (2) (ज) (1) प्रत्येक संविदाकार लाइसेन्स के नवीकरण के लिये लाइसेन्स अधिकारी को आवेदन–पत्र देगा।

(2) प्रत्येक ऐसा आवेदन–पत्र तीन प्रतियों में, संख्या 7 में होगा और उस दिनांक से जब से लाइसेन्स समाप्त होता हो, कम से कम तीस दिन पूर्व दिया जायगा और यदि आवेदन–पत्र इस प्रकार दिया

जाता है तो लाइसेन्स उस दिनांक तक के लिये जब नवीनीकृत लाइसेन्स जारी किया जाय, नवीकृत समझा जायेगा।

(3) लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये प्रभार्य फीस वही होगी जो उसे स्वीकृत करने के लिये है।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नवीनीकरण के लिये आवेदन–पत्र उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं प्राप्त होता है तो ऐसे नवीकरण के लिये लाइसेन्स के वास्ते सामान्य रूप से देय फीस से 25 प्रतिशत अधिक फीस देय होगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मामले में जिसमें लाइसेन्स अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ है जो संविदाकार के नियन्त्रण के बाहर थी, तो वह ऐसी अधिक फीस के भुगतान को, जैसा वह उचित समझे कम कर सकता है अथवा उससे छूट दे सकता है।

30. रजिस्टरीकरण के प्रमाण–पत्र अथवा लाइसेन्स की दूसरी प्रति जारी करना धारा 13(3) तथा 35(2) (च)–जहां पूर्ववर्ती नियमों के अधीन स्वीकृत अथवा नवीकृत कोई रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र अथवा लाइसेन्स खो जाय, विरूपित हो जाय अथवा दैवयोग से नष्ट हो जाय तो पांच रूपये की फीस का भुगतान करने पर दूसरी प्रति दी जा सकती है।

31. प्रतिभूति की वापसी धारा 13 तथा 35 (2)–(1)–(1) लाइसेन्स की अवधि समाप्त होने पर यदि संविदाकार अपने लाइसेन्स का नवीकरण नहीं कराना चाहता है तो वह नियम 24 के अधीन जमा की गई प्रतिभूति की वापसी के लिये लाइसेन्स अधिकारी को आवेदन'–पत्र दे सकता है।

(2) यदि लाइसेंन्स अधिकारी का समाधान हो जाय कि लाइसेन्स की शर्तो का उल्लंघन नहीं हुआ है अथवा धारा 14 के अधीन प्रतिभूति अथवा उसके किसी भाग को समपहृत करने का कोइ आदेश नहीं है तो वह आवेदक को प्रतिभूति वापस करने का निर्देश देगा।

(2) यदि प्रतिभूति के किसी भाग को समपहरण करने का कोई आदेश दिया गया है तो समपहृत की जाने वाली धनराशि जमा प्रतिभूति को काट ली जायेगी और शेष, यदि कोई हो, आवेदक को वापस कर दी जायगी।

(3) धनराशि वापस करने के आवेदन–पत्र का निस्तारण यथासम्भव उसके प्राप्त होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कर दिया जायगा।

32. रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण–पत्र और अस्थायी लाइसेन्स देना–

(1) जहां किसी अधिष्ठान में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय, जिससे कि संविदा श्रमिकों को तुरन्त सेवायोजित करना अपेक्षित हो और यह अनुमान हो कि ऐसा सेवायोजन पन्द्रह दिन से अधिक नहीं चलेगा, तो यथास्थिति, अधिष्ठान का मुख्य सेवायोजक अथवा संविदाकार रजिस्ट्रीकरण के अस्थायी प्रमाण–पत्र अथवा

अस्थायी लाइसेन्स के लिये उस रजिस्ट्रीकर्ता लाइसेन्स अधिकारी अथवा अधिकारी को, जिसकी उस क्षेत्र पर जिसमें अधिष्ठान स्थित है, अधिकारिता हो, आवेदन–पत्र देगा।

(2) ऐसे रजिस्ट्रीकरण के अस्थायी प्रमाण–पत्र अथवा अस्थायी लाइसेन्स के लिये आवेदन–पत्र तीन प्रतियों में, क्रमशः प्रपत्र 8 तथा 10 में दिया जायेगा और जिसके साथ कोषागार रसीद अथवा यथास्थिति समपयुक्त, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अथवा लाइसेन्स अधिकारी के पक्ष में लिखा गया रेखांकित पोस्टल आर्डर संलग्न होगा, जिसमें समुचित फीस और लाइसेन्स की दशा में, प्रतिभूति की समुचित धनराशि का भुगतान भी दिखाया गया होगा।

(3) समस्त प्रकार के पूर्ण आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र अथवा अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाने पर कि वह कार्य जिसके लिये आवेदन–पत्र दिया है, पन्द्रह दिन के भीतर समाप्त हो जायेगा और वह इस प्रकार का था जिसे तुरन्त कार्यान्वित किया जा सकता था, यथास्थिति रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अथवा लाइसेन्स अधिकारी पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिये यथास्थिति प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र अथवा प्रपत्र 11 में लाइसेन्स देगा।

(4) जहां रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र अथवा लाइसेन्स स्वीकृत नहीं किया जाय, तो यथास्थिति, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अथवा लाइसेन्स अधिकारी द्वारा उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की विधिमान्यता की समाप्ति पर, अधिष्ठान अपने यहां संविदा श्रमिकों का सेवायोजन समाप्त कर देगा।

(6) उपनियम (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र दिये जाने के लिये देय फीस वही होगी जैसा नीचे विनिर्दिष्ट की गई है–

यदि संविदा पर सेवायोजित किये जाने के लिये प्रस्तावित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन–

(क) 20 से अधिक किन्तु 50 से अनधिक है तो 10.00

(ख) 50 से अधिक किन्तु 200 से अनधिक है तो 20.00

(ग) 200 से अधिक है तो 30.00

(7) उपनियम (3) के अधीन लाइसेन्स दिये जाने के लिये देय फीस वही होगी जैसी नीचे विनिर्दिष्ट की गई है–

यदि संविदाकार द्वारा सेवायोजित किये जाने वाले कर्मचारी की संख्या किसी भी दिन–

(क) 20 से अधिक किन्तु 50 से अनधिक है तो 8.00

(ख) 50 से अधिक किन्तु 200 से अनधिक है तो 20.00

(ग) 200 से अधिक है तो 30.00

(8) नियम 23 तथा नियम 24 के उपबन्ध लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने से इनकार करने अथवा क्रमशः उपनियम (4) तथा नियम (3) के अधीन लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने पर लागू होंगे।

अध्याय– 4

33. अपील तथा प्रक्रिया–धारा 15(1) तथा 35(2) (ख)–(1)

(1) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ज्ञापन के रूप में अपीलार्थी अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी और अपील अधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से दी जायेगी अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी।

(2) ज्ञापन के साथ उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की जाय, एक प्रमाणित प्रतिलिपि तथा दस रूपये की कोषागार रसीद होगी।

(3) ज्ञापन में उस आदेश के जिसके विद्ध अपील की जाय, अपील करने के कारण संक्षिप्त रूप में तथा विशिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत दिये जायेंगें।

34. अपील अस्वीकार करना अथवा उसमें संशोधन करना–

धारा 15 तथा 35 (2) (ख)–(1) जहां अपील के ज्ञापन में नियम 33 के उपनियम (2) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया है तो वह अस्वीकार की जा सकती है अथवा उसे अपील अधिकारी द्वारा नियम समय के भीतर संशोधन किये जाने के प्रयोजनार्थ अपीलार्थी को वापस किया जा सकता है।

(2) जहां अपील अधिकारी उपनियम (1) के अधीन ज्ञापन को अस्वीकार करता है तो वह अस्वीकार करने का कारण अभिलिखित करेगा। और आदेश की सूचना अपीलार्थी को देगा।

(3) जहां अपील का ज्ञापन नियमानुसार है तो अपील अधिकारी अपील को ग्रहण करेगा, उस प्रस्तुत करने का दिनांक पृष्ठांकित करेगा और अपील को इस प्रयोजन के लिये रखी गइ एक पुस्तका में, जिसे अपील रजिस्टर कहा गया है, अभिलिखित करेगा।

(4)(1) जब अपील ग्रहण कर ली जाय तब अपील अधिकारी यथास्थिति, उस रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी अथवा लाइसेन्स अधिकारी को जिनके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, अपील की नोटिस भेजेगा और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अथवा लाइसेन्स अधिकारी उस मामले का अभिलेख अपील अधिकारी को भेजेगा।

(2) अभिलेख प्राप्त हो जाने पर, अपील अधिकारी अपीलार्थी को अपील की सुनवाई के लिये ऐसे दिनांक तथा समय पर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपस्थित होने के लिये एक नोटिस भेजेगा।

35. अपील खारिज करना–धारा 15(1) तथा 35(2) (ख)– यदि सुनवाई के लिये नियत दिनांक को अपीलार्थी उपस्थित न हो तो अपील अधिकारी, अपीलार्थी के उपस्थित न होने के कारण अपील खारिज कर सकता है।

36. अपील का पुनःस्थापन–धारा 15 तथा 35(2) (ख)–(1) जहां कोई अपील नियम 35 के अधीन खारिज कर दी जाय तो अपीलार्थी अपील के पुनग्रहण के लिये अपील अधिकारी को आवेदन कर सकता है, और यदि यह सिद्ध हो जाय कि वह पर्याप्त कारणों से अपील की सुनवाई के दिन उपस्थित नहीं हो सकता तो अपील अधिकारी अपील को उसके मूल क्रमांक पर पुनः स्थापित कर देगा।

(2) ऐसा कोई आवेदन–पत्र जब तक कि अपील अधिकारी पर्याप्त कारणों से समय नही बढ़ाता है, अपील खारिज होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जा सकता है।

37. अपील पर विनिश्चिय–धारा 15 तथा 35(2)(ख)–(1) यदि अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी उपस्थित हो तो अपील अधिकारी अपीलार्थी अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता तथा उसके द्वारा इस प्रयोजनार्थ बुलाये गये किसी अन्य व्यक्ति की सुनवाई प्रारम्भ करेगा और अपील पर उस आदेश को जिसके विरूद्ध अपील की गयी है या तो पुष्ट करने या उसमें विपर्यय करने अथवा उसमें परिवर्तन करने का निर्णय देगा।

(2) अपील अधिकारी के निर्णय में वे प्रश्न जिन पर निर्णय लिया जाना है, उन पर दिये गये विनिश्चय और विनिश्चय दिये जाने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।

(3) आदेश की सूचना अपीलार्थी को दी जायेगी तथा उसकी प्रतिलिपि उस रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अथवा लाइसेन्स अधिकारी को भेजी जायेगी जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है।

38. फीस का भुगतार–धारा 35(ग) – जब तक कि इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित न हो इस नियमावली के अधीन दी जाने वाली समस्त फीस स्थानीय कोषागार में लेखा शीर्षक–0230–श्रम तथा रोजगार–00–106 ठेका श्रमिक के अन्तर्गत शुल्क (विनियम एवं उन्मूलन नियम), 01 ठेका श्रमिक के अन्तर्गत शुल्क (विनियम एवं उन्मूलन नियम) 00–श्रम एवं सेवायोजन–संविदा श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) नियमावली के अन्तर्गत शुल्क–

(1) रजिस्ट्रेशन फीस,

(2) लाइसेन्स फीस,

(3) लाइसेन्स का नवीनीकरण

(4) रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेन्स की दूसरी प्रति जारी की फीस तथा

(5) अपील सम्बन्धी फीस।

39. प्रतिलिपियां–धारा 35(ग)– रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लाइसेन्स अधिकारी अथवा अपील अधिकारी के आदेश की प्रतिलिपियां सम्बद्ध अधिकारी को आवेदन–पत्र देकर जिसमें आदेश का दिनांक और अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट हों और प्रत्येक आदेश के लिये दो रूपये का भुगतान करके, प्राप्त की जा सकती है।

अध्याय–5

संविदा श्रमिक का कल्याण तथा स्वास्थ्य

40. संविदाकार द्वारा दी जाने वाली सुविधायें– धारा 18 और 19 (1)– अधिनियम की धारा 18 तथा 19 के अधीन दिये जाने के लिये अपेक्षित सुविधायें, अर्थात स्वास्थ्यकर पेय–जल का प्रर्याप्त सम्भरण, पर्याप्त संख्या में शौचालय तथा मूत्रालय धुलाई की सुविधायें तथा प्राथमिक चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें, वर्तमान अधिष्ठानों की दशा में इस नियमावली के प्रारम्भ होने के सात दिन के भीतर तथा नये अधिष्ठानों की दशा में संविदा श्रमिकों का सेवायोजन प्रारम्भ होने के सात दिन के भीतर, संविदाकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

(2)

यदि संविदाकार द्वारा उपनियम (1) में उल्लिखित सुविधाओं में से किसी सुविधा की व्यवस्था विहित अवधि के भीतर न की जाय तो उक्त उपनियम में निर्धारित अवधि के समाप्त होने के सात दिन के भीतर उसकी व्यवस्था मुख्य सेवायोजक द्वारा की जायेगी।

41. विश्राम कक्ष– धारा 17 (1) तथा 35 (2) (अ)–(1) प्रत्येक ऐसे स्थान में, जहां उस अधिष्ठान के लिय यह अधिनियम लागू होता है काम–काज के सम्बन्ध में संविदा श्रमिकों से रात्रि में रूकने की अपेक्षा की जाती है तथा जिसमें संविदा श्रमिकों का सेवायोजन तीन मास का उससे अधिक के लिये चलते रहने की संभावना है, वर्तमान अधिष्ठानों के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रवृत होने के पन्द्रह दिन के भीतर तथा नये अधिष्ठानों में संविदा श्रमिकों का सेवायोजन प्रारम्भ होने के पन्द्रह दिन के भीतर, विश्राम कक्षों अथवा अन्य उपयुक्त वैकल्पिक स्थानकी व्यवस्था संविदाकार द्वारा की जायेगी।

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी सुविधा की व्यवस्था संविदाकार द्वारा विहित अवधि के भीतर न की जाय तो मुख्य सेवायोजक उसकी व्यवस्था उक्त उपनियम में निर्धारित अवधि की समाप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर करेगा।

(3) शुद्ध वायु, के परिचालन द्वारा प्रत्येक कमरे में प्रर्याप्त संवातन प्राप्त करने, बनाये रखने के लिये सार्थक तथा उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी तथा उनमें पर्याप्त एवं उपयुक्त प्राकृतिक अथवा कृत्रिम प्रकाश बनाये रखने की व्यवस्था की जायेगी।

(5) विश्राम कक्ष या कक्षों अथवा अन्य उपयुक्त वैकल्पिक स्थान ऐसी माप का होगा जिससे कि विश्राम कक्ष का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये कम से कम 11 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल की व्यवस्था हो सके।

(6) विश्राम कक्ष या कक्षों अथवा अन्य उपयुक्त स्थान इस प्रकार निर्मित होगा जिससे कि उसमें ताप, वायु वर्षा से पर्याप्त रक्षा हो सके और उसका फर्श चिकना, कठोर तथा अभेद्य होगा।

(7) विश्राम कक्ष अथवा अन्य उपयुक्त स्थान अधिष्ठान से सुगम दूरी पर होगा और उसमें स्वास्थ्यकर पेय–जल का पर्याप्त सम्भरण होगा।

42. कैन्टीनों की व्यवस्था–धारा 16(1) तथा 35 (अ)–(1) प्रत्येक ऐसे अधिष्ठान में जिस पर यह अधिनियम लागू होता है और जिसमें संविदा श्रमिकों के सेवायोजन से सम्बन्धित कार्य के छः मास तक चलते रहने की सम्भावना है तथा जिसमें एक सौ अथवा उससे अधिक संख्या में संविदा श्रमिक सामान्यतः सेवायोजित हैं, ऐसे संविदा श्रमिकों के प्रयोग के लिये, वर्तमान अधिष्ठानों की दशा में इस नियमावली के प्रवृत होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर तथा नये अधिष्ठानों के सम्बन्ध में संविदा श्रमिकों का सेवायोजन प्रारम्भ होने के साठ दिन के भीतर संविदाकार द्वारा कैंन्टीन की उचित व्यवस्था की जायेगी।

(2) यदि संविदाकार निर्धारित समय के भीतर कैन्टीन की व्यवस्था करने में चूक करे तो मुख्य सेवायोजक, संविदाकार को अनुमन्य समय की समाप्ति के साठ दिन के भीतर उसकी व्यवस्था करेगा।

(3) यथास्थिति संविदाकार अथवा मुख्य सेवायोजक कैन्टीन अनुसंरक्षण कुशलता से करेगा।

43. कैन्टीन–धारा 16(1) तथा 35(2) (अ)–(1) कैन्टीन में कम से कम एक भोजन कक्ष, रसोईधर, स्टोर रूप, भण्डारगार (पैन्ट्री) होगा तथा श्रमिकों को हाथ–मुंह धोने और बर्तनों को साफ करने के लिये अलग–अलग स्थान की व्यवस्था होगी।

(2)(1) कैन्टीनमें ऐसे सभी समय पर जब उसमें कोई व्यक्ति आए, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होगी।

(2) फर्श चिकने और अभद्य पदार्थ का बना होगा और भीतरी दीवालों की पुताई चूने अथवा रंग से वष्र में कम से कम एक बार की जायेगी।

(3)(1) कैन्टीन का आहाता स्वच्छ तथा साफ सुथरी दशा में रखा जायगा।

(2) गन्दा पानी उपयुक्त ढकी हुई नालियों द्वारा निकाला जायेगा तथा उसे जमा नहीं होने दिया जायेगा जिससे कि प्रदूषण उत्पन्न न हो।

(3) कूड़ा इकट्ठा करने तथा उसका निस्तारण करने के लिये समुचित व्यवस्था की जायेगी।

44. भोजन कक्ष–धारा 16 (1) तथा 35 (अ)–(1) भोजन कक्ष में एक समय में कार्य करने वाले संविदा श्रमिकों के कम से कम तीस प्रतिशत व्यक्तियों के बैठने का स्थान होगा।

(2) भोजन–कक्ष का तल–क्षेत्रफल, सर्विस काउन्टर तथा मेजों और कुर्सियों के सिवाय अन्य फर्नीचर द्वारा स्थान को छोड़द्यकर उपनियम (1) में यथाविहित भोजन करने वाले प्रति व्यक्ति के लिये एक वर्गमीटर से कम स्थान न होगा।

(3)(1) भोजन कक्ष तथा सर्विस काउन्टर का एक भाग महिला कर्मकारो के लिये उनकी संख्या के अनुपात में अलग कर दिया जायेगा और उनके लिये सुरक्षित रहेगा।

(2) महिलाओं के लिये हाथ–मुंह धोने का स्थान अलग होगा और गोपनीयता के लिये उसमें पर्दे लगे होंगे।

(4) उपनियम (1) में यथाविहित, भोजन करने वालों के लिये पर्याप्त संख्या में मेजे, स्टूल, कुर्सियां अथवा बेंच उपलब्ध रहेगी।

45. उपस्कर–धारा 16 (1) तथा 35 (2) (अ)–(1) कैन्टीन को सुचारू रूप से चलाने के लिये पर्याप्त बर्तन, चीनी के बर्तन, कटलरी, फर्नीचर तथा अन्य उपस्कर की व्यवस्था की जायेगी तथा अन्य उपस्कर की व्यवस्था की जायेगी तथा उन्हें रखा जायेगे।

(2) फर्नीचर बर्तन तथा अन्य उपस्कर स्वच्छ एवं स्वास्थ्य कर अवस्था में रखे जायेंगे।

(2)(1) कैंटीन में सेवारत कर्मचारियों के लिये उपयुक्त स्वच्छ वस्त्रों की व्यवस्था की जायेगी तथा उनका रख–रखाव किया जायेगा।

(2) सर्विस काउन्टर, यदि उसकी व्यवस्था हो, का ऊपरी भाग चिकने तथा अभेद्य पदार्थ का बना होगा।

(3) बर्तन तथा उपस्कर की सफाई के लिये गर्म जल के पर्याप्त संभभ्रण सहित समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जायगी।

46. मूल्य प्रदर्शित किये जायेंगे–धारा 16 (1) तथा 35 (2 (अ)– कैन्टीन में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुएं संविदा श्रमिकों की सामान्य आदतों के अनुरूप होंगी।

47. दिये जाने वाले खाद्य पदाथ–धारा 16 (1) (ग) तथा 35 (2) (अ)– कैन्टीन में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थ, पेय तथा किसी अन्य वस्तुओं का मूल्य लाभ–हानि रहित आधार पर होगा और इसे सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा।

48. कैन्टीन लाभ–हानि रहित आधार पर चलाई जायेगी– धारा 16 (1) तथा35 (2) (अ)– कैन्टीन में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य निकालते समय मदों को व्यय के रूप में नहीं लिया जायेगा यथाः–

(क) भूमि तथा भवन का किराया,

(ख) कैन्टीनके लिये भवन तथा व्यवस्थित उपस्कर के लिये मूल्यह्रास और अनुरक्षण परिव्यय,

(ग) फर्नीचर, चीनी के बर्तन तथा बर्तनों रहित उपस्कर क्रय करने उनकी मरम्मत तथा उन्हें प्रति स्थापित करने का मूल्य,

(घ) जल परिव्यय तथा प्रकाश एवं संचालन पर होने वाले अन्य परिव्यय,

(ड) कैन्टीन के लिये फर्नीचर तथा सज्जा की व्यवस्था करने तथा अनुरक्षण पर व्यथित धनराशि पर ब्याज।

49. कैन्टीनकी लेखा पुस्तकें–धारा 16 (1) तथा 35 (2) (अ)– कैन्टीनचलाने के सम्बन्ध में प्रयुक्त लेखा पुस्तकें और रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज किसी निरीक्षक के मांगने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

50. कैन्टीनके लेखों की परीक्षा–धारा 16 तथा 35 (2) (अ)– कैन्टीन से सम्बन्धित लेखों की परीक्षा प्रत्येक 12 महीने में एक बार रजिस्ट्रीकृत लेखाकारों तथा लेखा परीक्षकों द्वारा की जायेगी,

प्रतिबन्ध यह है कि श्रम आयुक्त उत्तरांचल किसी अन्य व्यक्ति को लेखा परीक्षा करने के लिये अनुमोदित कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि कैन्टीन के स्थल अथवा उसकी स्थिति को देखते हुए किसी रजिस्ट्रीकृत, लेखाकार अथवा लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना सम्भव नहीं है।

51. शौचालय तथा मूत्रालय धारा 18 (ख) तथा 35 (2) (अ)– अधिनियम की सीमा की परिधि में आने वाले प्रत्येक अधिष्ठान में निम्नलिखित स्तर पर शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी, अर्थात

(क) जहां महिलायें सेवायोजित हों वहां प्रत्येक 25 महिलाओं के लिये कम से कम एक शौचालय होगा,

(ख) जहां पुरूष सेवायोजित हों वहां प्रत्येक 25 पुरूषों के लिये कम से कम एक शौचालय होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पुरूष अथवा महिलाओं की संख्या 100 से अधिक हो, वहां प्रथम 100 व्यक्तियों तक यथास्थिति प्रत्येक 25 पुरूषों तथा महिलाओं के लिये एक शौचालय तथा उसके पश्चात प्रत्येक 50 व्यक्तियों के लिये एक शौचालय प्राप्त होगा।

52. शौचालयों के लिये उचित दरवाजे और चिटकनियां–धारा 18 (ख) तथा 35 (2) (अ)– प्रत्यक शौचालय आच्छादित होगा और उसका विभाजन इस प्रकार किया जायगा जिससे गोपनीयता बनी रहे और उसमें उचित दरवाजा तथा चिटकनी (फासनिंग) लगी होगी।

53. शौचालयों तथा मूत्रालयों पर संकेत चिन्ह–धारा 18 (ख) तथा 35 (2) (अ)–(1) जहां महिला और पुरूष दोनों वर्गो के कर्मकार सेवायोजित हों, वहां शौचालय तथा मूत्रालय के प्रत्येक ब्लाक के बाहर अधिकांश श्रमिकों की समझ आने वाली भाषा में यथास्थिति ''केवल महिलाओं के लिये ''अथवा'' केवल पुरूषों के लिये'' प्रदर्शित होगा।

(2) नोटिस में, यथास्थिति महिला अथवा पुरूष की आकृति भी बनी होगी।

54. मूत्रालयों की संख्या–धारा 18 (ख) तथा 35 (2) (अ)– एक समय में सेवायोजित पचास पुरूष कर्मकारों तक के लिये कम से कम एक तथा पचास महिला कर्मकारों के लिये एक मूत्रालय होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि जहां, यथास्थिति, पुरूष अथवा महिला कर्मकारों की संख्या 500 से अधिक हो जाय, वहां प्रथम 500 तक 50 पुरूष अथवा महिलाओं के लिये एक मूत्रालय तथा उसके पश्चात प्रत्येक 100 अथवा उसके भाग के लिये एक मूत्रालय पर्याप्त होगा।

55. शौचालयों तथा मूत्रालयों की सुगमता–धारा 18 (ख) तथा 35 (2) (अ)–(1) अधिष्ठान में शौचालय तथा मूत्रालय ऐसे सुविधाजनक स्थान पर स्थित होंगे, जहां अघिष्ठान के श्रमिक किसी भी समय सुगमतापूर्वक जा सकें।

(2)(1) शौचालयों तथा मूत्रालयों में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होगी उन्हें हर समय स्वच्छ दशा में रखा जायेगा।

(2) फ्लश सीवेज प्रणाली से सम्बन्द्ध शौचालयों तथा मूत्रालयों से भिन्न शौचालय तथा मूत्रलय जन–स्वास्थ्य अधिकारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

56. शौचालयों तथा मूत्रालयों में जल–व्यवस्था–धारा 18 (ग) शौचालयों तथा मूत्रालयों में अथवा उसके निकट बम्बे द्वारा अथवा अन्य प्रकार से जल की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी जिससे कि वह आसानी से प्राप्त हो सके।

57. धोने की सुविधायें धारा 18 (ग)–(1) अधिनियम की सीमा में आने वाले प्रत्येक अधिष्ठान में, जहां सेवायोजित संविदा श्रमिकों के निमित हाथ–मुंह धोने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

(2) पुरूष तथा महिला कर्मकारों के प्रयोग के लिये पृथक एवं प्रर्याप्त पर्दे की सुविधा प्रदानकी जायेगी।

(3) यह सुविधायें सुगमतापूर्वक प्राप्त होंगी तथा स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर दशा में रखी जायेंगी।

58. प्राथमिक चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें धारा 19 तथा 35 (2) (त)– अधिनियम की सीमा में आने वाले प्रत्येक अधिष्ठान में कार्य के समस्त घंटों में सामान्यतया सेवायोजित 150 संविदा श्रमिक अथवा उसके किसी भाग के लिये तत्काल सुलभ कम से कम एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी की व्यवस्था होगी तथा उसे अनुरक्षित किया जायेगा।

59. प्राथमिक चिकित्सा पेटी की अन्तर्वस्तुयें धारा 19 और 35 (2) (त)–(1)–प्राथमिक चिकित्सा प्रटी पर श्वेत तल पर एक रेडक्रास विशिष्ट रूप से चिन्हित होगा और उसमें निम्नलिखित वस्तुयें होंगी अर्थात्

(क) ऐसे अधिष्ठानों में जिनमें सेवायोजित संविदा श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक नहीं है, प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होंगीः–

(1) 6 छोटी विसंक्रमित पट्टियांः

(2) 6 छोटी मझोले आकार की विसंक्रमित पट्टियांः

(3) 3 बड़े आकार की विसंक्रमित पट्टियांः

(4) 3 दग्ध घावों को बांधने वाली बड़ी पट्टियांः

(5) 1 (30 मि0ली0 की) बोतल आयोडीनकी जिसमें 2 प्रतिशत अल्कोहलिक घोल होगाः

(6) 1 (30 मि0ली0 की) बोतल साल्बोलेटाइल जिसके लेबिल पर खुराक तथा प्रयोग विधि निर्दिष्ठ हो,

(7) 1 सर्पदश का शल्य यंत्र (लेसेंट)

(8) पोटेशियम परमेग्नेट किस्टील की (30ग्राम की) 1 बोतल।

(9) 1 कैंची,

(10) महानिदेशक, फैक्ट्री एडवाइस सर्विस ऐंड लेबर इंस्टीट्यूट, भारत सरकार द्वारा जारी की गइ प्राथमिक चिकित्सा पुस्तिका की एक प्रति,

(11) ऐस्परीन की (प्रत्येक 5 ग्रेन की) 100 टिकियां वाली एक बोतल,

(12) जले पर लगाने के लिए मलहम,

(13) उपयुक्त सर्जिकल ऐंटीसेप्टिक सेल्यूशन की एक बोतल,

(ख) ऐसे अधिष्ठान में जिनमें संविदा श्रमिकों की संख्या पचास से अधिक है, प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होगी।

1.12 छोटी विसंक्रमित पट्टियां,

2.6 मझोले आकार की विसंक्रमित पट्टियां,

3.6 बड़े आकार की विसंक्रमित पट्टियां

4.6 बड़े आकार की दुग्ध धावों को बांधने की पट्टियां,

5.विसंक्रमित रूई के (15ग्राम के) बंडल,

6.1 (60 मि0ली0की) बोतल आयोडीन की जिसमें 2 प्रतिशत अल्कोहलिक घोल होगा,

7.1 (60 मिली0 की) बोतल साल बोले टाइस, जिसके लेवल पर खुराक तथा प्रयोग–विधि निर्दिष्ट होः

8.चिपकाने वाले प्लास्टर का गोला,

9.1 सर्प–दंश का शल्य यंत्र (लेसेन्ट),

10. पोटैशियम परमेग्नेट किस्टल की (30 ग्राम की) 1 बोतलः

11. 1 कैंची

12. महानिदेशक, फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एण्ड लेवर इंस्टीट्यूट, भारत सरकार द्वारा जारी की गइ्र प्राथमिक चिकित्सा पुस्तिका की एक प्रति,

13. एस्परी की (प्रत्येक 5 ग्रेन की) 100 टिकियों वाली एक बोतलः

14. जले पर लगाने का मलहम,

15. उपयुक्त सर्जिकल एंण्टी–सेंप्टिक सेलयूशन की एक बोतल।

(2) आवश्यकता पड़ने उपस्कर की तुरन्त पूर्ति के लिये प्रर्याप्त प्रबन्ध किया जायेगा।

60. प्राथमिक चिकित्सा पेटी में सम्यक रूप से विहित वस्तुयें रखी जायेंगी धारा 19 तथा 35 (2) (के)– प्राथमिक चिकित्सा पेटी में विहित वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रखी जाएगी।

61. प्राथमिक चिकित्सा प्रटी की उपलब्धता धारा 19 तथा धारा 35 (2) (के)–प्राथमिक चिकित्सा पेटी पृथक रूप से एक उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखी जायेगी, जो अधिष्ठान के कार्य के घंटों में सुलभ होगा।

62. प्रशिक्षित व्यक्ति के प्रभार में प्राथमिक चिकित्सा पेटी रहेगी धारा 19 तथा 35 धारा (2) (के)– ऐसे अधिष्ठानों में वहां पर सेवायोजित संविदा श्रमिकों की संख्या 150 अथवा अधिक हो प्राथमिक चिकित्सा पेटी का प्रभारी व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सोपचार में प्रशिक्षित होगा।

अध्याय – 6

63. मजदूरी का नियत किया जाना धारा 21 तथा 25 (2) (थ) संविदाकार मजदूरी की अवधि, जिसके लिए मजदूरी देय होगी निर्धारित करेगा।

64. मजदूरी की अवधि धारा 21 तथा 35 (2) (थ)– कोई भी मजदूरी की अवधि एक मास से अधिक न होगी।

65. मजदूरी का भुगतान धारा 21 तथा 35 (2) (थ)– किसी ऐसे अधिष्ठान में जहां संविदा श्रमिक के रूप में अथवा संविदाकार द्वारा सेवायोजित व्यक्तियों कीसंख्या एक हजार से कम हो, वहां प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान उस मजदूरी अवधि के जिसके सम्बन्ध में मजदूरी देय है, अन्तिम दिन के पश्चात सातवें दिनकी समाप्ति के पूर्व तथा अन्य मामलों में दसवें दिन कि समाप्ति के पूर्व किया जायेगा।

66. सेवायोजन समाप्त होने की दशा में मजदूरी का भुगतान धारा 21 तथा 35 (2) (थ)– जहां संविदाकार द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी कर्मकार का सेवायोजन समाप्त किया जाय तो उसके द्वारा अर्जित मजदूरी भुगतान उस दिन के, जिस दिन उसका सेवायोजन समाप्त किया जाय, अगले कार्य दिवस के समाप्त होने के पूर्व किया जायगा।

67. मजेदूरी के भुगतान का समय तथा स्थान धारा 21 तथा 35 (2) (थ)– समस्त मजदूरी का भुगतान किसी कार्य दिवस को कार्य–भू–गुहादि पर और कार्य समय के दौरान तथा अग्रिम रूप से अधिसूचित दिनांक को किया जायेगा और यदि मजदूरी अवधि की समाप्ति के पूर्व ही काम पूरा हो जाय तो अन्तिम भुगतान अन्तिम कार्य दिवस के 48 घंटे के भीतर किया जायेगा।

68. व्यक्ति जिन्हें मजदूरी का भुगतानकिया जाय धारा 21 (1) तथा 35 (2) (थ)– प्रत्येक कर्मकार को देय मजदूरी का भुगतान सीधे उसे अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को किया जायेगा।

69. चालू सिक्कों, अथवा मुद्रा में भुगतान धारा 21 तथा 81) तथा 35 (2) (थ)– समस्त मजदूरों का भुगतान चालू सिक्कों अथवा मुद्रा या दोनों में किया जायगा।

70. मजदूरों से कटौती धारा 21 तथा 35 (2) (थ)– राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट या मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 (अधिनियम संख्या 4,1936) के अधीन अनुज्ञेय कटौतियों के सिवाय मजदूरी का भुगतान किसी प्रकार की कटौती किए बिना किया जायेगा।

71. मजदूरी के वितरण के सम्बन्ध में समय तथा स्थानकी नोटिस धारा 21 और 35 (2) (च)– कार्य स्थान पर एक नोटिस प्रदर्शित की जायगी, जिसमें मजदूरी की अवधि और मजदूरी के वितरण का समय तथा स्थान दिया होगा, और उसकी एक प्रतिलिपि संविदाकार द्वारा प्राप्त अभिस्वीकृति के अधीन मुख्य सेवायोजक को भेजी जायेगी।

72. मुख्य सेवायोजक के प्रधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष मजदूरी का विवरण धारा 21 (2) तथा 35 (2) (थ)– मुख्य सेवायोजक संविदाकार द्वारा कर्मकारों को मजदूरी के वितरण के स्थान और समय पर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा और संविदाकार का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि वह मजदूरी का वितरण प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष करें।

73. मजदूरी का रजिस्टर धारा 21 (2) तथा 35 (2) (थ)– (1)– मजदूरी के भुगतान का समय तथा स्थान और वास्तविक रूप से किया गया भुगतान मजदूरी के रजिस्टर में भुगतान किए जाने के साथ–साथ दर्ज किया जायेगा।

(2) मुख्य सेवायोजक का प्राधिकृत प्रतिनिधि, यथास्थिति मजदूरी के रजिस्टर अथवा मजदूरी एवं उपस्थिति नामावली की प्रतिष्टियों के अन्त में, निम्नलिखित प्रारूप में, अपने हस्ताक्षर से प्रमाण–पत्र अभिलिखित करेंगा–

''प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ संख्या–में दिखाई गई धनराशि का भुगतान– मैं दिनांक–को मेरी उपस्थिति में सम्बद्ध कर्मकार को किया गया है।''

अध्याय – 7

रजिस्टर तथा अभिलेख एवं आंकड़ों का संकलन

74. संविदाकारों का रजिस्टर धारा 21–प्रत्येक मुख्य सेवायोजक प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अधिष्ठान के सम्बन्ध में प्रपत्र संख्या 12 में, संविदाकारों का रजिस्टर रखेगा।

75. सेवायोजित व्यक्तियों का रजिस्टर धारा 24 तथा 35 (2) (द)– प्रत्येक संविदाकार प्रत्येक ऐसे रजिस्ट्रीकृत अधिष्ठानके संबंध में जिसमें वह संविदा श्रमिकों को सूवायोजित करता है, प्रपत्र संख्या 13 में एक रजिस्टर रखेगा।

76. सेवायोजन कार्ड धारा 21 तथा 35 (2) (द)– (1) प्रव्येक संविदाकार प्रत्येक कर्मकार को प्रपत्र संख्या 13 एक सेवायोजन कार्ड उसके सेवायोजनके दिनांक से तीन दिन के भीतर जारी करेगा।

(2) कार्ड को अद्यतन रखा जायेगा और यदि विशिष्टियों में कोई परिवर्तन हो तो उसे उसमें दर्ज किया जायेगा।

77. सेवा प्रमाण–पत्र धारा 21 तथा (2) (द)– किसी कारणवश सेवायोजन समाप्त होने पर संविदाकार उस कर्मकार को, जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, प्रपत्र संख्या 16 में एक सेवा प्रमाण पत्र देगा।

78. उपस्थिति नामावली, मजदूरी रजिस्टर, कटौती रीजस्तर तथा अधिसमय (ओवर टाइम) रजिस्टर धारा 21 तथा 35 (2) (द)–(1) उन अधिष्ठानों के संबंध में जो मजदूरों संदाय, अधिनियम, 1936 (अधिनियम संख्या 4, 1936) तथा तद्धीन बनाए गए नियमों अथवा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11, 1948) अथवा तद्धीन बनाए गये नियमों द्वारा नियंत्रित होते हों, संविदाकार द्वारा इन अधिनियमों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सेवायोजक के रूप में रखे जानेके लिए अपेक्षित निम्नलिखित रजिस्टर तथा अभिलेख इस नियमावली के अधीन संविदाकार द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर तथा अभिलेख समझे जायेंगे–

(क) उपस्थिति नामावली

(ख) मजदूरी का रजिस्टर,

(ग) कटौतियों का रजिस्टर,

(घ) अधिसमय (ओवर टाइम) का रजिस्टर

(ड.) जुर्माने का रजिस्टर

(च) अग्रिम धनराशि का रजिस्टर

(2) ऐसे अधिष्ठानों के संबंध में जो अधिनियम (1) के अधीननहीं आतें हैं, निम्नलिखित उपबन्ध लागू होगें,अर्थात–

(क) प्रत्येक संविदाकार एक उपस्थिति नामावली रजिस्टर तथा एक मजदूरी का रजिस्टर क्रमशः प्रपत्र संख्या 16 तथा प्रपत्र संख्या 17 में रखेगा,

प्रतिबन्ध यह है कि जहां मजदूरी अवधि एक पखवारा अथवा उससे कम है वहां संविदाकार द्वारा प्रपत्र संख्या 18 में उपस्थिति नामावली एवं मजदूरी का रजिस्टर रखा जायेगा।

(ख) जहां मजदूरी अवधि एक सप्ताह अथवा उससे अधिक हो, संविदाकार मजदूरी वितरण के कम से कम एक दिन पूर्व कर्मकारों को प्रपत्र संख्या 11 में मजदूरी–पर्ची (वेज स्लिप) देगा।

(ग) प्रत्येक कर्मकार का हस्ताक्षर अथवा अंगूठों का निशान, यथास्थिति मजदूरी के रजिस्टर अथवा मजदूरी एवं उपस्थिति नामावली पर लिया जायेगा और उसकी प्रविष्टियां संविदाकार अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षरों द्वारा अधिप्रमाणित की जायेगी, और उन्हें नियम 73 की अपेक्षानुसार मुख्य सेवायोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया जायेगा।

(घ) कटौतियां, जुर्माने तथा अग्रिम धनराशि का रजिस्टर प्रत्येक संविदाकार द्वारा क्षति अथवा हानि के लिए कटौतियों का रजिस्टर क्रमशः प्रपत्र संख्या 20, 21 तथा 22 में रखा जायेगा।

(ड.) अधिसमय (ओवर टाइम) का रजिस्टर–प्रत्येक संविदाकार द्वारा प्रपत्र संख्या 23 में एक अधिसमय रजिस्टर रखा जायगा, जिसमें अधिसमय के कार्य के घंटों की संख्या तथा दी गई मजदूरी, यदि कोई हो, अभिलिखित की जायेगी।

(3) इस नियमावली में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां कि अन्य अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा किन्हीं अन्य विधियों या विनियमों के उपबन्धों के अनुपालन में संविदाकार द्वारा संयुक्त अथवा वैकल्पिक प्रपत्र का प्रयोग कार्य को दूसरी बार किये जाने से बचने के लिए अपेक्षित हो अथवा ऐसे मामलों में जहां उत्तम प्रशासन के लिए यंत्रचालित वेतन नामावली प्रयोग में लाई जाती हो, इस नियमावली के अधीन विहित किन्हीं प्रपत्रों के बदले में, श्रम आयुक्त, उत्तरांचल के पूर्वानुमोदन से उपयुक्त वैकल्पिक प्रपत्र अथवा प्रपत्रों का प्रयोग किया जा सकता है।

79. अधिनियम तथा नियमों की संक्षिप्त का प्रदर्शन धारा 21 तथा 35 (2) (द)– प्रत्येक संविदाकार द्वारा अंग्रेजी तथा हिन्दी में और अधिकाश कर्मकारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में अधिनियम तथा नियमों की संक्षिप्त ऐसे रूप में प्रदर्शित की जायेगी, जिसे श्रम आयुक्त, उत्तरांचल अनुमोदित करें।

80. रजिस्टरों तथा अन्य अभिलेखों का रखा जाना धारा 29 तथा 35 82) (द)– (1) अधिनियम तथा नियमों के अधीन रखे जानेके लिये अपेक्षित समस्त रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख, पूर्ण तथा अद्यतन रखे जायेंगे, और जब तक कि अन्यथा व्यवस्था न की जाय, कार्यालय अथवा कार्य स्थान को भू–गृहादि के भीतर समीप तक सुविधाजनक भवन में अथवा तीन किलोमीटर के अर्द्धव्यास के किसी स्थान पर रखे जायेंगे।

(2) ऐसे रजिस्टर अंग्रेजी या हिन्दी में सुपाठ्य रूप में रखे जायेंगे।

(3) सभी रजिस्टर तथा अन्य अभिलेखों, उसमें की गयी अन्तिम प्रविष्टि के दिनांक से तीन कलेण्डर वर्षो की अवधि के लिये मूल रूप में परिरक्षित किये जायेंगे।

(4) अधिनियम अथवा नियमों के अधीन रखे गये समस्त रजिस्टर अभिलेख तथा नोटिस मांग की जाने पर, निरीक्षण अथवा अधिनियम के अधीन अन्य प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, प्रस्तुत की जावेगी।

(5) जहां किसी मजदूरी अवधि के दौरान कोई कटौती अथवा जुर्माना आरोपित न किया गया हो अथवा अधिसमय में काम नकिया गया हो, मजदूरी अवधि के अन्त में प्रपत्र 21 तथा 23 में रखे गये अलग–अलग रजिस्टरों में उसके आर–पार एक शून्य प्रविष्टि की जायेगी जिसमें उन मजदूरी अवधि को भी जिसके संबंध में शून्य प्रविष्टि हो, ठीक'–ठीक शब्दों में प्रविष्ट किया जायेगा।

81. नोटिसों का प्रदर्शन धारा 29 तथा 35 (2) (न)–(1) नोटिस, जिसमें मजदूरी की दरें, काम के घन्टे, मजदूरी अवधि, मजदूरी के भुगतानका दिनांक, अधिकारितायुक्त निरीक्षकों, का नाम, पता तथा आदत्त मजदूरी के भुगतान का दिनांक दिया होगा, अंग्रेजी तथाहिन्दी में और अधिकांश मजदूरों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में अधिष्ठान के सहज दृश्यस्थानों तथा कार्य–स्थल पर यथास्थिति, मुख्य सेवायोजक अथवा संविदाकार द्वारा प्रदर्शित की जायेगी।

(2) नोटिस स्वच्द तथा सुपाठ्य दशा में ठीक प्रकार से रखी जायेगी।

(3) नोटिस की एक प्रति निरीक्षक को भेजी जायेगी और जब कभी उसमें कोई परिवर्तन किया जाय तो उसकी सूचना उसे तुरन्त भेजी जायेगी।

82. विवरणियां प्रस्तुत करना धारा 29 तथा 35 (2) (एन)–(1) प्रत्येक संविदाकार प्रपत्र संख्या 24 में (दो प्रतियों में) अधिवार्षिकी विवरणियां इस प्रकार भेजेगा जिससे कि वह संबंध लाइसेंस अधिकारी के पास अर्द्धवर्ष की समाप्ति के तीस दिन के भीतर पहुंच जाय।

टिप्पणी–

इस नियम के प्रयोजनों के लिए अर्द्ध वर्ष का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 6 मास की अवधि से है।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत अधिष्ठान का प्रत्येक मुख्य सेवायोजक प्रपत्र 25 में (दो प्रतियों में) एक वार्षिक विवरणी इस प्रकार भेजेगा जिससे कि वह सम्बद्ध रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के पास उस वर्ष की, जिससे वह संबंधित है, समाप्ति के पश्चात 15 फरवरी तक पहुंच जाय।

83. सूचना अथवा आंकड़े मांगने की शक्ति धारा 28 तथा 35 (2) (न)–(1) बोर्ड समिति, श्रमायुक्त, उत्तरांचल अथवा निरीक्षक या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा किसी संविदाकार अथवा मुख्य सेवायोजक से संविदा श्रमिक के संबंध में कोई सूयना अथवा आंकड़े मांगने की शक्ति होगी।

(2) कोई व्यक्ति जिससे उप नियम (1) के अधीन कोई सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाय, ऐसा करने के लिए वैध रूपसे बाध्य होगा।

84. निरसन—उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) नियमावली, 1975 उत्तरांचल में प्रवृत्त होने के संबंध में एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

प्रपत्र–1

(नियम 17 (1) देखिये)

संविदा श्रमिक सेवायोजित करने वाले अधिष्ठानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–पत्र

1. अधिष्ठान का नाम तथा अवस्थान।

2. अशिष्ठान का डाक पता।

3. मुख्य सेवायोजक का पूरा नाम तथा पता।

(किसी व्यक्ति की दशा में पिता का नाम दीजिए)।

4 अधिष्ठानके पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए प्रबंधक या उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता।

5. अधिष्ठान में किये जाने वाले कार्य का प्रकार।

6. संविदाकारों तथा संविदा श्रमिकों की विशिष्टियां–

(क) संविदाकारों का नाम तथा पता।

(ख) कार्य का प्रकार, जिसमें संविदा श्रमिक सेवायोजित हो अथवा सेवायोजित किये जाने वाले हो।

(ग) प्रत्येक संविदाकार द्वारा किसी भी दिन सेवायोजित किये जाने वाले संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या

(घ) प्रत्येक संविदाकार के अधीन संविदा श्रमिकों के सेवायोजन की समाप्ति का अनुमानित दिनांक।

7. संलग्न कोषागार रसीद की विशिष्ट (कोषागार का नाम धनराशि तथा दिनांक)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टयां मेरी जानकारी और विश्वास में ठीक है।

मुख्य सेवायोजक,

मुहर तथा स्टाम्प।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी

का कार्यालय।

आवेदन–पत्र प्राप्त होने का दिनांक

i:i=&2

¼fu;e 18¼1½ nsf[k;s½

jftLVªhdj.k dk izek.k&i=

संख्या दिनांक :

उत्तरांचल शासन

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय

कान्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 की धारा की उपधारा (2) तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन, एतद्द्वारा श्री .... को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र जिसमें निम्नलिखित विशिष्टयां दी गई है, दिया जाना है :

1. अधिष्ठान में किये जाने वाले कार्य का प्रकार :
2. संविदाकारों का नाम तथा पता :
3. कार्य का प्रकार, जिसमें संविदा श्रमिक सेवायोजित हो अथवा सेवायोजित किये जाने वाले हो
4. प्रत्येक संविदाकार द्वारा किसी दिन सेवायोजित किये जाने वाले संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या,
5. संविदा श्रमिक के सेवायोजक के सुसंगत अन्य विशिष्टयां

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के

हस्ताक्षर और मुहर।

i:i=&3

¼fu;e 18¼3½ nsf[k;s½

vf/k"Bkuksa dk jftLVj

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा दिनांक	रजिस्ट्रीकृत अधिष्ठान का नाम तथा पता	मुख्य सेवायोजक का नाम तथा पता	अधिष्ठान में किए जाने वाले कारोबार व्यापार उद्योग निर्माण अथवा उपजीविका का प्रकार
1	2	3	4	5

संविदाकार तथा संविदाकार श्रमिक की विशिष्टियां

सीधे सेवायोजित श्रमिकों की कुल संख्या	संविदाकार का नाम तथा पता	कार्य का प्रकार जिसमें संविदा श्रमिक सेवायोजित हों अथवा सेवायोजित किए जाने वाले हों	किसी दिन सेवायोजित किए जाने वाले संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या	संविदा श्रमिकों के सेवायोजन की संभाव्य अवधि	अभ्युक्ति
6	7	8	9	10	11

प्रपत्र–4

(नियम 21(1) देखिये)

लाइसेंस के लिए आवेदन–पत्र

1. संविदाकार का नाम तथा पता (जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति की दशा में उसके पिता का नाम भी है।

2. जन्म का दिनांक तथा आय (किसी व्यक्ति की दशा में)

3. अधिष्ठान की विशिष्टयां जहां श्रमिक सेवायोजित किये जाने वाले हों –

(क) अधिष्ठान का नाम तथा पता :

(ख) अधिष्ठान में किये जाने वाले कारोबार, व्यापार, उद्योग, निर्माण अथवा उपजिविका का प्रकार तथा दिनांकः

(ग) मुख्य सेवायोजक का नाम तथा पताः

4. संविदा श्रम की विशिष्टयां :

(क) अधिष्ठान में कार्य का प्रकार जिसमें संविदा श्रमिक सेवायोजित हो अथवा सेवायोजित किये जाने वाले हों

(ख) प्रस्तावित संवदा कार्य की अवधि (प्रारम्भ होने तथा समाप्त होने के प्रस्तावित दिनांक की विशिष्टयां दी जायेगी)

(ग) कार्यस्थल के संविदाकार के अभिकर्ता अथवा प्रबन्धक का नाम तथा पता।

(घ) अधिष्ठान में किसी दिन सेवायोजित किये जाने के लिए प्रस्तावित संविदा श्रमिक की अधिकतम संख्या

5. क्या संविदाकार पूर्ववती पांच वर्षो के भीतर किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है? यदि हां, तो ब्योरे दीजिये।

6. क्या संविदाकार के विरूद्ध लाइसेंस निरस्त करने या किसी पूर्ववर्ती संविदा के सम्बन्ध में प्रतिभूति जमा समपहृत करने का कोई आदेश दिया गया था? यदि हां, तो ऐसे आदेश का दिनांक दीजिए।

7. क्या विगत पांच वर्षो में संविदाकार ने किसी अन्य अधिष्ठान में कार्य किया है, यदि हां तो मुख्य सेवायोजक अधिष्ठान तथा कार्य के प्रकार का ब्योरा दीजिये।

8. क्या प्रपत्र 5 में मुख्य सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न है?

9. भुगतान की गई लाइसेंस फीस की धनराशि, कोषागार चालान की संख्या तथा दिनांक

घोषणा – मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिये गये ब्योरे मेरी जानकारी और विश्वास में ठीक है।

स्थान – आवेदक (संविदाकार)

दिनांक – के हस्ताक्षर।

टिप्पणी – आवेदन–पत्र के साथ समुचित धनराशि की कोषागार रसीद तथा मुख्य सेवायोजक से प्रपत्र 5 में एक प्रमाण–पत्र होना चाहिए।

लाइसेन्स अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र–5

(नियम 21(2) देखिये)

मुख्य सेवायोजक के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैने आवेदक (संविदाकार का नाम) को अपने अधिष्ठान में संविदाकार के रूप में नियुक्त किया है। मैं अपने अधिष्ठान में आवेदक द्वारा संविदा श्रमिक के सेवायोजन के सम्बन्ध में कन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एवोलिशन) एक्ट 1970 तथा उत्तरांचल संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) नियमावली .... के समस्त उपबन्धों द्वारा जहां तक वे उपबन्ध मुझ पर लागू होते हैं बाध्य होने का वचन देता हूं।

स्थान– मुख्य सेवायोजक के हस्ताक्षर

दिनांक– अधिष्ठान का नाम तथा पता

प्रपत्र–6

(नियम 25(2) देखिये)

उत्तरांचल सरकार

लाइसेंस अधिकारी का कार्यालय .... लाइसेंस संख्या .... दिनांक .... भुगतान की गई फीस रूपया .... भुगतान की गई भुस ....

कन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एवोलिशन) एक्ट, 1970 की धारा 12(1) के अधीन एतद्द्वारा .... को अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन रहते हुए लाइसेंस स्वीकृत कया जाता है।

लाइसेन्स तक प्रवृत रहेगा।

लाइसेंस अधिकारी के हस्ताक्षर

तथा मुहर

नवीनकरण (नियम 21)

नवीनकरण का दिनांक नवीनकरण के लिए समाप्ति का दिनांक भुगतान की गई फीस

1–

2–

3–

दिनांक

लाइसेंस अधिकारी के हस्ताक्षर

तथा मुहर

दिनांक

अनुलग्नक

लाइसेन्स निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगाः

1. लाइसेन्स अनन्तरणीय होगा।

2. अधिष्ठान मे संविदा श्रमिक के रूप में सेवायोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन .... से अधिक नहीं होगी।

3. नियमावली में की गई व्यवस्था के सिवाय, यथास्थिति लाइसेन्स की स्वीकृति या नवीकरण के लिए भुगतान की गई फीस लौटायी नहीं जाएगी।

4. संविदाकार द्वारा कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन, जहां वह प्रयोज्य हो, सेवायोजन की अनुसूची के लिए विहित दरों से कम नहीं होगी, और यदि दरें करार समझौता या अधिनिर्णय द्वारा निश्चित की गई हैं तो वह निर्धारित दरों से कम नहीं होगी।

5. उक्त मामलों में, जहां संविदाकार द्वारा सेवायोजित कर्मकार वही अथवा उसी प्रकार का कार्य करते हों जैसा कि अधिष्ठान के मुख्य सेवायोजक द्वारा सीधे सेवायोजित कर्मकार करते हैं, तो संविदाकार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश, काम के घंटे तथा सेवा की अन्य शर्ते वही होगी, जो अधिष्ठान के मुख्य सेवायोजक द्वारा उसी तथा उसी प्रकार के कार्य के लिए सीधे सेवायोजित कर्मकारों पर प्रयोज्य हों, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कार्य के प्रकार के सम्बन्ध में कोई असहमति होने की दशा में उसका विनिश्चय श्रम आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

6. के घंटे तथा सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होगी जैसा कि श्रम आयुक्त उत्तरांचल द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट की जाय।

7. प्रत्येक ऐसे अधिष्ठान में, जहां संविदा श्रमिक के रूप में बीच या उससे अधिक महिलायें सामान्यतया सेवायोजित हों तो उनके छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रयोग के लिए युक्तियुक्त माप के दो कमरों की व्यवस्था की जाएगी इनमें से एक कमरे का प्रयोग बच्चों के लिए क्रीड़ा–कक्ष के रूप में और दूसरे का प्रयोग बच्चों के शयन–कक्ष के रूप में किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए संविदाकार क्रीड़ा–कक्ष में पर्याप्त संख्या में खिलौने और खेल के सामान तथा शयन–कक्ष में पर्यापत संख्या में चारपाइयों और विस्तरों की व्यवस्था करेगा। बाल–गृहों के निर्माण तथा उनके अनुरक्षण का सतर वही होगा जैसा कि श्रम आयुक्त द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किया जाय।

8. लाइसेन्सधारी कर्मकारों की संख्या या कार्य की शर्ते में किसी भी परिवर्तन की सूचना लाइसेन्स अधिकारी को देगा।

प्रपत्र–7

(नियम 21 (2) देखिये)

लाइसेन्स के नवीकरण के लिए आवेदन–पत्र

1. संविदाकार का नाम तथा पता

2. लाइसेन्स की संख्या तथा दिनांक

3. पिछले लाइसेन्स की समाप्ति का दिनांक

4. क्या संविदाकार का लाइसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त किया गया था?

5. संलग्न कोषागार रसीद की संख्या तथा दिनांक

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

(लाइसेन्स अधिकारी के कार्यालय में भरा जायगा)

कोषागार रसीद की संख्या तथा दिनांक सहित आवेदन–पत्र के प्राप्त होने का दिनांक

लाइसेन्स अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र–7

(नियम 32(2) देखिये)

संविदा श्रमिक सेवायोजित करने वाले अधिष्ठानों के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–पत्र

1. अधिष्ठान का नाम तथा अवस्थान

2. अधिष्ठान का डाक पता

3. मुख्य सेवायोजक का पूरा नाम तथा पता (किसी व्यक्ति की दशा में पिता का नाम दीजिए)

4. अधिष्ठान के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए प्रबन्ध या उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम तथाि पता

5. अधिष्ठान में किए जाने वाले कार्य का प्रकार

6. संविदा श्रम की विशिष्टियां–

   (क) कार्य का प्रकार, जिसमें संविदा श्रमिक सेवायोजित किए जाने वाले हों तथा अति आवश्यकता के कारण

   (ख) किसी भी दिन सेवायोजित किए जाने वाले संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या

   (ग) संविदा श्रमिकों के सेवायोजन की समाप्ति का अनुमानित दिनांक

7. संलग्न कोषागार रसीद या रेखांकित पोस्टल आर्डर की विशिष्टियां

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर की गयी विशिष्टियां मेरी जानकारी और विश्वास में ठीक है।

मुख्य सेवायोजक

(मुहर तथा स्टाम्प)

कोषागार रसीद अथवा रेखांकित पोस्टल आर्डर सहित आवेदन–पत्र की प्राप्ति का समय तथा दिनांक

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का

कार्यालय

प्रपत्र–7

(नियम 32 (3) देखिये)

समाप्ति का दिनांक ....

रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण–पत्र

संख्या दिनांक

उत्तरांचल सरकार

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय

कन्ट्रैक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एण्ड एवोलिशन) एक्ट, 1970 की धारा 7 की उपधारा (2) तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण–पत्र जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी गइ्र है तथा जो दिनांक

दिनांक .... तक विधिमान्य है।। एतद्द्वारा श्री .... को दिया जाता हैः

1. अधिष्ठान में किए जाने वाले कार्य का प्रकार
2. कार्य का प्रकार, जिसमें संविदा श्रमिक सेवायोजित किए जाने वाले हैं।
3. किसी दिन सेवायोजित किए जाने वाले संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या
4. संविदा श्रमिक के सेवायोजन से सम्बन्धित अन्य विशिष्टियां

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

तथा मुहर

प्रपत्र–8

(नियम 32(2) देखिये)

अस्थायी लाइसेन्स के लिए आवेदन–पत्र

1. संविदाकार का नाम तथा पता (जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की दशा में सके पिता का नाम भी है)

2. जन्म का दिनांक तथा (आयु व्यक्ति की दशा में)

3. अधिष्ठान की विशिष्ठियां जहां संविदा श्रमिक सेवायोजित किए जायें।

   (क) अधिष्ठान का नाम तथा पता

   (ख) अधिष्ठान में किए जाने वाले कारोबार, व्यापार, उद्योग,

   उपजीविका का प्रकार :

   (ग) मुख्य सेवायोजक का नाम तथा पता :

4. संविदा श्रम की विशिष्टियां –

   (क) अधिष्ठान में कार्य का प्रचार जिसमें संविदा श्रमिक सेवायोजित किये जाने वाले हैं।

   (ख) प्रस्तावित संविदा कार्य की अवधि (प्रारम्भ होने तथा समाप्ति हाने के प्रस्तावित दिनांक की विशिष्टियां दीजिए)

   (ग) कार्य स्थल में संविदाकार के अभिकर्ता अथवा प्रबन्धक का नाम तथा पता :

   (घ) अधिष्ठान में किसी दिन सेवायोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित संविदा श्रमिक की अधिकतम संख्या

5. क्या संविदाकार पूर्ववर्ती पांच वर्षो के भीतर किसी अपराध के लिए सिद्ध–दोष हुआ है? यदि हां तो ब्योरे दीजिये।

6. क्या संविदाकार के विरूद्ध लाइसेंस निरस्त करने अथवा निलम्बित करने या किसी पूर्ववर्ती संविदा के सम्बन्ध में प्रति भूति समपहत करने का कोई आदेश दिया गया था? यदि हां, तो ऐसे आदेश का दिनांक दीजिए।

7. कया विगत पांच वर्षो में संविदाकार ने किसी अन्य अधिष्ठान में कार्य किया है? यदि हां तो मुख्य सेवायोजक अधिष्ठान तथा कार्य के प्रकार का व्योरा दीजिए।

8. भुगतान की गई लाइसेन्स फीस की धनराशि कोषागार चालान अथवा रेखांकित पोस्टल आर्डर की संख्या तथा दिनाक :

9. जमा प्रतिभूति की धनराशि, कोषागार रसीद अथवा रेंखाकिंत पोस्टल आर्ड की संख्या तथा दिनांक।

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी जानकारी और विश्वास में ठीक है।

(लाइसेन्स अधिकारी के कार्यालय में भरा जायेगा)

आवेदन प्राप्त होन के दिनांक तथा फीस प्रतिभूति जमा करने का चालान।

लाइसेन्स अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र–11

(नियम 32(3) देखिये)

उत्तरांचल सरकार

लाइसेन्स अधिकारी का कार्यालय

लाइसेंस संख्या   दिनांक   भुगतान की गई फीस

रूपया

लाइसेन्स अधिकारी के हस्ताक्षर

अस्थायी लाइसेंस .... दिनांक .... को समाप्त

कन्ट्रैक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एण्ड एवोलिशन) एक्ट, 1970 की धारा 32 (2) के अधीन एतद्द्वारा श्री .... को अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन रहते हुए, लाइसेन्स स्वीकृत किया जाता है।

लाइसेन्स दिनांक .... तक प्रवृत्त रहेगा।

दिनांक

लाइसेन्स अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक

लाइसेन्स निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

1. लाइसेन्स अनन्तरणीय होगा।
2. अधिष्ठान मं संविदा श्रमिक के रूप में सेवायोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन .... से अधिक नहीं होगी।
3. नियमावली में की गई व्यवस्था के सिवाय लाइसेन्स की स्वीकृति के लिये भुगतान की गयी फीस लौटायी नहीं जायेगी।
4. संविदाकार द्वारा कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनिम, 1948 के अधीन जहां यह प्रयोज्य हो, सेवायोजन की अनुसूची के लिये विहित दरों से कम नहीं होगी और यदि दरें, करार, समझौता या अधिनिर्णय द्वारा निश्चित की गई ळै तो वह नियत दरों से कम नहीं होगा।

5. उस दशा में जहां संविदाकार द्वारा सेवायोजित कर्मकार वही अथवा उसी प्रकार का कार्य करते हो जैसा कि अधिष्ठान के मुख्य सेवायोजक द्वारा सीधे सेवायोजित कर्मकार करते हैं तो संविदाकार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश, काम के घंटे तथ सेवा की अन्य शर्ते वही होंगी जो अधिष्ठान के मुख्य सेवायोजक द्वारा उसी तथा उसी प्रकार के कार्य के लिये सीधे सेवायोजित कर्मकारों पर प्रयोज्य हों, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कार्य के प्रकार के सम्बन्ध में कोई असहमति होने की दिशा में उसका विनिश्चय श्रम आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

6. अन्य दशाओं में संविदाकार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश काम के घंटे तथा सेवा की शर्ते ऐसी होंगी जैसा कि श्रम आयुक्त, उत्तरांचल प्रदेश द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट की जाये।

प्रपत्र–12

(नियम 74 देखिये)

संविदाकारों का रजिस्टर

1. मुख्य सेवायोजक का नाम तथा पता

2. अधिष्ठान का नाम तथा पता

क्रम	संविदाकार का नाम तथा पता	संविदाकार का प्रकार	संविदाकार की स्थिति	संविदा की अवधि से	अवधि	संविदाकार द्वारा सेवायोजित कर्मकारों की अधिकतम सख्ंया
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र—13

(नियम 75 देखिये)

संविदाकार द्वारा सेवायोजित कर्मकारों का रजिस्टर

संविदाकार का नाम तथा पता ....

कार्य का नाम तथा स्थिति ....

अधिष्ठान का नाम तथा पता ....

जिसमें / जिसके अधीन संविदा

का पालन किया जाता हो ....

मुख्य सेवायोजक का नाम तथा पता ....

क्रम संख्या	कर्मकारों का नाम तथा उपनाम	आयु तथा लिंग	पिता / पति का नाम	सेवायोजन का प्रकार / पदनाम	कर्मकार का स्थायी पता (ग्राम और तहसील / तालुक और जिला)
1	2	3	4	5	6
स्थानीय पता	सेवायोजन प्रारम्भ होने का दिनांक	कर्मकार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान	सेवायोजन की समाप्ति का दिनांक	सेवायोजन की समाप्ति का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र–14

(नियम 76 देखिये)

सेवायोजन काड

संविदाकारों का नाम व पता .... कार्य का प्रकार तथा स्थिति ....

अधिष्ठान का नाम तथा पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा का पालन किया जाता हो ....

मुख्य सेवायोजक का नाम तथा

पता ....

....

1. कर्मकार का नाम ....

2. सेवायोजित कर्मकारों की रजिस्टर में क्रम–संख्या ....

3. सेवायोजन का प्रकार/पदनाम ....

4. मजदूरी दर (इकाई की विशिष्टियां, खंड कार्य की दशा में)...

5. मजदूरी अवधि ....

6. सेवायोजन की अवधि ....

7. अभ्युक्ति ....

संविदाकार के हस्ताक्षर

प्रपत्र–15

(नियम 77 देखिये)

सेवा का प्रमाण–पत्र

संविदाकार का नाम तथा पता अधिष्ठान का नाम तथा पता .... जिसमें/जिसके अधीन संविदा कार्य का प्रकार तथा अवस्थान का पालन किया जाता हो ....

कर्मकार का नाम तथा पता ....

मुख्य सेवायोजक का नाम तथा पता ....

आयु अथवा जन्म की दिनांक ....
पहचान चिन्ह ....
पिता/पति का नाम

क्रम संख्या	कुल अवधि जिसके लिए सेवायोजित हो से/तक	कृत कार्य का प्रकार	मजदूरी दर (इकाई की विशिष्टियां खण्ड कार्य की दशा में)	अभ्युक्ति

हस्ताक्षर

प्रपत्र–16
(नियम 78(2) (ए) देखिये)
उपस्थिति नामावली

संविदाकार का नाम
व पता ....
कार्य का प्रकार तथा
स्थिति ....

अधिष्ठान का नाम तथा पता
जिसमें/जिसके अधीन संविदा का
पालन किया जाता हो ....
मुख्य सेवायोजक का नाम तथा
पता ....
....

क्रम संख्या	कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	दिनांक	अभ्युक्ति

1	2	3	4	5	6

प्रपत्र–17

(नियम 78(2) (ए) देखिये)

उपस्थिति नामावली

संविदाकार का नाम
व पता ....

कार्य का नाम तथा
....

अधिष्ठान का नाम तथा पता
जिसमें/जिसके अधीन संविदा का
पालन किया जाता हो ....
अवस्थान ....
मुख्य सेवायोजक का नाम तथा
पता ....
....

मजदूरी–अवधि मासिक

क्रम संख्या	कर्मकार का नाम	कर्मकारों से रजिस्टर में क्रम–संख्या	पदनाम कृत कार्य का प्रकार	कृत कार्य दिवसों की संख्या	कृत कार्य की इकाईयां	मजदूरी की दैनिक दर/खण्ड दर
1	2	3	4	5	6	7

अर्जित मजदूरी की धनराशि

मूल मजदूरी	मंहगाई भत्ता	अधिसमय अन्य नकद भुगतान	भुगतान का प्रकार इंगित किया जाय	योग	कटौतियां, यदि कोई हों, (प्रकार इंगिकत किया जाय)	भुगतान की गई धनराशि कर्मकार के हस्ताक्षर	अथवा अंगूठे का निशान	संविदाकार अथवा उसके प्रतिनिधि के संक्षिप्त हस्ताक्षर
8	9	10	11	12	13	14	15	16

प्रपत्र–18

(नियम 78(2) (ए) देखिये)

मजदूरी तथा उपस्थिति नामावली के रजिस्टर का प्रपत्र

संविदाकार का नाम
व पता ....

कार्य का नाम तथा
....

अधिष्ठान का नाम तथा पता
जिसमें/जिसके अधीन संविदा का
पालन किया जाता हो ....
अवस्थान ....
मुख्य सेवायोजक का नाम तथा
पता ....
मजदूरी–अवधिःसाप्ताहिक
पाक्षिक .... से
.... तक

क्रम संख्या	कर्मकार का नाम	कर्मकारों से रजिस्टर में क्रम–संख्या	पदनाम कृत कार्य का प्रकार	कृत कार्य दिवसों की संख्या	कृत कार्य की इकाईयां	मजदूरी की दैनिक दर/खण्ड दर
1	2	3	4	5	6	7

अर्जित मजदूरी की धनराशि

मूल मजदूरी	मंहगाई भत्ता	अधिसमय अन्य नकद भुगतान	भुगतान का प्रकार इंगित किया जाय	योग	कटौतियां, यदि कोई हों, (प्रकार इंगिकत किया जाय)	भुगतान की गई धनराशि कर्मकार के हस्ताक्षर	अथवा अंगूठे का निशान	संविदाकार अथवा उसके प्रतिनिधि के संक्षिप्त हस्ताक्षर
8	9	10	11	12	13	14	15	16

प्रपत्र–19

(नियम 78(2) (बी) देखिये)

मजदूरी स्लिप

संविदाकार का नाम

पता ....

कार्य का प्रकार तथा स्थिति

....

कर्मकार का नाम तथा पिता/पति

का नाम ....

.... को समाप्त

होने वाले सप्ताह/पक्ष/मास के लिए

1. कृत कार्य–दिवसों की संख्या ....
2. खंछ दर कर्मकारों की दशा में इकाईयों की संख्या ....
3. दैनिक मजदूरी की दरें खण्ड दर ....
4. अधिसमय मजदूरी की धनराशि ....
5. कुल देय मजदूरी ....
6. कटौतियां, यदि कोई हो ....

7. भुगतान की गई मजदूरी की शुद्ध धनराशि ....

संविदाकार अथवा उसके प्रतिनिधि
के संक्षिप्त हस्ताक्षर

प्रपत्र–20

(नियम 78(2) (डी) देखिये)

क्षति अथवा हानि के लिए कटौतियों का रजिस्टर

संविदाकार का नाम
व पता ....

कार्य का नाम तथा
....

अधिष्ठान का नाम तथा पता
जिसमें / जिसके अधीन संविदा का
पालन किया जाता हो ....
अवस्थान ....
मुख्य सेवायोजक का नाम तथा
पता ....

क्रम संख्या	कर्मकार का नाम	पिता / पति का नाम	पदनाम / सेवायोजन का प्रकार	क्षति अथवा हानि की विशिष्टियां	क्षति अथवा हानि का दिनांक
1	2	3	4	5	6

वसूली दिनांक

क्या कर्मकार ने कटौती के प्रति कोई कारण बताया	व्यक्ति का नाम, जिसकी उपस्थिति कर्मचारी के स्पष्टीकरण की सुनवाई गई	आपरोपित कटौती की धनराशि	किस्तों की संख्या	प्रथम किस्त	अन्तिम किस्त	संक्षिप्त हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12	13	14

प्रपत्र–21

(नियम 78(2) (डी) देखिये)

जुर्माने का रजिस्टर

संविदाकार का नाम
व पता ....

कार्य का नाम तथा अवस्थान
....

अधिष्ठान का नाम तथा पता
जिसमें / जिसके अधीन संविदा का
पालन किया जाता हो ....
....

मुख्य सेवायोजक का नाम तथा
पता ....

क्रम संख्या	कर्मकार का नाम	पिता / पति का नाम	पदनाम / सेवायोजन का प्रकार	कार्य / लोप जिसके लिए जुर्माना आरोपित किया गया	अपराध का दिनांक	क्या कर्मचारी ने जुर्माना के प्रति कोई कारण बताया
1	2	3	4	5	6	7

व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी के स्पष्टीकरण की सुनवाई हुई	मजदूरी अवधि तथा देय मजदूरी	आरोपित जुर्माने की धनराशि	दिनांक, जब जुर्माना वसूल किया गया	अभ्युक्ति
8	9	10	11	12

प्रपत्र–22

(नियम 78(2) (डी) देखिये)

अधिसमय कार्य का रजिस्टर

संविदाकार का नाम
व पता ....

कार्य का नाम तथा अवस्थान
....

अधिष्ठान का नाम तथा पता
जिसमें/जिसके अधीन संविदा का
पालन किया जाता हो ....
....

मुख्य सेवायोजक का नाम तथा
पता ....

क्रम संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	कार्य का प्रकार/पदनाम	मजदूरी अवधि तथा देय मजदूरी	दत्त अग्रिम का दिनांक तथा धनराशि
1	2	3	4	5	6

प्रयोजन (प्रयोजनों) जिसके/जिनके लिए अग्रिम धनराशि दी गई	किस्तों की संख्या, जिसमें अग्रिम धनराशि की अदायगी की जाएगी	अदायगी की गई प्रत्येक किस्त का दिनांक तथा धनराशि	दिनांक, जब अन्तिम किस्त की अदायगी की गई थी	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11

प्रपत्र–22

(नियम 78(2) (सी) देखिये)

अधिसमय कार्य का रजिस्टर

संविदाकार का नाम
व पता ....

कार्य का नाम तथा अवस्थान
....

अधिष्ठान का नाम तथा पता
जिसमें/जिसके अधीन संविदा का
पालन किया जाता हो ....
....
मुख्य सेवायोजक का नाम तथा
पता ....

क्रम संख्या	कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	दिन	पदनाम/सेवायोजन का प्रकार	दिनांक जब अधिसमय कार्य किया गया
1	2	3	4	5	6

कुल कृत अधिसमय कार्य अथवा खण्ड दरो की दशा में उत्पादन	मजदूरी की सामान्य दर	अधिक समय मजदूरी की दर	अधिसमय उपार्जन	दिनांक जब अधिसमय मजदूरी का भुगतान किया गया	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12

प्रपत्र–24

(नियम 82(1) देखिये)

संविदाकार द्वारा लाइसेंस अधिकारी को भेजी जाने वाली विवरणी

.... को समाप्त होने वाली अर्द्ध–वर्ष

1. संविदाकार का नाम तथा पता –
2. अधिष्ठान का नाम तथा पता –
3. मुख्य सेवा योजक का नाम तथा पता –
4. संविदा की अवधि .... से .... तक
5. अर्द्ध वर्ष में ऐसे दिनों की संख्या जिनमें –

(क) मुख्य सेवा योजना के अधिष्ठान ने कार्य किया था –
(ख) संविदाकार के अधिष्ठान ने कार्य किया था।

6. अर्द्ध वर्ष की दौरान किसी दिन सेवायोजित संविदा श्रमिक की अधिकतम संख्या :

पुरूष महिला बच्चे योग

7. (1) कार्य के दैनिक घंटे तथा श्रम–समय–विस्तार।

(2) (क) क्या साप्ताहिक अवकाश तथा किस दिनद्य

(ख) यदि हां, क्या उसके लिए मजदूरी दी गई?

(3) एक व्यक्ति के अधिसमय कार्य करने के घंटों की संख्या –

8. निम्नलिखित द्वारा श्रम दिनों की संख्या –

पुरूष महिला बच्चे योग

9. भुगतान की गई मजदूरी की धनराशि

पुरूष महिला बच्चे योग

10. मजदूरी से की गई कटौतियां, यदि कोई हों, की धनराशि –

पुरूष महिला बच्चे योग

11. क्या निम्नलिखित की व्यवस्था की गई है –

(1) कैन्टीन (2) विश्राम कक्ष (3) पीने का पानी (4) बाल गृह

(5) प्राथमिक चिकित्सा

(यदि व्यवस्था की गइ्र है तो व्यवस्थित स्तर का संक्षिप्त उल्लेख कीजिये)

संविदाकार के

हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

प्रपत्र – 25

(नियम 82 (2) देखिये)

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को भेजी जाने वाली मुख्य सेवायोजक की वार्षिक विवरणी।

31 दिसम्बर, ... को समाप्त होने वाला वर्ष

1. मुख्य सेवायोजक का पूरा नाम तथा पता

2. अधिष्ठान का नाम

(क) जिला

(ख) डाक–पता

(ग) व्यापार उद्योग कार्य का प्रकार

3. अधिष्ठान के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिये पब्रन्धक अथवा उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम –

4. संविदाकारों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान अधिष्ठान में कार्य किया (व्यौरा परिशिष्ट में दीजिये)

5. कार्य / व्यापार का प्रकार जिस पर संविदा श्रमिक सेवायोजित किया गया।

6 वर्ष के दौरान ऐसे दिनों की कुल संख्या जब संविदा श्रमिक सेवायोजित किया गया।

7 वर्ष के दौरान संविदा श्रमिक द्वारा कृत श्रम दिनों की कुल संख्या

8. वर्ष के दौरान किसी दिन सेवा योजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या

9. वर्ष के दौरान ऐसे दिनों की कुल संख्या जब श्रमिक सीधे सेवायोजित किया गया।

10. सीधे सेवायोजित कर्मकारों द्वारा कृत श्रम दिनों की कुल संख्या

11. अधिष्ठान के प्रबन्ध, उसकी स्थिति, अथवा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण आवदेन पत्र में प्रस्तुत की गई किन्हीं अन्य विशिष्ठियों में किये गये परिवर्तन का, यदि कोई हो, उल्लेख कीजिए तथा दिनांक भी निर्दिष्ट कीजिए।

संविदाकार / संविदा की अवधि का नाम तथा पता तक		कार्य का प्रकार प्रत्येक संविदाकार द्वारा सेवायोजित कर्मकारों	की अधिकतम संख्या	के कुल दिनों की संख्या	कृत श्रम दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव।

पृष्ठाकंन संख्या : 1063/श्रम सेवा/03–740–श्रम/2002 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को, सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः –

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल/हल्द्वानी/अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2. 2. उप/सहायक, श्रमायुक्त, उत्तरांचल।
3. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया प्रष्नगत नियमावली को राजत्र के असाधारण गजट में प्रकाशित करने का करें।
4. गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन को उनके अ0शा0 पत्र सं0 : 4/2/2/2003 सीए दिनांक 13, मार्च–03 के संदर्भ में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

सचिव।

dk;ky; dk uke % Je foHkkx]Je vk;qDr mRrjk[k.M
Je Hkou ulhrky jkM gY}kuh A

d- l-	foHkkx dk uke	vf/kfu;e dk uke ,o i[;kiu o'k ¼o'k½	fu;ekoyh i[;kfir ¼i[;kiu dh frfFk½		i[;kfir fu;ekoyh dh vUrxr ifr dkvk @vfHky[k k dk ik:lk fu/kkj.k	
1	2	3	4		5	
			gk	ugh	gk	ugh
1-	श्रम विभाग	बन्धुवा श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम (केन्द्रीय)1976	बन्धुवा श्रम प्रथा (उन्मूलन) नियमावली (केन्द्रीय)1976 दिनांक 28.021976	–	है	–
2-	–तदैव–	बाल श्रम (प्रतिशेध एवं विनियमन) अधिनियम (केन्द्रीय)1986	उत्तराखण्ड (उ0प्र0) बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन नियमावली 1994)अनुकूलन एवं उपांतरण 2002 दिनांक 29.10..2002	–	है	–
3-	–तदैव–	संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) (केन्द्रीय),1970	उत्तराखण्ड संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) नियमावली दिनांक 27.03.03	–	है	–
4-	–तदैव–	समान पारिश्रमिक अधिनियम(केन्द्रीय) 1976	समान पारिश्रमिक नियमावली 1976	–	है	–
5-	–तदैव–	कारखाना अधिनियम(केन्द्रीय)1948	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 कारखाना नियमावली 1950) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनाकं 29.10.02	–	है	–
6-	–तदैव–	औद्योगिक विवाद अधिनियम(केन्द्रीय) 1947	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 औद्योगिक विवाद नियमवली 1957) अनुकूलन एवं उपांतरण दिनांक 29.10.02	–	है	–
7-	–तदैव–	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम (केन्द्रीय)1946	उत्तराखण्ड औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली 2001, अनुकूलन एवं उपांतरण दिनांक 15.11.2001	–	है	–
8-	–तदैव–	अन्र्तराज्यीय प्रवासी कर्मकार (सेवा शर्तो एवं नियोजन विनियमय) (केन्द्रीय)1979	उत्तराखण्ड (उ0प्र0) अन्र्तराज्यीय प्रवासी कर्मकार (सेवायोजन का विनियमन तथा सेवा शर्ते नियमावली 1993) अनुकूलन एवं उपांतरण दिनांक 29.10.02	–	है	–

9-	–तदैव–	मातृका हित लाभ अधिनियम(केन्द्रीय) 1961	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 मातृका हित लाभ नियमावली 1983) अनुकूलन एवं उपांतरण दिनांक 29.10.02	–	है	–
10-	–तदैव–	न्यूनतम वेतन अधिनियम (केन्द्रीय)1948	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 न्यूनतम वेतन नियमावली 1952) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29.10.02	–	है	–
11-	–तदैव–	बोनस संदाय,अधिनियम (केन्द्रीय)1965	बोनस संदाय नियमावली 1975 (केन्द्रीय) अनुकूलन एवं उपांतरण दिनांक 06.09.01	–	है	–
12-	–तदैव–	आनुतोषिक भुगतान अधिनियम (केन्द्रीय) 1972	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 उपादान संदाय नियमावली 1975 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29.10.02	–	है	–
13-	–तदैव–	वेतन भुगतान,अधिनियम (केन्द्रीय)1936	1. उत्तराखण्ड (उ0प्र0) औद्योगिक शान्ति (वेतनों का समय से भुगतान) नियमावली 1965 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29.10.02 2. उत्तराखण्ड (उ0प्र0 मजदूरी संदाय प्रक्रिया) नियमावली 1958 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29.10.02 3. उत्तराखण्ड (उ0प्र0 मजदूरी संदाय) नियमावली 1936 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29.10.02 4. उत्तराखण्ड (उ0प्र0 मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) अनुसूचित नियोजनों में प्रयोज्य नियमावली 1963) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29.10.02	–	है	–
14-	–तदैव–	बागान श्रम अधिनियम (केन्द्रीय)1951	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 बागान श्रम नियमावली 1957) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29.10.02	–	है	–

15-	–तदैव–	सेल्स प्रमोशन इम्पलाइज (सेवाशर्तो अधिनियम) (केन्द्रीय)1976	नियमावली 1976	–	है	–
16-	–तदैव–	ट्रेड यूनियन एक्ट (केन्द्रीय)1926	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 ट्रेड यूनियन विनियमन 1927) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29. 10.02	–	है	–
17-	–तदैव–	श्रम जीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवाशर्तो)एवं विविध प्रावधान अधिनियम (केन्द्रीय)1958	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 श्रम जीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) नियमावली 1957) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29. 10.02	–	है	–
18-	–तदैव–	श्रम जीवी पत्रकार (वेतन की दरों का निर्धारण) अधिनियम (केन्द्रीय)1958	–	–	है	–
19-	–तदैव–	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम(केन्द्रीय) 1923	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 कर्मकार प्रतिकर नियमावली 1975) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29. 10.02	–	है	–
20-	–तदैव–	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (सेवाशतो का विनियमन) अधिनियम (केन्द्रीय)1996	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार सेवाशर्त नियोजन नियमावली 2005 दिनांक 25.06.05	–	है	–
21-	–तदैव–	सूचना का अधिकार अधिनियम(केन्द्रीय) 2005	सूचना का अधिकार अधिनियम(केन्द्रीय) 2005 दिनांक 15.06.05	–	है	–
22-	–तदैव–	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम (केन्द्रीय) 1961	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 मोटर परिवहन कर्मकार नियमावली 1962 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29.10.02	–	है	–

23-	–तदैव–	उत्तराखण्ड दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम (राज्य), 1962	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001 दिनांक 15.11.01	–	है	–
24-	–तदैव–	उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 ए (केन्द्रीय)	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 औद्योगिक विवाद नियमावली 1976 (राज्य), अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29.10.02	–	है	–
25-	–तदैव–	उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा संदाय)अधिनियम (राज्य), 1978	उत्तराखण्ड (उ0प्र0)औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा संदाय) नियमावली 1976 (राज्य), अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29.10.02	–	है	–
26-	–तदैव–	उ0प्र0 श्रम कल्याण निधि अधिनियम (राज्य),1965	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29.10.02	–	है	–
27-	–तदैव–	औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश) अधिनियम 1961(केन्द्रीय),	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश नियमावली) 1965 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 दिनांक 29. 10.02	–	है	–